राजभाषा भारती

वर्ष : 39 • अंक 152 • जुलाई–सितम्बर 2017

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

जन जन की
भाषा है हिंदी

हिंदी दिवस 2017 के अवसर पर लीला के मोबाइल एप का लोकार्पण
करते हुए माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द जी

माननीय राज्य मंत्री पूर्व एवं पूर्वोत्तर विकास मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
राज्य मंत्री (प्रधान मंत्री कार्यालय), डॉ. जितेंद्र सिंह जी को राजभाषा भारती भेंट
करते हुए संयुक्त सचिव (रा.भा.) डॉ. बिपिन बिहारी

भारति जय विजय करे, कनक–शस्य–कमल धरे
–निराला

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 39 अंक : 152

(जुलाई–सितम्बर, 2017)

राजभाषा भारती

☛ **संरक्षक**
प्रभास कुमार झा
सचिव, राजभाषा विभाग

☛ **प्रतिपालक**
डॉ. बिपिन बिहारी
संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग

☛ **संपादक**
डॉ. श्रीप्रकाश शुक्ल
संयुक्त निदेशक (नीति/पत्रिका)
दूरभाष : 011–23438250

☛ **उप संपादक**
डॉ. धनेश द्विवेदी
दूरभाष : 011–23438159

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उससे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

पत्र व्यवहार का पता :
संपादक
राजभाषा विभाग
एनडीसीसी भवन–II, चौथा तल, बी विंग,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली–110001
ईमेल–patrika-ol@nic.in
वेबसाइट–rajbhasha.nic.in

निःशुल्क वितरण के लिए

❖ उद्बोधन–सचिव (राजभाषा) 1

❖ संयुक्त सचिव की कलम से... 2

❖ संपादकीय 4

❖ साक्षात्कार–1 6

❖ साक्षात्कार–2 9

क्र.सं.	लेख का शीर्षक	लेखक का नाम	पृष्ठ सं.
1.	भाषा प्रौद्योगिकी का युग और हिंदी का वर्चस्व	डॉ. पूरन चंद टंडन	11
2.	हिंदी के प्रयोग के लिए तकनीकी सुविधाएं	केवल कृष्ण	15
3.	हिंदी की विकास यात्रा	वीरेन्द्र मोहन	17
4.	राजभाषा हिंदी के विकास में यूनिकोड की भूमिका	अरविंदाक्षन. एम	23
5.	वैश्वीकरण एवं हिंदी का विकास	जितेन्द्र मोहन शर्मा	27
6.	न्यायपालिका में राजभाषा हिंदी की भूमिका	डॉ. मुकेश कुमार	32

7.	मणिपुर के हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय तत्व	श्रीमती मनोहरमयुम यमुना देवी	41
8.	राष्ट्रभाषा बनाम राजभाषा–वर्तमान स्थिति	राकेश कुमार	44
9.	हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के बीच सेतु निर्माण में तकनीकी विकास की भूमिका	राहुल कुमार सिंह	48
10.	हमारी शिक्षा प्रणाली और राजभाषा हिंदी	हरजेन्द्र चौधरी	53
11.	भारतीय बैंकिंग क्षेत्र– उभरती चुनौतियाँ तथा आगे की रणनीति	श्रीमती प्राजक्ता विनायकराव गेडाम	57
12.	सरल हिंदी कम्प्यूटर विज्ञान तकनीकी शब्दावली	प्रो. आरिफ नजीर	63
13.	हिंदी बाल साहित्य और बच्चे	मनोहर लाल चमोली	68
14.	हिंदी की अनुवाद परम्परा	देवशंकर नवीन	71
15.	बदलता भाषाई परिदृश्यः परंपरा और आधुनिकता के बीच सामंजस्य की चुनौती	डॉ. विवेक कुमार सिंह	77
16.	भौतिकता की चकाचौंध में भटकती युवा पीढ़ी	राजेन्द्र प्रसाद	83
17.	करत–करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान	डॉ. धनेश द्विवेदी	87

सचिव (रा.भा.) का उद्बोधन

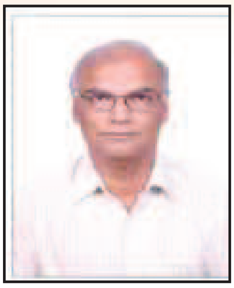

14 सितंबर को विज्ञान भवन में आयोजित भव्य हिंदी दिवस समारोह में माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी अनुवाद की नहीं संवाद की भाषा है। हमें इस उक्ति का सही आशय समझना व आत्मसात करना चाहिए। पहली बात यह कि राजभाषा हिंदी मात्र अंग्रेजी का अनुवाद है, यह न केवल भ्रांति है वरन् एक भारी भूल है। हिंदी की क्षमता और शक्ति आज किसी से छिपी नहीं है और न किसी परिचय की मोहताज़ है। जो भाषा लोगों द्वारा अंगीकृत व स्वीकार्य होती है वही स्थायी व दीर्घजीवी होती है। हिंदी एक स्वतंत्र और सक्षम भाषा है और आज आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी को अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाए। साथ ही, हिंदी में हर प्रकार के विषय व कंटेंट पर मौलिक कार्य कर भाषा को समृद्ध किया जाए।

माननीय राष्ट्रपति के कथन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू संवाद पर बल है। इसका सीधा अर्थ सरकार के अधिकारियों तथा कर्मियों एवं आमजन के मध्य बराबरी का संबंध है। बिना बराबरी व आपसी भागीदारी के संवाद घटित नहीं होता है और परिणाम सही नहीं निकलता है। हिंदी करोड़ों आम जन, सर्वहारा, गरीबों, पिछड़ों की लोकभाषा है और यही इसकी मूल शक्ति है। अपनी भाषा के प्रयोग से लोगों के मध्य की दूरी मिटती है।

माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में अन्य भाषाओं को भी सीखने व अंगीकृत करने पर विशेष बल दिया। आज के युग में यह आवश्यक हो चुका है कि हम एक–दूसरे की भाषाओं व संस्कृतियों को सीखें व समझें। इसकी शुरुआत घरों व स्कूलों से होनी चाहिए। जब यह भाव दृढ़ होगा कि हम एक–दूसरे की भाषाओं को जानते व समझते हैं तो स्वतः ही हिंदी सबकी संपर्क भाषा बन जाएगी व अंग्रेजी का कथित वर्चस्व गौण होगा।

हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी ने जापान, चीन, कोरिया, इज़राइल का उदाहरण देते हुए कहा कि इन देशों ने अपनी भाषा के बल पर समृद्धि, शक्ति और सफलता हासिल की है। हिंदी एक विश्व भाषा है और जरूरत इस बात की है कि हिंदी में अधिकाधिक मौलिक, रचनात्मक व सृजनात्मक कार्य हों। माननीय गृह मंत्री का यह आवाह्न हमारे देश के बुद्धिजीवियों, विशेषज्ञों के लिए विशेष रूप से प्रेरक है ताकि हिंदी में नयी मौलिकता की आंधी बह सके।

राजभाषा विभाग ने हिंदी स्वयं शिक्षण हेतु पूर्व में विकसित लीला सॉफ्टवेयर का मोबाइल वर्जन (एन्ड्रायड व आईओएस में) सी–डैक संस्था के सहयोग से तैयार किया। इसमें अंग्रेजी सहित चौदह अन्य भाषाओं (जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, गुजराती, मराठी आदि) के माध्यम से हिंदी सीखने की सुविधा उपलब्ध है। हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी ने इसका लोकार्पण किया। अल्प दिनों में ही हमें प्रयोक्ताओं द्वारा यह फीडबैक मिला है कि लीला मोबाइल एप बेहद स्तरीय, प्रयोग में सरल व उपयोगी है। हम अब इस एप का व्यापक प्रचार व प्रसार कर रहे हैं ताकि आज के बाज़ार व उपभोक्ता युग में लोग, विशेषकर युवा पीढ़ी इसका अधिकतम लाभ उठा सके।

राजभाषा विभाग प्रचार, प्रसार, प्रेरणा व प्रोत्साहन के बल पर राजभाषा हिंदी के उत्तरोत्तर विकास हेतु कृत संकल्प है और लीला मोबाइल एप इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

संयुक्त सचिव की कलम से..

राजभाषा भारती का 152 वां अंक आप सब के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है।

वर्ष 1978 से प्रारंभ हुई राजभाषा विभाग की त्रैमासिक गृह पत्रिका 'राजभाषा भारती' की सार्थक यात्रा सतत् रूप से जारी है। इस पत्रिका के माध्यम से देश भर के हिंदी प्रेमियों को अपनी सृजनात्मक एवं साहित्यिक प्रतिभा की अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। जून, 2017 से सितंबर, 2017 के दौरान राजभाषा विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों ने प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना पर आधारित सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार से संबंधित कुछ उल्लेखनीय कार्य निष्पादित किए हैं जिन्हें मैं आप सब के साथ साझा करना चाहता हूं।

माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति के पुनर्गठन का संकल्प तैयार कर भारत के राजपत्र में दिनांक 01.07.2017 को प्रकाशित करवाया गया।

राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी दिवस 14 सितंबर, 2017 के अवसर पर माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह की ओर से जारी किए जाने वाला संदेश तैयार कर इसे अनुमोदित करवाया गया। माननीय गृह मंत्री द्वारा रिकॉर्डिंग के लिए पढ़ा गया और दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर प्रसारण हेतु भेजा गया।

दिनांक 23 जून, 2017 को सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में राजभाषा विभाग द्वारा तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रों के कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दिनांक 18.08.2017 को जोधपुर में तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें उत्तर–1 एवं उत्तर–2 क्षेत्रों के कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

दिनांक 28 जून, 2017 को सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 39 वीं बैठक के प्रथम चरण का आयोजन किया गया जिसमें 20 मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। दिनांक 23, 25 और 30 अगस्त, 2017 को सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 39 वीं बैठक के क्रमशः द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण की बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें 60 मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिवों एवं वरिष्ठ राजभाषा अधिकारियों ने भाग लिया।

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा दिनांक 07.07.2017 को नई दिल्ली में ई–लर्निंग अनुवाद प्रशिक्षण प्लेटफार्म का लोकार्पण किया गया।

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद कार्य से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इसी क्रम में, ब्यूरो द्वारा 12 उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें कुल 259 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। ब्यूरो द्वारा जून, 2017 और जुलाई, 2017 में कुल 5061 मानक पृष्ठों की अनूदित सामग्री विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को प्रेषित की गई।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिनांक 31.08.2017 को 33वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। संस्थान द्वारा देश के विभिन्न शहरों में 39 हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा इस अवधि में चार गहन हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिनमें 119 कार्मिकों ने भाग लिया। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, बेंगलुरू द्वारा दिनांक 24.07.2017 से 28.07.2017 तक राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के अंतर्गत लिपिक वर्गीय पुनश्चर्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 35 कार्मिकों ने भाग लिया। इसी क्रम में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली स्थित कार्यशाला एकक द्वारा दिनांक 07.08.2017 से 11.08.2017 तक राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के अंतर्गत सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) पुनश्चर्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 22 कार्मिकों ने भाग लिया।

इस समय, देशभर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या बढ़ कर 453 पहुँच गई है। देश के विभिन्न नगरों में 236 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का आयोजन किया गया, जिनमें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और इस संबंध में जारी आदेशों के अनुपालन की स्थिति एवं उसमें सुधार के उपायों पर चर्चा की गई।

मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि सितंबर माह में हिंदी दिवस समारोह सहित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 14 सितंबर 2017 को माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए राजभाषा कीर्ति तथा राजभाषा गौरव पुरस्कार वितरित किए गए। इस मौके पर लीला सॉफ्टवेयर के मोबाइल एप का लोकार्पण भी किया गया तथा पुरस्कार वितरण के दौरान पुरस्कार विजेताओं का स्लाइड के माध्यम से स्क्रीन पर विवरण दिया जाना, कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। हिंदी दिवस समारोह के सफल एवं शानदार आयोजन के लिए राजभाषा विभाग के अधिकारी/कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त माननीय गृह राज्य मंत्री जी की अध्यक्षता में उपक्रमों की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति रही।

आशा है कि आपको राजभाषा भारती का यह अंक पसंद आएगा। मैं पत्रिका अनुभाग की पूरी टीम को इसके लिए बधाई देता हूँ। आपके सुझावों और मनोभावों का सदैव स्वागत है।

हार्दिक शुभकामनाएं!

बिपिन बिहारी

संपादकीय

सहज, सरल और आसान आदि शब्द प्रथमदृष्ट्या समानार्थक लगते हैं, किंतु प्रयोग की दृष्टि से इनमें आंशिक अर्थ भिन्नता है। किसी सरिता का प्रवाह सहज कहा जा सकता है, सरल अथवा आसान नहीं। सहज रूप में प्रवाहित सरिता आदि काल से अब तक न जाने कितनी जलराशि को सागर तक पहुँचा चुकी है। सरिता सहज प्रवाहित होती रहती है। मानव समाज उसका प्रवाह रोक नहीं सकता है। हाँ सरिता के मजबूत और सुंदर तटबंध और तटबंध पर बसे नगर तत्कालीन समाज की समृद्धि और सभ्यता के परिचायक होते हैं।

सरिता की भाँति भाषा भी सहज होती है। भाषा कभी सरल या कठिन नहीं होती है। ज्ञात इतिहास से पता चलता है कि भारत वर्ष की प्राचीन भाषा वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पालि, प्राकृत और अपभ्रंश से होती हुई आज हिंदी और उसकी सहोदर भाषाएँ गुजराती, मराठी, बांग्ला, असमिया आदि किसी न किसी रूप में संस्कृत से पोषित रही हैं और तमिल, तेलुगू, मलयालम से लेकर मुंडा, संथाली, मणिपुरी और बोडो आदि के मध्य सामंजस्य रखते हुए इस भूखंड पर बोली, लिखी और समझी जाती हैं। भाषाएँ निरंतर प्रवाहित होती रही हैं, समाज भाषाओं के लिए आधार मात्र का काम करता है।

आदिकाल में वैदिक संस्कृत लोक प्रचलित भाषा रही जो आज आम प्रचलन में नहीं है, यही स्थिति मौर्यकाल में बहुप्रचलित भाषा 'पालि' की भी थी। पालि भाषा का प्रचलन इतना व्यापक था कि उसमें लिखी गई हुंडियाँ पूरे यूरोप में चलती थीं। आज हिंदी इस भूखंड की लोकप्रिय और बहुप्रचलित भाषा है।

यह कोई नहीं जानता कि आने वाले दो हजार वर्षों बाद इस भूखंड की भाषा का स्वरूप क्या होगा। कौन–सी भाषा प्रचलन में होगी और किसपर समय की चादर पड़ जाएगी। परंतु एक बात इतिहास के माध्यम से अक्षुण्ण रहेगी कि किस काल में कौन–सी भाषा का प्रयोग करने वाला समाज कितना समृद्धिशाली था और तत्कालीन समाज की भाषा उस समय की फलती–फूलती सभ्यता और संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का कितना माध्यम बन सकी। यह बात हिंदी के साथ भी चरितार्थ होती है। हिंदी भारत की संविधान सम्मत राजभाषा है। सरिता के सुंदर और मजबूत तटबंधो और उस पर बसे नगरों की भांति ही वर्तमान समाज का दायित्व राजभाषा हिंदी की शब्द सम्पदा और इसके शब्दानुशासन को सुन्दर और मजबूत बनाना है, जिससे यह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति सहजता और दृढ़ता से कर सके। यह वर्तमान समाज का कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व दोनों है और यही भविष्य का आधार भी बनेगा। हम अपनी भाषा से जितना दूर रहेंगे अपनी धरोहर, अपनी विरासत और अपनी संस्कृति से उतने ही दूर होते जाएंगे। यह समय है हिंदी भाषा को सहज रूप में आत्मसात करने का।

राजभाषा भारती के इस अंक में हमने लेखों का चयन सहज रूप में ही किया है। सचिव राजभाषा का उद्‍बोधन एवं संयुक्त सचिव की कलम से स्थायी स्तंभ पूर्ववत पथप्रदर्शक है। पत्रिका हिंदी के सहज और शाश्वत प्रवाह में सहयोगी बने इस भावना के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत है।

माननीय राज्य मंत्री पूर्व एवं पूर्वोत्तर विकास मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राज्य मंत्री प्रधान मंत्री कार्यालय, डॉ. जितेंद्र सिंह जी का साक्षात्कार

1. भाषा तथा संस्कृति की दृष्टि से देश के विभिन्न प्रांतों को आप किस प्रकार देखते हैं?

भाषा प्रातों को जोड़ने का माध्यम है और हमारी संस्कृति का प्रतीक है। इतनी विविधताओं वाले देश में एकीकरण का सूत्र अनिवार्य है। यहां सांझा संस्कार, सांझी संस्कृति तथा सांझी भाषा तीनों समन्वय का काम करती हैं।

2. क्या हिंदी भाषा में स्वास्थ्य तथा तकनीकी विषयों में अधिक कार्य करने की आवश्यकता महसूस करते हैं?

संयोगवश भारी मात्रा में विज्ञान, तकनीक और चिकित्सा विज्ञान के साहित्य का प्रारंभ पश्चिम में हुआ इसलिए भाषा का माध्यम अंग्रेजी रहा। पिछले वर्षों में इसमें परिवर्तन आया है और बहुत बड़ी मात्रा में विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान तथा दूसरे विषयों का साहित्य हिंदी में लिखा जाने लगा है पर चूंकि यह कार्य देर से शुरू हुआ, इसलिए उस स्तर तक लाने के लिए अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।

3. आपने स्वास्थ्य विज्ञान पर कई पुस्तकों का लेखन किया है, लेखन में भाषा की भूमिका किस प्रकार की होती है, आप इसे किस प्रकार देखते हैं?

लेखन किस प्रकार का है, इस बात पर निर्भर करता है। जैसे आप विज्ञान की बात कर रहे हैं तो इसमें चूंकि पिछली दो पीढ़ियों का अधिकतर शिक्षण–प्रशिक्षण अंग्रेजी में हुआ है तो स्वाभाविक है कि यदि कोई लेखक विज्ञान की पुस्तक लिखने के लिए बैठता है, भले ही वह स्वयं हिंदी भाषी क्यों न हो या हिंदी मे अच्छी शैली क्यों न रखता हो उसे अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, अंग्रेजी की शब्दावली प्रयोग में लानी पड़ती है और कई बार अंग्रेजी को प्राथमिकता देकर लेखन अंग्रेजी में ही करना पड़ता है।

दूसरा साहित्य है, क्रिएटिव लेखन जिसमें किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है जैसे मुंशी प्रेमचंद का साहित्य है या दूसरे लेखकों का साहित्य है। वह व्यक्ति की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। यदि आपके अंदर लेखन कला है तो वह सामने आ ही जाएगी और जिस भाषा में आप लिखना चाहते हैं उस भाषा में भाव व्यक्त करने में आसानी होती है। इस तरह के लेखन के ज्यादातर प्रकाशन में नए लेखकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। किंतु एक बार छप जाने के बाद लेखक की प्रतिभा दूसरे प्रकाशकों तक भी पंहुच जाती है और उसे अपनी कृति छपवाने में आसानी हो जाती है।

4. क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान में हिंदी भाषा की पुस्तकों की आवश्यकता है ?

निश्चय ही है। यदि आप उसे जन–साधारण तक पंहुचाना चाहते हैं तो आम बोलचाल की भाषा, सरलता से समझने वाली भाषा में पुस्तकें होनी ही चाहिए। लेकिन मैनें पहले भी कहा है कि विज्ञान संबंधी विषयों का प्रसार अधिकतर पश्चिम से हुआ, इसलिए भाषा का दायरा अलग रहा। समय के साथ हिंदी भाषा पूरे विश्व में अपना स्थान प्राप्त कर रही है इससे ऐसा कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य, विज्ञान, न्याय तथा तकनीकी विषयों में अधिक कार्य किया जा सकेगा। इस दिशा में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है परंतु और प्रयास करने की आवश्यकता है।

5. महोदय, इस दिशा में किस प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय हो या मानव संसाधन विकास मंत्रालय, हम लोग इस दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं?

देखिए हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले तो समाज में और विशेषकर युवाओं को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करना होगा, मजबूर नहीं। क्योंकि 2017 युवाओं का भारत है जिसमें 60 प्रतिशत से ज्यादा संख्या युवा पीढ़ी की है अतः उन्हें मजबूर करने से भाषा को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, बल्कि विवाद पैदा हो जाएगा। प्रेरित करने के लिए भाषा के मूल्यों को समझाना होगा, उससे होने वाले लाभ बताने होगें यानि कि वो भागीदार बनें। इसका मतलब यह है कि उन्हें पता होना चाहिए कि भाषा सीखने से उन्हें रोजगार सहित दूसरे क्या लाभ होंगे। जैसे दक्षिण भारत में पुरानी पीढ़ी के लोगों को हिंदी आती है फिर कुछ अंतराल हो गया लेकिन आज की पीढ़ी पुनः हिंदी भाषा सीख रही है। उन्हें यह समझ में आया है कि हिंदी सीखने से लाभ होगा,रोजगार के अवसर बढेंगे, उन्नति होगीं। इसी प्रकार हिंदी साहित्य के गुण को समझाने के लिए अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। यदि तमिल साहित्य को हिंदी में अनूदित करें तो उस भाषा के प्रति लगाव बढ़ता है। जैसे कि मणिपुर का साहित्य भी काफी उत्तम हैं। रवींद्र नाथ टैगोर की गीतांजलि से पश्चिम के लोगों का बांग्ला सीखने की ओर ध्यान गया। इस प्रकार दो तरह से हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ाया जा सकता है।

6. आप केंद्र सरकार में कई भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हैं, क्या आप सरकारी काम–काज में हिंदी भाषा के प्रयोग से संतुष्ट हैं?

काफी हद तक। पिछले तीन वर्षों में इस सरकार के बनने के बाद हिंदी भाषा का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ गया है।

7. और अधिक बढ़ाना हो तो क्या करना चाहिए?

इसमें सबसे बड़ी समस्या यह देखने को मिलती है कि जो अनुवादक है, पूरी तरह से कार्यालय व दफ्तर की शब्दावली से परिचित नहीं हैं, कई शब्दों के अनुवाद के लिए गूगल आदि का सहारा लेते हैं, जिससे सही मायने में विषय का पता नहीं चल पाता है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि अनुभव के साथ इसका ध्यान रखा जाएगा।

8. पूर्व तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आपने विकास के कार्यों को नई गति प्रदान की है, क्या विभिन्न योजनाओं को लागू करने में भाषा की दृष्टि से किसी प्रकार की चुनौती महसूस की जाती है?

शायद पहले रहा होगा परंतु आज स्थिति काफी बदली हुई है। पूर्वोत्तर का युवा वर्ग भी स्वयं की इच्छा शक्ति से हिंदी भाषा सीखने में रुचि दिखा रहा है।

9. विश्व के अधिकांश देश विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्य अपनी भाषा में करते हैं, क्या परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा का योगदान संभव है?

बिल्कुल संभव है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि इतिहास को झुठला नहीं सकते। भारतवर्ष में विज्ञान की प्रगति अंग्रेजों के कार्यकाल में हुई। यदि यह किसी दूसरी भाषा में हुई होती तो उस भाषा में काम हो रहा होता। यह इतिहास के साथ जुड़ी बात है किंतु समय के साथ बदलाव हो रहा है जो हम सबके सामने है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी भाषा का योगदान संभव है।

10. विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय बाजारों में पैठ बनाने के लिए हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि इससे हिंदी का प्रभाव बढ़ेगा?

निश्चय ही, जैसा मैंने कहा कि दो स्तर पर इसको बढ़ावा मिलेगा। एक तो वो जो कि कविता में, साहित्य में, क्रिएटिव लेखन में रुचि रखते हैं, जुनून रखते हैं उन्हें जब यह पता चलता है कि हिंदी भाषा कितनी समृद्ध है। दूसरे वह हैं जो हिंदी भाषी हैं तथा व्यवसाय से जुड़े हैं, उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित हो।

11. आप अंतरिक्ष विभाग सहित भारत सरकार के कई विभागों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, इन विभागों में हिंदी भाषा में कार्य करने में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा?

व्यक्तिगत रूप से मुझे किसी भी विभाग में कार्य करने में कोई परेशानी नहीं हुई। वैसे भी इच्छाशक्ति मजबूत हो तो कहीं भी कोई परेशानी नहीं होती। आपको जानकर हर्ष होगा कि वर्तमान में अंतरिक्ष विभाग में ज्यादातर हिंदी भाषा का उपयोग हो रहा है। हमारे चेयरमैन किरण कुमार जी दक्षिण भारतीय होने के बाद भी अधिकतर कार्य, यहां तक कि हस्ताक्षर भी हिंदी में ही कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि प्रारंभिक वर्षों में ज्यादातर कार्य अंग्रेजी में हुआ इसलिए समय लगेगा।

13. हिंदी की वैश्विक स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे ?

मुझे लगता है कि पहले की तुलना में काफी हद तक प्रचार बढ़ा है। इसका मुख्य कारण है कि भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में विदेशों में पाए जाते हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि हिंदी भाषा के जानकार पूरे विश्व में तेजी से बढ़ रहे हैं। विश्व के कई विकसित देशों में भी भारतीय लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, इससे न केवल हिंदी, अन्य भारतीय भाषाएं जैसे गुजराती, तमिल और तेलुगू भी बड़ी संख्या में सुनने को मिलती हैं।

14. आपके अनुसार हिंदी भाषा का भविष्य कैसा है? जन भाषा हिंदी तथा राजभाषा हिंदी के मध्य की खाई को किस प्रकार कम किया जा सकता है?

यह समय के साथ धीरे–धीरे स्वयं कम होगी और बहुत हद तक हो भी चुकी है। जिन क्षेत्रों में हिंदी की जानकारी नहीं थी वहां भी हिंदी भाषा का लेखन और बोलचाल में उपयोग हो रहा है। पहले हिंदी का क्षेत्र सीमित था। दक्षिण के क्षेत्रों में लता मंगेशकर जी के गीतों की धुन को बहुत पसंद किया जाता था, वहां आजकल आम बोलचाल में भी हिंदी का उपयोग हो रहा है। कला क्षेत्र में भी हिंदी का उपयोग बढ़ा है। और यह दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है। देश में दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं का फैलाव हुआ है। आप चेन्नई को देखिए, वहां की फिल्म इंडस्ट्री में भारी संख्या में हिंदी भाषा के लोग काम कर रहे हैं जो बहुत ही स्वस्थ परिदृश्य प्रस्तुत करता है।

आपका बहुत बहुत आभार श्रीमान!

साक्षात्कारकर्ता डॉ. बिपिन बिहारी

नई पीढ़ी को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिये

चित्रा मुद्गल

10 दिसम्बर 1944 को चेन्नई में जन्मी वरिष्ठ लेखिका, उपन्यासकारा एवं समाज सेविका श्रीमती चित्रा मुदगल की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में हुई। विभिन्न संस्थाओं से सरोकार रखने वाली श्रीमती मुदगल कई दशकों से हिंदी भाषा के विकास, प्रचार–प्रसार के लिये कार्य कर रहीं हैं। वर्तमान में चित्रा जी भारत सरकार के गृह मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की सम्मानित सदस्या हैं। प्रस्तुत हैं उनसे बातचीत के अंश............................

आपके लेखन की शुरूआत कब एवं कैसे हुई?

मैंने लिखना तो तब शुरू किया जब कक्षा 7 में थी, स्कूल के दिनों में मेरे अध्यापक ने आशु कविता, प्रतियोगिता, भाषण आदि के लिये मुझे प्रोत्साहित किया था, किंतु तब मुझे संजीदा लेखन का ज्ञान नहीं था। उस समय हिंदी के अध्यापक, विषय ज्ञान देने के साथ–साथ संस्कार देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले होते थे। प्रेमचंद का साहित्य और उसमें भी कहानी विशेष, जिससे हमें अपनी खुद की कहानी सा जुड़ाव महसूस होता था, ऐसे साहित्य को पढ़ने के लिये प्रेरित करने का कार्य करते थे। लड़कियों को क्या पढ़ने से लाभ होगा, जीवन का सामना करने के लिए किस प्रकार आगे बढ़ना होता है यह सब जानकारी तत्कालीन शिक्षकों के माध्यम से प्राप्त होती थी। उस समय अपनी संस्कृति की पहचान,संस्कारों के निर्वाह आदि पर जोर दिया जाता था।

साहित्य की बदलती लेखन तथा भाषा शैली के बारे में आप क्या कहेंगी?

आज लेखन शैली में ही बदलाव नहीं हुआ, बल्कि सारा समाज ही एक बदलाव महसूस कर रहा है। उस समय की किस्सागोई शैली में आज कई तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं। रामायण, महाभारत जैसे ग्रन्थ हमे संस्कार देने का कार्य करते हैं। मैं आपको बताऊं महाभारत के अंदर स्त्री के समस्त किरदार समाहित हैं और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रामायण के उत्प्रेरक विचारों को देखा व समझा जा सकता है। रामायण में माता, पिता, भाई आदि के सम्मान का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। किंतु आज पारम्परिक शैली में परिवर्तन देखा जा रहा है। डायरी, रिपोर्ताज, संस्मरण जैसी नई–नई शैलियां लेखन में शामिल होती जा रही हैं।

आधुनिक समय में चीजें बदल रही हैं, जीवन शैली बदल रही है, समाज की मान्यतायें और मूल्य भी बदल रहे हैं और भाषा इससे अछूती नहीं रह सकती है। इसलिये भाषा का बदलाव भी आसानी से देखा जा सकता है। विदेशी भाषाओं का चलन भी बढ़ रहा है। परंतु विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होने के साथ–साथ मातृभाषा के प्रति सम्मान आवश्यक है। आज भाषा के उदारीकरण के दौर में भाषा अपशिष्ट होती जा रही है और अपशिष्ट इसलिये कह रही हूँ कि जब आप अपनी भाषा की शक्ति को नहीं पहचानते हैं, उस पर भरोसा नही करते हैं, आधुनिकता के नाम पर आधी अंग्रेजी डाल कर चीजों को रचते है तब लोकभाषा, का लावण्य नहीं आ पाता है। बोली की मिठास न जाने कहां खो जाती है।

इस बदलाव का मूल कारण क्या है?

इसका मूल कारण बदली हुई जीवन शैली है और एक बहुभाषी व्यक्तित्व की चाह है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी भाषा पर विश्वास क्यों नहीं रखते। बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे उनका व्यक्तित्व विकास हो। चाहे वह मलयालम, गुजराती, कन्नड़ किसी भी माध्यम से हो पर मातृभाषा की शिक्षा बच्चों को मिलनी ही चाहिये। मैकाले पद्धति का प्रभाव अपनी जगह है पर हम स्वयं भी इसके लिये जिम्मेदार हैं। हमने अपनी भाषा के महत्व को नहीं समझा। नई पीढ़ी को अपनी भाषा पर भरोसा होना चाहिये उस पर गर्व करना चाहिये। इसके लिये शिक्षा माध्यम में बड़े पैमाने पर बदलाव की आवश्यकता है। आजादी के पूर्व से ही हिंदी भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। गांधी जी का नेतृत्व इस बात का उदाहरण था कि अहिंदी भाषी होकर भी अनेकता में

एकता के लिये हिंदी भाषा की पैरवी की। पूरे देश में उन्होंने हिंदी में भाषण दिये। गांधी जी ने हिंदी में 'हिंदी ओपिनियन' अखबार की शुरूआत की जिससे हर वर्ग में हिंदी की लोकप्रियता बढ़ी। उन्होंने हिंदी के प्रति एक वातावरण निर्माण किया। परंतु मुझे दुःख है कि आजादी के बाद हिंदी भाषा को वह सम्मान आज तक नहीं मिल पाया है।

हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है?

हिंदी चूंकि देश के अधिकांश हिस्सों से बोली व समझी जाती है इसलिये हिंदी भाषा राजभाषा के रूप में स्थापित की गई थी। यही एक भाषा पूरे देश को जोड़ने वाली भाषा है। किंतु कुछ राज्यों में हिंदी भाषा मे कार्य करने के प्रति असुविधा महसूस की जा रही है। जबकि राजभाषा की व्यवस्था 15 वर्षो के लिये थी, किंतु सख्त निर्णय न हो पाने के कारण आज भी समस्या हो रही है। किंतु मैं एक बात यह साफ कहना चाहती हूँ कि हिंदी ज्यादातर लोग समझते हैं परंतु बोलना नहीं चाहते। आज भाषा को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि तमिल, बांग्ला आदि के नई पीढ़ी के लेखक अंग्रेजी में लेखन कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अंग्रेजी भाषा में लिखने से पुरस्कार प्राप्त होते हैं, सम्मान मिलता है। किंतु लोग यह भूल रहे है कि उन प्रांतो से उनकी स्वयं की भाषा भी गायब होती जा रही है। हिंदी के प्रति विरोध से उनकी अपनी मातृभाषा का भी नुकसान हो रहा है। मैं कई संस्थाओं से जुड़ी हूँ, साहित्य खोजने जब अहिंदी भाषियों की बीच गई तो पता चला कि वहाँ की मातृभाषा की तुलना में अंग्रेजी साहित्य का चलन बढ़ा है।

राजकीय प्रयोग में हिंदी की वर्तमान स्थिति को किस प्रकार देखती हैं?

सर्वप्रथम 15 साल के लिये भाषा नीति का निर्माण किया गया था। इसके बाद समय सीमा बढ़ती गई और हिंदी भाषा का विकास, प्रचार–प्रसार मध्यम गति से ही हुआ। आज भी सरकारी कार्यालयों की भाषा पूर्णतया हिंदी नहीं हो सकी। राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने के लिए एक भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

इस दिशा में किस प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता है?

आज समस्या जटिल से जटिलतर हो चुकी है, अतः सुधारात्मक उपाय भी कठिन से कठिनतर हो गया है। राजभाषा अधिकारियों की अपनी सीमा है। आज भी ज्यादातर प्रशिक्षण कार्य अंग्रेजी में हो रहा है। उच्च अधिकारियों को हिंदी में कार्य करने पर बल देना होगा। आज विद्वानों/साहित्यकारों को अन्तर्राष्ट्रीय मंचो पर अंग्रेजी में बोलने के बजाय हिंदी में बोलने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

आप गृह मंत्रालय की राजभाषा सलाहकार समिति में एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। समिति की भूमिका को किस प्रकार देखती हैं।

मुझे उम्मीद है कि सरकार के द्वारा शिक्षा नीतियों में गांधी जी की सोच के साथ कार्य किया जायेगा। विदेशी मानसिकता से या गुलामी की मानसिकता से भाषा का विकास संभव नहीं है, इसलिये अब मानसिकता बदलाव की दिशा में कार्य करना होगा। मैने समिति में भी कहा कि हिंदी भाषा को संस्कार में शामिल करना होगा। आज भी कई अहिंदी भाषी हिंदी बोलते हुये गर्व महसूस करते हैं।

हमारी भाषा नीति में बदलाव की आवश्यकता है, राजभाषा अधिकारियों को अधिक जिम्मेदारी देने की आवश्यकता है। हमारे गृहमंत्री जी का भाषा सामर्थ्य बहुत ही विकसित है, समृद्ध है इसलिए यह आशा की जा सकती है कि राजभाषा के प्रति लोगों का नजरिया परिवर्तित होगा और बेहतर कार्यशैली का निर्माण होगा।

राजभाषा विभाग द्वारा इस दिशा और किस प्रकार के प्रयास किये जा सकते है?

राजभाषा विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयास सराहनीय है परंतु इस कार्य में आमजन की सहभागिता आवश्यक है। स्वयं से ही भाषा उत्थान हो सकता है। घर परिवार में भी हिंदी को व्यवहार में लाना होगा। राजभाषा अधिकारियों के मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रेम और सद्भावना से राजभाषा अधिकारियों को कार्य करना चाहिये। इसके साथ–साथ दायित्व बोध होना बहुत जरूरी है। अहिंदी भाषियों को इस दिशा में रोजगार के अवसर भी नजर आने चाहिये तभी भाषा के प्रति जागरूकता लाई जा सकती है।

मुझे खुशी है कि 'राजभाषा भारती' के माध्यम से मेरे विचारों को पाठको तक पहुचाने का कार्य राजभाषा विभाग द्वारा किया जा रहा है।

आपका बहुत–बहुत आभार

साक्षात्कारकर्ता डॉ. धनेश द्विवेदी

भाषा प्रौद्योगिकी का युग और हिंदी का वर्चस्व

डॉ. पूरन चंद टंडन

आज का युग सूचना, संचार तथा विचार का युग है। तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का वर्चस्व तेजी से बढ़ रहा है। प्रचार–प्रसार माध्यमों का तेजी से हो रहा समाजीकरण तथा जन–मानस पर निरंतर बढ़ रहा कंप्यूटरीकरण का प्रभाव इसके मूल में है। भारत जैसे बहुभाषा–भाषी देश में विदेशों से आई कंप्यूटर विद्या ने प्रारंभ में अपने अंग्रेजी वर्चस्व से आतंकित अवश्य किया, किंतु भारतीय मनीषा तथा यहाँ की भाषाई–शक्तियों ने इस चुनौती को शीघ्र ही चुनौती दे डाली। परिणामतः भारत के युवा–मस्तिष्क एवं अनुभवी दिशा–निर्देश ने सूचना–प्रौद्योगिकी का उत्तर 'भाषा–प्रौद्योगिकी' से दिया। अनेक भाषाओं, उपभाषाओं, बोलियों तथा उपबोलियों से समृद्ध इस देश में हमारे कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने कठोर तथा अथक परिश्रम से, अपनी निष्ठा तथा साधन–शक्ति से कंप्यूटर पर भारत की सभी प्रमुख भाषाओं को प्रतिष्ठित कर दिया। भाषाओं की संवेदनात्मक शक्ति ने मशीन का हृदय जीत लिया। हिंदी ने इस दिशा में सर्वाधिक सफलता हासिल की, क्योंकि हिंदी घास खाने वाली भाषा है, मात्र पेट्रोल पीकर जीवित रहने वाली नहीं। घास विशाल भारत के शहरी, ग्रामीण, समतल, पठार, समुद्री अथवा मरूस्थली समस्त क्षेत्रों में मिलती है। उसे कोई सीचे या न सींचे, काटे या रौंदे–वह अपनी अंतर्निहित स्वतः स्फूर्त शक्ति से निरंतर विकासमान एवं गतिमान रहती है। हिंदी भी भारत के जन–मानस की एक ऐसी ही सशक्त, समर्थ, सक्षम तथा दक्ष भाषा है जिसे संसार की सर्वाधिक वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत लिपि–'देवनागरी' –का सुदृढ़ संबल प्राप्त है।

वास्तव में भारत का रंगीन स्वप्न इस भाषा–प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचना एवं सचार के उपकरणों पर अब साकार होता दिखाई देने लगा है। हिंदी के अनेक सॉफ्टवेयर अब बाजार में उपलब्ध है। हमारे दैनिक जीवन के समस्त क्रियाकलापों से लेकर, कार्यालयी, व्यवसायी, वित्तीय, वाणिज्यिक, सौंदर्यशास्त्री, साज–सज्जापरक गणितीय, सांख्यिकीय, प्रकाशकीय तथा इसी प्रकार के अन्य अनेक क्षेत्रों में कंप्यूटर का सफलतम प्रवेश हो चुका है। जिस कंप्यूटर तथा उसकी भाषा को लेकर हम भयभीत तथा सहमें हुए थे, उसे जीवन के हर क्षेत्र में जोड़कर हमने अपनी भाषाओं से जीत लिया है। हिंदी भाषा इस दृष्टि से भी अग्रणी है। हिंदी में शब्द संसाधन का कार्य करने के लिए आज बाजार में जिस्ट कॉर्ड, जिस्ट शैल, सुलिपि, आकृति, ए०पी०एस०, शब्द रत्न, लीप ऑफिस, अक्षर फॉर विंडोज, सुविंडोज, प्रकाशक तथा इसी प्रकार के अन्य अनेक साफ्टवेयर उपलब्ध हैं। बैंकों के लिए अनेक द्विभाषी सॉफ्टवेयर भी अब विकसित कर लिए गए है। अंग्रेजी–हिंदी और इसी प्रकार अन्य भारतीय भाषाओं के परस्पर अनुवाद की संभावनाएँ भी कंप्यूटर पर खोज ली गई हैं। अनेक प्रकार के हिंदी फॉन्ट्स भी अब बाजार में उपलब्ध है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, सी–डैक तथा आई बी.एस. टाटा इस दिशा में अपनी रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं। आई.बी.एस. टाटा द्वारा बाजार में लाए गए हिंदी पी०सी डॉस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी डॉस के आ जाने से अब तक जो निर्देश अंग्रेजी में दिए जाते रहे हैं, वे भी हिंदी में दिए जा सकते हैं। यह उपलब्धि वास्तव में हिंदी के लिए 'मील का पत्थर' सिद्ध हुई है।

आज सरकारी या गैर–सरकारी कार्यालय हो अथवा व्यवसाय, शिक्षा हो या विज्ञापन, सूचना तंत्र हो या जनसंचार माध्यम, बैंक हो या डिजाइनिंग और टाइटलिंग का क्षेत्र, सरकारी उपक्रम हों या मंत्रालय, निगम हो या निकाय हो अथवा विभिन्न संस्थान,

स्कूल हो या विश्वविद्यालय—सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। प्रशिक्षण की बहुलता एवं सहजता ने भाषा के सशक्तिकरण' की दृष्टि से युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ दिया है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत राजभाषा विभाग ने कंप्यूटर के हिंदी अनुप्रयोग की दिशा में राजभाषा नीति का अनुपालन करते हुए अविस्मरणीय योगदान दिया है। हिंदी को अब चुटकले, कहानी, कविता या पारंपरिक गद्य—पद्य विधाओं की भाषा मात्र न रहने दिया जाए, यह सोचकर उसे सूचना—प्रौद्योगिकी के तमाम आयामों, दिशाओं एवं क्षेत्रों से जोड़ दिया गया है। प्रिंट—मीडिया तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत चहुँमुखी एवं बहुमुखी मार्ग प्रशस्त किए गए हैं। समाचार—पत्र, पत्रिकाओं, पोस्टर, बैनर, भित्ति—लेखन, पैम्पलैट, हैंडबिल, विजिटिंग कॉर्ड, पुस्तक लेखन, विवाह निमंत्रण, अभिवादन एवं बधाई कॉर्ड, विभिन्न सामग्रियों की पैकिंग पर मुद्रण, वस्तुओं पर मुद्रण, वस्त्रों पर मुद्रण, स्टीकर—लेखन, विवाह निमंत्रण, अभिवादन एवं बधाई कॉर्ड, विभिन्न सामग्रियों की पैकिंग पर मुद्रण, वस्तुओं पर मुद्रण, वस्त्रों पर मुद्रण, स्टीकर—लेखन, नाम पट्टिकाएँ, होर्डिंग—लेखन विद्युतीय बोर्डों पर लेखन, विभागों—अनुभागों और संस्थाओं के नामोल्लेख करने वाले बोर्ड, शहरों में लगे दिशा—बोधक बोर्ड, सूचना देने वाले विभिन्न बोर्ड, सावधान करने वाले बोर्ड, शोध—प्रबंध, टंकण—मुद्रण आदि अनेक मुद्रण माध्यमों में अब हिंदी अपना वर्चस्व स्थापित कर चुकी है। इसका श्रेय सूचना प्रौद्योगिकी को ही जाता है। सूचना और संचार के बढ़ते महत्व ने एक जागृति और चेतना को बढ़ावा देने का कार्य किया है। इस क्रांति ने जन—जन को अद्यतन एवं अद्यनातन बनाने की दिशा में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। इसी प्रकार रेडियो, दूरदर्शन, केबल, कंप्यूटर इंटरनेट, फैक्स, सेल्युलर, पेजर, दूरमुद्रक, इलैक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, सिनेमा, दूरभाष तथा अन्य अनेक विद्युतीय माध्यमों ने भी हिंदी के प्रचार—प्रसार को नई शक्ति एवं नई दिशा प्रदान की है। यांत्रिक तथा इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा हिंदी के कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों तथा अनेक सरकारी—गैर सरकारी संस्थानों में आविष्कार किए जा रहे हैं तथा उनसे जन—मानस को अवगत कराया जा रहा है।

हिंदी में कंप्यूटर का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए एक सी०डी का निर्माण भी भारत सरकार के राजभाषा—विभाग ने किया है। इसके द्वारा एम. एस. वर्ड के साथ—साथ हिंदी का प्रयोग, इंटरनेट तथा ई—मेल आदि की विस्तृत एवं सहज जानकारी भी हासिल की जा सकती है। इस दिशा में हिंदी में निःशुल्क कंप्यूटर—प्रशिक्षण की सरकारी योजना भी अत्यंत कारगर सिद्ध हुई है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र तथा ई.आर. एंड डी.सी.आई., नोएडा ने हिंदी भाषा के कंप्यूटरीकरण की दिशा में अत्यंत दुर्लभ कार्य किए हैं।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का एक और बहुत बड़ा लाभ हिंदी को मिला है और वह है— अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी का व्यापक स्तर पर अवतरण। इससे पहले यह महत्वपूर्ण कार्य हिंदी सिनेमा कर रहा था। किंतु दूरदर्शन, रेडियो, केबल, इंटरनेट, ई—मेल, पेजर, सैल्युलर आदि ने इस दिशा में गंभीर एवं सकारात्मक भूमिका निभाई है। निश्चय ही इन माध्यमों से हिंदी के वर्तमान संवेदनात्मक एवं संपर्क—भाषा—स्वरूप में परिवर्तन आया है। यह परिवर्तन कहीं—कहीं अंग्रेजी मिश्रण से विकृत भी जान पड़ता है, किंतु यदि हम मात्र साहित्य से हिंदी भाषा को जीवित नहीं रख पा रहे, या कहें कि मृतप्रायः बना रहे हैं तो इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी से भाषा को जोड़ने के कुछ खतरे तो उठाने ही होंगे। यदि देश की सीमा लाँघकर अहिंदी भाषियों और विदेशियों तक हम हिंदी भाषा को अंग्रेजी का छोंक लगाकर पहुँचा रहे हैं, तो यह सराहनीय हो या ना हो, पर निंदनीय इसीलिए नहीं लगता क्योंकि कोशिश, भाषा की अस्मिता को बरकरार रखने की है। भाषा यदि तथ्यात्मक, सूचनात्मक, संवेदनाशून्य बन रही है तो इसका भी एक सुनिश्चित प्रयोजन है। साहित्य में हिंदी भाषा के विविध प्रयोग उपलब्ध हैं। वह हमारे स्वर्णिम विकास तथा समृद्धि के द्योतक भी है किंतु उसके आगे भी तो बढ़ना होगा। कहीं इतिश्री नहीं है। भाषा गति चाहती है। निरंतर प्रवाह ही उसे संजीवनी प्रदान करता है। उत्तर मध्यकालीन

हिंदी साहित्य में जैसे दरबार–आश्रय एक विवशता थी, अन्यथा दो सौ वर्षो तक हम साहित्य तथा भाषा से वंचित हो जाते, ठीक वैसे ही आज की जरूरत है कि हम हिंदी को साहित्य मात्र की चाहरदीवारी के बाहर निकालें और उसे नए–नए क्षेत्रों, प्रयोगों–अनुप्रयोगों से जोड़े।

वास्तव में आज जरूरत इस बात की है कि या तो हिंदी भाषी तथा हिंदी के विद्वान लोग साहित्यकार, पत्रकार, कलाकार, अध्यापक–प्राध्यापक विज्ञान तथा तकनीकी, उद्योग तथा प्रौद्योगिकी के विषयों को, अनुशासनों को हिंदी में लाएँ या इन क्षेत्रों और अनुशासनों के विशेषज्ञ हिंदी के माध्यम से इन विषयों को जन–जन तक पहुँचाएँ। इससे ज्ञान एवं प्रतिभा का दोहरा विकास होगा और अंततः राष्ट्र प्रगति करेगा।

अब भाषा स्वयं उपभोक्तावादी संस्कृति का हिस्सा तो बन ही रही है, साथ ही उपभोग, व्यवसाय तथा इसके संप्रेषण का माध्यम भी बन रही है। पहले लौह–तंत्र से जुड़ी रही इस भाषा की कठोरता को हमें पचाना होगा। फिर धीरे–धीरे इन क्षेत्रों में भी सहजता–संवेदनात्मकता की सोच पैदा करनी होगी।

वास्तव में सूचना का उपयोग अब एक तकनीकी प्रक्रिया के द्वारा उपभोक्ता की दृष्टि से किया जाने लगा है। भारत अब मात्र हरित–क्रांति का ही नहीं, श्वेत क्रांति और ब्लैक–डायमंड का भी देश बन गया है। भाषाई क्रांति और मशीनीकरण के गठबंधन ने सूचनाओं के अपार भंडार को उपादेयता से जोड़कर उनका व्यावसायीकरण कर दिया है। यदि दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर हमें चलना है और उससे आगे निकलें या न निकलें, उससे पीछे नहीं रहना है तो राजभाषा हिंदी को सक्षम, समर्थ एवं दक्ष बनाते हुए सूचना तथा संचार–'प्रौद्योगिकी से पूरी तरह जोड़ना होगा। संचार–साधन के अद्यतन रूपों में उपग्रहों (सैटेलाइट्स) की आवश्यकता भी पड़ती है। पश्चिमी देशों से आयातित इस परिकल्पना के माध्यम से हम आँकड़ों और सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु देश–विदेश के अनेक दूरस्थ कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर– इंटरनेट (Internet) का रूप प्रदान करते हैं। आज यदि भारत में बैठकर हम अपने व्यवसाय, रोजगार या परियोजना आदि को विदेशों में बैठे लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो हम किसी भी ऐसी भाषा के माध्यम से जो कि वहाँ कंप्यूटर पर उपलब्ध हो जहाँ सूचना भेजनी हो, इस कार्य को सहज ही कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यदि अमेरिका में, रूस में, चीन में या इसी प्रकार अन्य देशों में हम हिंदी में सूचना भिजवा रहे हैं तो वहाँ के लोग हिंदी न जानने के कारण उसका अनुवाद अपनी भाषा में कराएँगे और अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे परिणामतः हिंदी का विस्तार होगा ही। इसी प्रकार 'वेबसाइट' का उपयोग भी 'इंटरनेट' पर किया जाता है। उसके लिए भी भाषा का माध्यम अनिवार्य होता है। ऐसे में हिंदी ने आज इन सभी अवरोधों को पार कर दिया है। देश–विदेश की तमाम भाषाओं में अब हिंदी तथा अंग्रेजी सूचनाओं को अनुवाद के माध्यम से पहुँचाया जा रहा है। आज का युग विज्ञापन का युग भी है और विज्ञापन के मूल में भी भाषा तथा अनुवाद की शक्ति कार्यरत है। विवाह का विज्ञापन, कार, स्कूटर, मोटर बाइक आदि वाहनों के खरीदने–बेचने के विज्ञापन, व्यक्ति या वस्तु के खाने–पीने के विज्ञापन, जीवन–मरण के विज्ञापन, जनहित के सरकारी अथवा गैर सरकारी विज्ञापन, निविदा, रोजगार तथा इसी प्रकार के अन्य अनेक विज्ञापनों को अब या तो मूलतः हिंदी–लिखित रूप में या हिंदी में अनूदित रूप में देखा जा सकता है। प्रिंट तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में 'विज्ञापन की भाषा हिंदी' ने अपना एक नया मुहावरा पैदा किया है, अपना एक नया तेवर प्रकाशित किया है। इस आधार पर यह तो स्पष्ट ही है कि 'भूमंडलीकरण' अथवा 'वैश्वीकरण' की आधुनिक अवधारणा को सूचना एवं भाषा–प्रौद्योगिकी ने साकार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सूचना प्रौद्योगिकी से हिंदी को जोड़ने पर कुछ अत्यंत सुखद परिणाम स्पष्टतः दिखाई देते हैं। एक तो जन–मानस से जुड़ी भाषा हिंदी 'एलीट क्लास' से भी जुड़ गई; कामकाज, खेल–जगत, शेयर–मार्किट, वित्त–वाणिज्य, आँकड़े, कार्टून से जोड़ती चली

गई। आई.टी. (Information Technology) की कार्य पद्वति में हिंदी के जुड़ने के कार्य में तेजी आ गई, गुणवत्ता आ गई, सामाजिक प्रतिष्ठा का उन्नयन हो गया, कार्य–क्षेत्र विस्तृत हो गया, सौंदर्य चेतना का समावेश हो गया, पारदर्शिता आ गई, चयन की सुविधा हो गई, समय और धन की बचत होने लगी, आत्म–प्रसार के अवसर खुल गए, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का भाव पैदा हो गया ओर इन सबसे बढ़कर कुएँ से निकलकर भाषा अथाह अपार समुद्र में विस्तार पाने लगी।

अतः भारतीय समाज के प्रत्येक नागरिक को विश्व– समाज से जोड़ने के मिशन में हिंदी सूचना–प्रौद्योगिकी की सशक्त माध्यम है।

'इंटरनेट' के लिए जिस एक विश्व–भाषा को विकसित किए जाने का विचार है, उसमें हिंदी भी अवश्य शामिल होगी। इससे कम से कम समय में पूरा राष्ट्र सूचना–प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपनी संस्कृति, अपने विचार, अपनी प्रतिभा और अपनी उपलब्धियों से विश्व–मानव को तत्काल अभिभूत कर सकेंगे। एकरूपता तथा प्रमाणिकता की दिशा में हिंदी भाषा और तेजी से अग्रसर हो सकेगी। शिक्षा, ज्ञान, शोध तथा विचार–विनिमय का विस्तार हो सकेगा।

आज आवश्यकता है कि हम एक, पूर्णतः विकसित तथा वैश्विक दौड़ में अद्यतन सिद्ध होने वाले नए भारत का निर्माण करें। इसके लिए हमें कुछ भाषाई परिवर्तनों को, बदलते मुहावरों को स्वीकारना होगा। पहले निर्माण फिर परिष्कार के सिद्धांत को अपनाते हुए हमें इस प्रौद्योगिकी की तमाम चुनौतियों का सामना करना होगा। हिंदी का वर्चस्व तभी दिनोंदिन बढ़ेगा। तोते, कौए, भौरें, कबूतर या बाज के माध्यम से संप्रेषण तथा वैचारिक आदान–प्रदान का युग अब प्रासंगिक नहीं। धीरे–धीरे समाज में, व्यवस्था में तथा मानव–समुदाय में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन्हें हमें सहर्ष स्वीकारना चाहिए। अतः यह तकनीक का युग है। सूचना की भी एक खास तकनीक और उस तकनीक के लिए भी एक सशक्त भाषा चाहिए होती है। हिंदी इस दृष्टि से हर तरह से समर्थ, सक्षम एवं सर्वस्वी भाषा है। संसार की किसी भी दु:सह, कठिन, विस्तृत, कोडपरक अथवा अन्य कैसी भी अवधारणा को आत्मसात् करने की शक्ति हिंदी के पास है।

अब ई–मेल, टेलीनेट, ई–कॉमर्स, ई–कॉमर्स, ई–गवर्नेंस, ई–विजिलेंस, ई–एजुकेशन, टेलीमेडिसन, साइबर कैफे या साइबर ढाबे तथा ई–कंटेंट का युग है। सूचना–प्रौद्योगिकी के सहस्र हाथ हैं। इन सभी हाथों की शक्ति अब हिंदी बन रही है। अब शब्दकोश से विश्वकोश की ओर अग्रसर होने का युग है। सूचना–तंत्र की जादुई शक्ति अब विश्व–भर में बैठे मानस को तुरंत शक्तिमान बना रही है। इस शक्ति–स्रोत में हिंदी की भूमि निरंतर बढ़ रही है। भाषा का आधुनिकीकरण हो रहा है। नए पारिभाषिक शब्द विदेशी अवधारणाओं को आत्मसात कर हमारे ज्ञान–लोक को आलोकित कर रहे हैं। सभी प्रेस सूचना कार्यालय, फिल्म्स डिवीजन, संदर्भ तथा अनुसंधान निदेशालय, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संग्रहालय, रजिस्ट्रार न्यूज पेपर्स ऑफ इंडिया, फिल्म संबंधी केंद्रीय बोर्ड तथा फिल्म उत्पादों के निदेशालय आदि अनेक संस्थान सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पानी के बहने की राह बनाने में देर लगती है। एक बार छिद्र मिल जाए, फिर तो धीरे–धीरे राह बढ़ती–खुलती जाती है। हिंदी ने भी अभेद दुर्ग निशाने पर रख दिए हैं। अब वह दिन दूर नहीं लगता, जब हिंदी विश्व की भाषा बन चहुँमुखी विकास करेगी। पूरे परिदृश्य को देखें तो यह स्पष्टतः प्रकट है कि हिंदी का वर्चस्व बाजारवाद, उपभोक्तावाद, व्यवसायवाद तथा रोजगारवाद की अन्य अनेकानेक संभावनाओं के साथ–साथ बढ़ रहा है। हमें फिलहाल हिंदी में अंग्रेजी या हिंदी में तकनीकी स्पर्श, दुरुहता–विकटता तथा असहजता, शुष्कता जैसी बातें छोड़कर इस भागीरथ–रत्न को नैरंतर्य एवं गति प्रदान करनी होगी। यही हिंदी अंततः अन्य भारतीय भाषाओं के भी समस्त बैरियर तोड़ते हुए उन्हें विश्व–मंच पर ले जाने का कार्य करेगी।

डी–67, शुभम इंक्लेव,
पश्चिम विहार नई दिल्ली–110063

हिंदी के प्रयोग के लिए तकनीकी सुविधाएं

केवल कृष्ण

1. यूनिकोड एनकोडिंग क्यों?

यूनिकोड मानक सर्विक करैक्टर इनकोडिंग मानक है जिसका प्रयोग कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए टेक्स्ट के निरूपण के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पर एकरूपता के लिए एकमात्र विकल्प कैरेक्टर इनकोडिंग के लिए यूनिकोड है। इससे हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर पर अंग्रेजी की तरह ही सरलता से 100 प्रतिशत कार्य किया जा सकता है, कंप्यूटर पर हिंदी में सभी कार्य जैसे– वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, ई–मेल, वैबसाइट निर्माण आदि किए जा सकते हैं, हिंदी में बनी फाइलों का आसानी से आदान–प्रदान तथा हिंदी की–वर्ड पर गूगल या किसी अन्य सर्च इंजन पर सर्च कर सकते हैं।

राजभाषा विभाग ने अंतर्राष्टीय स्तर पर एनकोडिंग की एकरूपता को ध्यान में रखते हुए सभी केंद्रीय कार्यालय को कंप्यूटरों में यूनिकोड एनकोडिंग प्रणाली अथवा यूनिकोड समर्थित ओपन टाइप फोंट का ही प्रयोग करने का निदेश दिया है। परंतु, कंप्यूटर परिचालन से संबंधित छोटी छोटी जानकारी के अभाव में कई केंद्रीय कार्यालय इस निःशुल्क सुविधा की जगह विभिन्न प्रकार के फोंट और बहुभाषी सॉफ्टवेयरों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे सूचना हस्तांतरण में तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस कारण हिंदी की फाइलों को, अंग्रेजी की तरह आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, आदान प्रदान (transfer) नहीं कर पाते हैं। हिंदी पाठ (text) को दूसरे सॉफ्टवेयर में जोड़ने (paste) में भी समस्या आती है। अतः सभी मंत्रालय एवं अधीनस्थ कार्यालय/उपक्रम/सरकारी बैंक केवल यूनिकोड समर्थित फोंट एवं यूनिकोड एनकोडिंग के अनुरूप सॉफ्टवेयर का ही प्रयोग करें। यूनिकोड एनकोडिंग को install/use करना बहुत आसान है। इसकी जानकारी राजभाषा विभाग की साइट (http://hindietools.nic.in) पर भी उपलब्ध है। The latest electronic version of the Unicode Standard can be found at यूनिकोड साइट www.unicode.org, यूनिकोड कंसोर्शियम के प्रकाशनों में यूनिकोड मानक के साथ इसके अनुलग्नक और वर्ण शामिल हैं http://www.unicode.org/ucd/

2. यूनिकोड का महत्व तथा लाभ

- एक ही दस्तावेज में अनेकों भाषाओं के (टेक्स्ट) text लिखे जा सकते है।
- किसी सॉफ्टवेयर उत्पाद का एक ही संस्करण पूरे विश्व में चलाया जा सकता हैं क्षेत्रीय बाजारों के लिए अलग से संस्करण निकालने की जरूरत नहीं पड़ती।

3. कंप्यूटरों में हिंदी में कार्य करने के लिए 3 की–बोर्ड विकल्प हैंः–

- इंस्क्रिप्ट
- रेमिंग्टन
- फोनेटिक

4. नॉन–यूनिकोड हिंदी सामग्री को यूनिकोड सामग्री में परिवर्तित करना

यह टूल एक फॉन्ट में लिखे गए डाटा को दूसरे फॉन्ट में बदलता है। यह कई तरह की फाइलों पर इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे– माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, टैक्सट फाइल इत्यादि।

सभी प्रकार के स्टोरेज एवं फोंट कनवर्टर डाउनलोड करने के लिए http://bhashaindia./com से TBIL Converter 32-bit 4.1 तथा TBIL Converter 64-bit 4.1 डाउनलोड कर सकते हैं। इस पैकेज के माध्यम से भी नॉन–यूनिकोड सामग्री को यूनिकोड आधारित मंगल फोंट में बदला जा सकता है।

5. गूगल वाइस टाइपिंग

अपनी आवाज के साथ टाइप करें, जिसे आसान तरीके से दस्तावेज़ में अपनी आवाज के साथ टाइप कर सकते हैं।

फिलहाल, यह सुविधा ''क्रोम ब्राउज़र'' में ही उपलब्ध है।

- सबसे पहले यह सुनिश्चित करें की आपके कंप्यूटर से एक माइक्रोफोन जुड़ा हुआ है और वह काम करता है तथा एक जी–मेल का यूजर आईडी–पासवर्ड होना जरूरी है।
- Chrome ब्राउज़र में http://docs.google.com ओपन करें। जी–मेल आईडी से लोगिन करें।
- गूगल डॉक्स में एक नया दस्तावेज़ खोजें।
- उपकरण (Tools) मेनू > वॉइस टाइपिंग (Voice Typing) पर क्लिक करें। पॉप–अप माइक्रोफोन बॉक्स से भाषा (हिंदी) का चयन करें।
- आप पाठ में बोलने के लिए तैयार हैं तो माइक्रोफोन बॉक्स पर क्लिक करें।
- सामान्य गति और वोल्यूम से स्पष्ट रूप से अपना पाठ बोलें।
- रोकने के लिए माइक्रोफोन पर पुनः क्लिक करें।

वॉइस टाइपिंग की गलतियों में सुधार

आवाज के साथ टाइप करते हुए अगर गलती हो जाए तो गलती पर कर्सर ले जाकर और माइक्रोफोन से पुनः बोल कर ठीक कर सकते हैं। गलती सुधारने के बाद, आप आवाज टाइपिंग जारी रखना चाहते हैं, वहां कर्सर वापस ले जाए।

6. हिंदी स्वयं शिक्षण – लीला – प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ पाठ्यक्रम

यह पैकेज विश्व रूप से सरकारी एवं अर्धसरकारी कार्यालयों कें, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, निगमों और बैंकों के उन कर्मचारियों के लिए लाभप्रद हैं, जो हिंदी में सभी कार्यालयीन क्रियाकलापों को संपादित करने के लिए क्षमता अर्जित करना चाहते हैं।

इस पकैज का पूर्ण उपयोग करने के लिए प्रयोक्ता को हिंदी प्रवीण स्तर तक का वाचिक और लिखित हिंदी का पूर्व कार्यसाधक ज्ञान होना आवश्यक है। हालंकि, इसके अतिरिक्त इसका उपयोग वे लोग भी कर सकेंगे जिनकी मातृभाषा हिंदी तो हैं किंतु इसकी भाषा–संरचना, अभिव्यक्ति और कार्यालयीन हिंदी की तकनीकी शब्दावली के अभाव में कार्यालयीन कार्य को हिंदी में करने में अपने को पूर्णतः सक्षम नहीं कर पाते। समान रूप से यह पैकेज अध्यापकों के लिए शिक्षण में पूरक सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग किए जाने हेतु भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस पैकेज का प्रयोग वैयक्तिक रूप में करने के साथ ही विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से सामूहिक स्तर पर भी हो सकता है।

लीला (LILA-Learn Indian Languages through Artificial intelligence) स्वयं शिक्षण मल्टीमीडिया पैकेज है। मोबाइल तथा वैब पर लीला हिंदी स्वयं–शिक्षण पैकेज के पाठ्यक्रम कई भाषाओं (अंग्रेजी, कन्नड, मलयालम, तमिल, तेलुगु, बंगला, असमी, उड़िया, मणिपुरी, मराठी, पंजाबी, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली तथा बोडो) के माध्यम से हिंदी सीखने के लिए, निःशुल्क उपलब्ध है।

Android based मोबाइल तथा टैबलेट में Play Store से lila-rajbhasha एप्प डाउनलोड कर सकते हैं।

वैब वर्जन http://hindietools.nic.in या http://lilappp.rb-aai.in/ पर निःशुल्क उपलब्ध।

7. मशीन अनुवाद

क) भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रावधान के अंतर्गत Machine Assisted Translation Tool (Tourism, Health & Agriculture domain) www.tdil-dc.gov.in

ख) मंत्र–राजभाषा एक मशीन साधित अनुवाद सिस्टम है, जो राजभाषा के प्रशासनिक, वित्तीय, कृषि, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य रक्षा शिक्षा एवं बैंकिंग क्षेत्रों के दस्तावेजों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करता है। मंत्र टैक्नॉलाजी पर आधारित यह सिस्टम राजभाषा विभाग द्वारा सी–डैक, पुणे के एप्लाइड आर्टिफिशियल इंटैलीजैंस ग्रुप की मदद से विकसित कराया है। https://mantrarajbhasha.rb-aai.in तथा http://hindietools.nic.in के माध्यम से।

ग) गूगल अनुवाद www.translate.google.com गूगल अनुवाद fast एवं General Purpose है www.translate.google.com/toolkit गूगल में अकाउंट बनाकर अनुवाद करने पर, मेमोरी में ले लेता है जिससे भविष्य में simillar text आने पर सही अनुवाद करता है।

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली

हिंदी की विकास यात्रा

वीरेन्द्र मोहन

हिंदी भाषा ने अपनी विकास यात्रा के एक हजार से अधिक वर्षों के दरम्यान अनेक चुनौतियों और संघर्षों का सामना किया है। प्रत्येक संघर्ष और चुनौती ने उसे एक नयी शक्ति प्रदान की है। हिंदी की विकास यात्रा न केवल भारतीय समाज के अनेक संघर्षों की साक्षी, है। बल्कि इसमें उसकी सक्रिय भागीदारी भी रही हैं इस विकास यात्रा में उसका स्वरूप भी बदलता रहा है। देश के स्वाधीनता आंदोलत की तो वह संवाहिका ही रही है। इसलिए स्वाधीनता सेनानियों ने अपनी मातृ–भाषा के स्थान पर हिंदी को ही अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। महात्मा गांधी से लेकर सुभाषचन्द्र बोस तक ने हिंदी की इस शक्ति को पहचाना है। हिंदी की मूल शक्ति उसका सामासिक रूप है जो जाति, धर्म–सम्प्रदाय और क्षेत्र की सीमाओं का अतिक्रमण करता है। जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही कहा था कि देश भर को बॉधने के लिए, भारत के भिन्न–भिन्न हिस्से के लोग आपस में संबंधित रहें, इसके लिए हिंदी की जरूरत है। वस्तुतः हिंदी पूरे राष्ट्र को जोड़ने वाली, पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बॉधने वाली संपर्क भाषा है।

पर्यटन, व्यापार आदि के माध्यम से, संतों–भक्तों और समाजसुधारकों के माध्यम से हिंदी ने अपना एक अंतरप्रांतीय रूप विकसित किया। महात्मा गांधी ने सच ही कहा था कि पॉच लक्षणों से युक्त हिंदी भाषा की समानता करने वाली दूसरी कोई भाषा है ही नहीं। हिंदी भाषा का निर्माण राष्ट्रभाषा के योग्य ही हुआ और वह बरसों पहले राष्ट्रभाषा की भॉति व्यवहृत हो चुकी है। हमारा मतलब तो सिर्फ यह है कि विभिन्न प्रांतों के पारस्परिक संबंधों के लिए हम हिंदी भाषा सीखें। ऐसा कहने से हिंदी के प्रति हमारा कोई पक्षपात प्रकट नहीं होता। हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं। वह राष्ट्रीय होने के लायक है। वही भाषा राष्ट्रीय बन सकती है, जिसे अधिक संख्या में लोग जानते हों, बोलते हों और जो सीखने में सुगम हो। मैं हिंदी के जरिए प्रांतीय भाषाओं को दबाना नहीं चाहता, किंतु उनके साथ हिंदी को भी मिला देना चाहता हूँ, जिससे एक प्रांत दूसरे के साथ अपना सजीव संबंध जोड़ सके। इससे प्रांतीय भाषाओं के साथ हिंदी की भी श्रीवृद्धि होगी।

स्वाधीनता आंदोलन के समय जिस भाषा को एक अखिल भारतीय पहचान मिली, स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् उसके संघर्ष को भुलाकर उसे राजनीतिक दुश्चक्र की स्थितियों से भी गुजरना पड़ा। राष्ट्रभाषा के रूप में उसकी स्थिति आज भी स्पष्ट नहीं है और राजभाषा के रूप में उसकी पदवी अलंकरण बन कर रह गई है। आजादी प्राप्त होने के पश्चात् प्रांतों के भाषावार विभाजन ने भाषायी समस्या और संघर्ष को जन्म दिया। प्रादेशिक या क्षेत्रीय स्तर पर जो भाषाएॅ लिख–पढ़ी और बोली जाती है, उनके लिए भी संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। संविधान की अष्टम अनुसूची में अठारह भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता मिली है। यहीं से हिंदी की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। स्वाधीनता प्राप्ति के साथ ही जब राष्ट्र के लिए एक संविधान, एक राष्ट्रीय ध्वज और एक ही राष्ट्रगान को मान्यता प्रदान की गई, तब पूरे देश के लिए एक ही राष्ट्रभाषा अर्थात् हिंदी को भी मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता थी। परन्तु ऐसा नहीं हो सका। इसलिए शासन के स्तर पर हिंदी को आज

तक राष्ट्रभाषा की मान्यता प्राप्त नहीं है। आज भी यह समस्या ज्यों–की–त्यों बनी हुई है।

राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा नियम 1975 बनाये जाने के बावजूद आज भी हिंदी को अंग्रेजी की बैशाखी के सहारे चलना पड़ रहा है, जब कि संविधान की अष्टम अनुसूची में अंग्रेजी भारतीय भाषा नहीं मानी गई है। शासन अंग्रेजी को मान्य भाषा के रूप में मानकर अपना कर कार्य कर रहा है। शासन के अनेक निकायों में, कार्यपालिका और विधायिका में अंग्रेजी का प्रयोग गौरव और श्रेष्ठता की पहचान बनता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनमानस की राष्ट्रीय भावना के कमजोर हो जाने का खतरा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। हमारा समाज अंग्रेजी और गैर–अंग्रेजी जैसे खण्डों में बंटता जा रहा है। राष्ट्रीयता के लिए एक खतरा उत्पन्न हो गया है। त्रिभाषा फार्मूला भी हमारी कोई सहायता नहीं कर पा रहा है। अतः आज एक नए संकल्प की आवश्यकता है, जो भाषायी आधार पर हो रहे विभाजन को, अंग्रेजी के बढ़ते बर्चस्व को समाप्त कर देश की सांस्कृतिक एकता को मजबूत कर सके। इसके लिए हिंदी को रोजगारोन्मुखी बनाना पहली आवश्यकता है।

आज हिंदी की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। चाहे–अनचाहे वे शक्तियॉं भी हिंदी की सत्ता को स्वीकार कर रही हैं और उसको अपनी प्रगति का माध्यम बना रही है जो कल तक हिंदी को पिछड़े हुए समाज की भाषा मानतीं थीं। परंतु इतने मात्र से संतोष कर लेना, हिंदी को उसकी उच्चतर अवस्था में ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चीनी भाषा और अंग्रेजी भाषा के बाद विश्व में हिंदी भाषा का तीसरा स्थान है। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ में, अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को व्यापक स्वीकृति मिलनी चाहिए। इस दिशा में सरकारी और गैर–सरकारी उपक्रमों की भूमिका महत्वपूर्ण है। स्वाधीनता के पश्चात् हिंदी भाषा ने अपनी शब्द–सम्पदा में अप्रत्याशित प्रगति की है। छपे हुए शब्दों की पहुँच का विस्तार हुआ है और संचार माध्यमों ने हिंदी को एक नया मंच प्रदान किया है। हिंदी में नवागत शब्दों को व्यापक स्वीकृति मिली है। हिंदी का प्रयोग करने वालों की संख्या बढ़ी है। विश्व के अनेक देशों में हिंदी भाषा–समाज की उपस्थिति ने जो कार्य किया है, वह हिंदी के विस्तार का ही सूचक है। अप्रवासी भारतीयों ने मारीशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, ट्रिनिडाड एवं टुबैगो जैसे देशों में हिंदी की अलख जगाई है। इन देशों के सर्जक–रचनाकारों का योगदान हिंदी के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ है। इसी के साथ ही हमारे पड़ोसी देशों में भी हिंदी की स्थिति निरंतर सुदृढ़ होती जा रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमर आदि देश हिंदी की उन्नति में सहायक हो रहे हैं। हिंदी निरंतर रोजगार और व्यवसाय का माध्यम बनती जा रही है। हिंदी भाषी समाज ही इसका मुख्य आधार हैं। इसलिए वे देश भी आज हिंदी को गले लगा रहे हैं जो कल तक हिंदी को हिकारत की दृष्टि से देखते रहे हैं। आज विश्व के सभी महाद्वीपों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा मिल रहा है और हिंदी के अध्ययन ओर अध्यापन की नवीन व्यवस्थाएँ की जा रही है। प्रवासी भारतीयों की एक बड़ी संख्या अमेरिका, यूरोप और आस्ट्रेलिया महाद्वीपों में रह रही है। इन महाद्वीपों के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था है। जर्मनी के लगभग डेढ़ दर्जन विश्वविद्यालयों में हिंदी के स्वतंत्र विभाग अध्ययन–अध्यापन और शोध के कार्य से जुड़े हैं। अनेक ऐसे देश भी है जहां देवनागरी लिपि के साथ रोमन लिपि में भी हिंदी लिखी जा रही है, सूरीनाम ऐसा ही देश है। भारत में भी व्यावसायिक कारण ों से रोमन लिपि में हिंदी लिखी जा रही है। परंतु देश के भीतर ऐसा होना दुःखद है। देवनागरी लिपि के रहते रोमन लिपि का प्रयोग हमारी भाषा की लय को नष्ट कर रहा है। भाषा की स्वाभाविक लय के लिए देवनागरी लिपि ही एकमात्र लिपि है, जो हमारे संस्कारों की भी अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त है। हिंदी भाषा को बाजारवाद के खतरों से बचाना भी उतना ही आवश्यक है, जितना उसे बाजार के

अनुरूप बनाना।

हिंदी को उसके इस मुकाम तक पहुचानें में हिंदी सेवी संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, हिंदी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास के साथ ही गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आदि प्रांतों की हिंदी प्रचार सभाओं, राष्ट्रभाषा सभाओं तथा पीठों का अवदान ऐतिहासिक है। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में 29 दिसम्बर 1905 को बाल गंगांधर तिलक ने यह घोषणा की थी कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। उन्होंने यह घोषणा तक की थी जब अंग्रेजी सत्ता के आधिकारिक दफ्तरों में देवनागरी लिपि के प्रवेश के लिए किया गया आन्दोलन सफल हुआ था और कचहरियों तथा कार्यालयों में हिंदी में मात्र प्रार्थना–पत्र देने की स्वीकृति अंग्रेजी सरकार ने प्रदान की थी। एक शताब्दी के पश्चात् भी अभी हिंदी को उसकी मंजिल प्राप्त नहीं हुई है। यद्यपि हिंदी के विकास की दिशा में हो रहे प्रयत्नों को नकारा नहीं जा सकता है। हिंदी के बढ़ते प्रभाव को बिना किसी अवरोध के स्वीकार कर हम राष्ट्रीयता की भावना को अधिक व्यापक तथा उदार बना सकते हैं। अंतंतशयनम् अप्यंगार ने कहा था कि विभिन्न प्रांतीय भाषाओं का अपना प्राचीन इतिहास और साहित्य है, अतः उनकी स्थिति अक्षुण्ण रहना भी आवश्यक है, परंतु अपने अंतरप्रांतीय संपर्क के लिए हमें एक भाषा चुननी ही पड़ेगी। प्रजातंत्रीय देश में अधिकतम जन समुदाय में बोली और समझी जानी वाली भाषा ही यह कार्य सम्पादित कर सकती है। इस दृष्टि से एक मात्र हिंदी ही इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। हिंदी के राष्ट्रभाषा बन जानें पर प्रत्येक प्रांत का आपस में घनिष्ट संपर्क होगा, अंतरप्रांतीय साहित्य–संगम होगा और एक स्थल पर प्रकट हुए ज्ञान का लाभ देश की समस्त भाषाओं और उनके बोलने वालों को अनायास ही प्राप्त हुआ करेगा। इस प्रकार हमारी एक भाषा होने से हमारी एक संस्कृति और हमारा एक सुदृढ़ शक्तिशाली राष्ट्र होगा। अय्यंगाराजी के इस कथन को अभी फलीभूत होना बाकी है। हमारा प्रयास लगातार इस दिशा में होना चाहिए। वस्तुतः हिंदी को इस अवस्था तक पहुँचाने के लिए केवल शासकीय प्रयत्न ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए गैर–सरकारी प्रयासों की भी महती आवश्यकता है।

संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस दिशा में जो प्रयत्न हुए वे हिंदी के विकास और प्रचार–प्रसार में सहायक हुए। हिंदी प्रशिक्षण जैसी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया। अनेक संकल्प पारित किए गए। यहॉ तक कि 1975 में राजभाषा विभाग का भी गठन किया गया और 1976 में संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई। इतना ही नहीं 1977 में तत्कालीन विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण सभा को हिंदी में संबोधित किया। ऐसे प्रयास हिंदी की विकास यात्रा के महत्वपूर्ण चरण कहे जा सकते हैं। शासकीय स्तर पर हिंदी के उत्थान के लिए, हिंदी के निर्माण के लिए संस्थानों के कार्य की सराहना की जा सकती है। केंद्र और राज्य स्तर पर अनेक कार्य किए जा रहे हैं, फिर भी इन कार्यों की एक सीमा होती है। आज पुरस्कार की संस्कृति विकसित हो गई हैं। अनुवाद की संस्कृति विकसित हो गई है। वैश्वीकरण के प्रभावों को इंकार नहीं किया जा सकता है। बाजार ने नई–नई जरूरतों को जन्म दिया है। तकनीकी ने हमारी परंपरागत धारणाओं में परिवर्तन ला दिया है, फलतः हिंदी के प्रति भी धारणा मे परिवर्तन हो रहा है। हिंदी का अपना बाजार हो गया है और बाजार के नियम यदि हमारे संवेदन तंतु को प्रभावित कर रहे हैं तो भाषा भी इसके प्रभावों से नहीं बचेगी। इसलिए हिंदी को अपनी विकास यात्रा में नए संघर्षो ओर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इन संघर्षो से गुज़रे बिना

हिंदी को उसकी मंजिल प्राप्त होगी, इसमें संदेह है।

यह विडंबना ही कहीं जाएगी कि हिंदी भाषा की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति और अन्य भारतीय भाषाओं के संवर्द्धन के लिए जितने भी प्रयास किए गए, वे अधिकांशतः राजनीति के शिकार हुए, चाहे आयोगों का गठन हो या विभिन्न नियमों–अधिनियमों का प्रावधान। राजभाषा के अनेक संकल्प भी पारित किए गये, परंतु राजभाषा की स्थिति जस–की तस बनी हुई है। अंग्रेजी का वर्जस्व सभी भारतीय भाषाओं पर, अष्टम अनुसूची की भाषाओं पर भारी पड़ रहा है। वस्तुतः भाषा का प्रश्न राजनीति का प्रश्न बन गया और भाषा के मर्मज्ञों की अनदेखी की गई। यद्यपि आरम्भ से ही राष्ट्रभाषा के प्रश्न को जनता और बौद्धिक समाज से दूर रख गया, फिर भी भारतीय भाषाओं के समाज में हिंदी के सम्मान की रक्षा के अथक प्रयास किए। यदि राष्ट्रभाषा का प्रश्न भारतीय जनता के लिए छोड़ दिया जाता तो संभव है न केवल हिंदी बल्कि दूसरी भारतीय भाषाओं का भविष्य और बेहतर होता। शासन और सरकारी कार्यालयों में हिंदी आज अनुवाद की भाषा बन कर रह गई है। यह एक वास्तविकता है।

हिंदी भाषा ने दूसरी भाषाओं के विकास और उन्नति में सदैव सहयोग दिया है। हिंदी की शब्द–सम्पदा का एक बड़ा भाग हिंदीतर भाषाओं से आया है। यह इस बात का प्रमाण है कि हिंदी एक उदार और सर्व–समावेशी भाषा हैं। हिंदी की इन्हीं विशेषताओं के कारण हिंदी भाषी विद्वानों ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। गुजराती भाषी महात्मा गाधी, महर्षि दयानन्द, बांगलाभाषी क्षितिमोहन सेन, शानदाचरण मित्र, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, मराठी भाषी बाल गंगाधर तिलक, गोपालकृष्ण गोखले, पंजाबी भाषी लाला लाजपत राय एवं दक्षिण के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा मोटूरी सत्यनारायण ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में पहचान दी। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के वर्चस्व और एकाधिकार को यदि स्वीकार कर लिया जाता तो संभव है अंग्रेजी मानसिकता का प्रभाव अपनी हदों में रहता और भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी की अन्तः क्रिया भी अधिक व्यापक होती। इसके विपरीत अंग्रेजी आज न केवल बिचौलिया और मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रही है, बल्कि अब हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को निर्देशित भी कर रही है। अनुवाद की संस्कृति में अगरेजी पहले स्थान पर है। सरकारी काम–काज में अगरेजी से हिंदी में अनुवाद की उलटी गंगा बह रही है। आज हिंदी का स्थान कार्यालयीन हिंदी ने ले लिया है, यह कार्यालयीन हिंदी राजभाषा हिंदी का ही एक संस्करण है। हिंदी के पाठ्यक्रमों में प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रभाव बढ़ रहा है। फलतः भाषा के माध्यम से, उसकी रचनाओं के माध्यम से जिन मूल्यों का संरक्षण और विकास हो रहा था, वे मूल्य अब इतिहास की बात होते जा रहे हैं। जो उत्तर आधुनिक विमर्श भाषा के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं, वे इतिहास को रौंदकर, उसे नष्ट कर या तोड़–मरोड़ कर हमारी संवेदना और अस्मिता को भी नष्ट कर रहे है। हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास में अनावश्यक दखलंदाजी की जा रही है। इन समस्याओं और अवरोधों को यदि नजर–अंदाज किया गया तो उसके परिणाम घातक होंगे। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी के इस भाषायी साम्राज्यवाद से भी बचाने की आवश्यकता है। यह हिंदी की स्थिति का एक पक्ष है, एक काला अध्याय है, पर इसी के साथ उसका एक दूसरा शुभ पक्ष भी है, जो उत्साहजनक है और आशावर्द्धक भी।

हिंदी के विकास और उत्थान की दिशा में अनेक प्रयास हो रहे हैं। अनेक गैर सरकारी संगठन भी इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अप्रवासी भारतीयों ने अपने प्रयत्नों से हिंदी को अखिल विश्व की भाषा के रूप में एक पहचान दी है। विश्व हिंदी सम्मेलनों ने देश की सीमाओं से बाहर जाकर हिंदी की आवाज उठाई है। इन प्रयत्नों की अनदेखी नहीं की जा सकती हैं इसके शुभपरिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेगे। हिंदी का प्रयोग दिनों – दिन नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है। यातायात और संचार के बढ़ते नए साधन हिंदी के प्रचार–प्रसार

में सहायक हो रहे है। हिंदी का पुराना रूप बदल रहा है। इस बदलाव को शुद्वतावादी स्वीकार नहीं कर रहे है। इस विषय में उनकी चिंता भी कई बार वाजिब लगती है। अनेक छपे और दृश्य–श्रव्य माध्यम अनावश्यक रूप से भाषा के साथ मनचाहा खिलवाड़ कर रहे है। हिंदी की आत्मा जहां निवास करती है वहां घुस–पैठ की जा रही है। इन तर्कों से कोई इंकार नहीं कर सकता है। अतः भाषा की परिवर्तनशीलता को केवल भावनात्मक स्तर पर ही नही, विवेकात्मक स्तर पर भी समझने की जरूरत है, तभी भाषा के प्रचलित अनेक रूपों के मध्य एक सामान्य समझ विकसित की जा सकती है। शास्त्र के व्याकरण के स्थान पर लोक के व्याकरण को समझ कर ही हिंदी की मान मर्यादा का निर्धारण किया जा सकता है। हिंदी के अंतरराष्ट्रीय रूप का इससे गहरा नाता है। जैसे–जैसे हिंदी समाज साक्षर होता जाएगा, अनेक प्रकार की भाषागत विसंगतियॉ स्वतः ही समाप्त होती जाएगी। एक ही समय में भाषा के अनेक रूपों का होना, भाषा की संकीर्णता के स्थान पर, जड़ता के स्थान पर गतिशीलता, जीवंतता और उदरता की पहचान है। ये विशेषताएं हिंदी में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

हिंदी के विकास का एक प्रमुख तरीका उसे शिक्षा का माध्यम बनाना भी है। न केवल प्राथमिक, बल्कि उच्च स्तर तक विविध ज्ञानानुशासनों में ज्ञान के स्त्रोत के रूप के जिस बाड्मय की हिंदी में आवश्यकता है, उसका अभी अभाव है। इस दिशा में जो प्रयत्न शासकीय स्तर पर किए गए है वे अल्प है। राजभाषा क्रियान्वयन निदेशालय को इस दिशा में महती कार्य करने की आवश्यकता है। अनुवाद ब्यूरो तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग को इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना है। हिंदी भाषा में ज्ञान के एक बहुत बड़े भण्डार को लाना अभी शेष है। शोध की गहन परीक्षण की अभी आवश्यकता है। वस्तुतः विविध ज्ञानानुशासनों में हिंदी भाषा में लिखित मानक ग्रंथों का अभाव है। इस अभाव के समाप्त होते ही अंग्रेजी का वर्चस्व स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अंग्रेजी का ज्ञान और उसके साहित्य की जानकारी भी हमारे ज्ञान का गुणात्मक विकास करेगी। यही बात अन्य भाषाओं के विषय में भी कही जा सकती है। हिंदी को रोजगार के साथ ज्ञानात्मक विकास का माध्यम भी बनाना आवश्यक है।

भाषा एक वर्गविहीन संरचना है। वह धर्म–जाति– वर्ण–सम्प्रदाय से भी परे है। भाषा राष्ट्रीय जीवन की, समाज की धड़कनों की अभिव्यक्ति होती है। उसके इस रूप को स्वीकार कर, उसके विकास में सभी भागीदारी संभव है। क्षेत्रीय विशेषताओं की प्रतिध्वनि उसमें सुनाई दे सकती है और अन्य भारतीय भाषाओं की छाया भी उसमें देखने को मिल सकती है, पर वह अंततः रहेगी हिंदी ही। इसलिए हिंदी का एक अखिल भारतीय रूप भी देखने को मिल सकता है।

राजभाषा के रूप में हिंदी की विकास यात्रा का एक अलग परिदृश्य हमें देखने को मिलता है। वहां अभी भी कुछ दुरूहताएं है। राजभाषा राज्य की भाषा नहीं है और न ही कार्यालय की भाषा है। शासकीय कार्यो के सुचारू रूप से सम्पादन के लिए हिंदी के प्रयोग को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। राजभाषा अधिनियम 1963 संसद द्वारा पारित किया गया था। हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रभावशाली बनाने के लिए शासन ने राजभाषा विभाग की स्थापना की। राजभाषा विभाग इस दिशा में कार्य कर रहा है। राजभाषा के अधिकारियों का यह दायित्व है कि वे इस भाषा के रचनात्मक और मौलिक लेखन को प्रोत्साहन दें। तब निश्चय ही हिंदी अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ सकेगी। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी राजभाषा हिंदी न केवल देश की भाषाओं की सिरमौर बने, बल्कि वह संयुक्त राष्ट्रसंघ की अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में भी स्वीकृत हो। हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएं और उसका विकास सुनिश्चित करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का सफल माध्यम बन सके और उसकी

मूल प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और आठवीं सूची में निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली तथा मदों को आत्मसात करते हुए और जहां अपरिहार्य तथा वांछनीचय हो वहां उस के शब्द भण्डार के लिए प्रमुखतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। कहा जा सकता है कि राजभाषा हिंदी को उसके अपने लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है।

हिंदी की विकास यात्रा का सांस्कृतिक पक्ष महत्वपूर्ण है। यह हमारे प्रतीकों और कलारूपों की भी संवाहिका है। दृश्य–श्रव्य माध्यमों के द्वारा इसे नए–नए इलाकों तक पहुंचाने में सफलता मिली है और अनेक सांस्कृतिक रूपों का संरक्षण भी इसके द्वारा मिला है। इसके लिए आज हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं, बल्कि वह एक सांस्कृतिक निकाय भी है। यही सांस्कृतिक निकाय उसे राष्ट्रीय पहचान देता है। इसीलिए हिंदी राजभाषा है। इस राजभाषा का वर्ण विन्यास और वर्तनी पूर्णतः वैज्ञानिक है, जिसने क्रमशः विकास किया है। इसलिए हिंदी लिखना–पढ़ना और बोलना किसी भी भाषी–भाषी के लिए अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि देश की अधिकांश भाषाओं की वर्णमाला और लिपि से इसकी समानता है। इस प्रकार से हिंदी अनेक भारतीय भाषाओं की उपजीव्य कही जा सकती है। यह अकारण नहीं है कि अनेक क्षेत्रीय भाषाओं की तुलना में हिंदी का क्रियात्मक संसार कहीं अधिक व्यापक है। अनेक क्षेत्रीय भाषाएं निरंतर हिंदी से प्रेरणा प्राप्त करती हैं। इसलिए हिंदी भाषा के साथ हिंदी साहित्य की सुदीर्घ रचना यात्रा को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। हिंदी का साहित्य अपनी प्राचीनता तथा सांस्कृतिक और दार्शनिक निष्पत्तियों के कारण भी महत्वपूर्ण है। भारतीय साहित्य के निर्माताओं में हिंदी के अनेक रचनाकारों को सम्मानपूर्वक स्मरण किया जाता है। रचना यदि कालांकित होती है तो हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में रची गई समकालीन रचनाओं की समान भाव–भूमि को भी खोजा जा सकता है। इस दृष्टि से विचार करने पर भी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को, उसकी अस्मिता को स्वीकार करना आवश्यक है।

हिंदी के विकास की दिशा में हो रहे प्रयत्नों के साथ नए उपक्रमों की भी आवश्यकता है। बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों में, बाजारवाद के बढ़ते प्रभाव में हिंदी की शब्द–सम्पदा को नए सिरे से संयोजित करने की आवश्यकता है। वर्तनी में हो रहे बदलावों को पहचानने की आवश्यकता है। रोजागारोन्मुखी बनाने की दिशा में हिंदी में जो कार्य हो रहे हैं, उनमें गति लाने की आवश्यकता है और इसी के साथ हिंदी में जो 'शोध हो रहे हैं, उन्हें समाजोन्मुख बनाने की आवश्यकता है। वस्तुतः पहले हमें अपनी सीमाओं को जानना आवश्यक है। इसके बाद ही हम आगे का रास्ता तलाश सकेंगे और तब हमें हमारी मंजिल भी मिल जाएगी। बहुत से ऐसे कार्य होते हैं, जिनके लिए शासकीय दिशा–निर्देश, प्रोत्साहन और आचार संहिता आवश्यक होती है। आयोगों, सभाओं में किसी जनकल्याणकारी योजना को लम्बे समय तक लंबित रखना भी उचित नहीं होता है। राजनीति में भी राजनीतिक इच्छा शक्ति का विशेष महत्व होता है और इतिहास में ऐसी तारीखें सदैव याद की जाती है। भाषा, राजभाषा के संबंध में जो प्रकरण दर्शकों से निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे है, उनका निदान आवश्यक है, यह जानते हुए कि हिंदी तोड़ने नहीं जोड़ने में विश्वास करती है। यदि ऐसा होता है तो निश्चय ही हिंदी संयुक्त राष्ट्रसंघ में जो भाषा बोली जा चुकी है, संयुक्त राष्ट्रसघं के महासचिव ने जिस भाषा का उच्चारण किया है और जो विश्व के अनेक देशों में अनेक रूपों में व्यवहृत हो रही है, उसे एक–न एक दिन अपनी मंजिल तक पहुँचाना ही है, और वह मंजिल अब दूर नहीं।

प्रोफेसर, हिंदी विभाग
डॉ० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय,
सागर–470003 (म०प्र०)

राजभाषा हिंदी के विकास में यूनिकोड की भूमिका

अरविंदाक्षन. एम

भाषा का प्रयोग संप्रेषण के लिए किया जाता है। जब किसी भी भाषा में संप्रेषण सफलतापूर्वक हो जाता है तब वह भाषा तीव्र गति से विकसित होती है। संप्रेषण आमतौर पर तीन प्रकार से संभव है। इशारों से, ध्वनि से तथा लिखकर। किसी भी भाषा में लिखकर संप्रेषण के लिए लिपि का विकास हुआ है। अंग्रेजी भाषा लिखने के लिए रोमन लिपि का विकास हुआ है। इसी प्रकार हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि का विकास हुआ हैं लिपियों को हाथ से लिखकर या मशीन के माध्यम से टंकण या शब्द संसाधन के जरिए संप्रेषित किए जाते है। कंप्यूटर प्रचलित होने के पहले टंकण कार्य टाइप राइटर द्वारा किया जाता था। जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तब से शब्द संसाधन के लिए कई तकनीकों का प्रयोग किया जाता रहा है।

भारत की बहुभाषिक स्थिति की वजह से देश में कई भाषाएं व बोलियॉं प्रचलित है। संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिल गई है। इन भाषाओं में विभिन्न लिपियों का प्रयोग होता है। दुनिया में बहुत ऐसी भाषाएं हैं जिनकी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। उर्दू, अरबी जैसी भाषाएं दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। परंतु जब भाषा अपनी लिपि में लिखी जाती है तब वह शीघ्रता से समझी जाती है। इस वजह से विभिन्न भाषाओं के लिए विभिन्न लिपियॉं प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए मलयालयम के लिए मलयालम लिपि, तमिल के लिए तमिल लिपि, हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि के लिए देवनागरी लिपि प्रचलित है। विभिन्न भाषाओं के लिए विभिन्न लिपि की वजह से कंप्यूटरों में भारतीय भाषाओं के शब्द संसाधन कार्य में बहुत कठिनाइयां होती थीं।

मूलतः कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर प्रक्रिया नंबरो का एक खेल है। प्रत्येक अक्षर, नंबर, निशान, चिहनों आदि के लिए एक यूनीक नंबर आवंटित करके स्टोर किया जाता है। अंग्रेजी में मात्र 26 अक्षर हैं। अतः मात्र 26 अक्षर वाली अंग्रेजी के लिए विभिन्न एनकोडिंग पद्धतियां अपनानी पड़ी थी। उससे ज्यादा अक्षर वाली हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं की स्थिति आप सोच सकते हैं। भारत वासियों को अपनी–अपनी मातृभाषाओं व प्रचलित संपर्क भाषाओं के साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग करना पड़ रहा है। इसलिए भारतवासियों को ऐसे फोंट्स व सोफ्टवेयर चाहिए जो बहुभाषी शब्द संसाधन करने में समर्थक है।

कम्प्यूटर का विकास उन देशों में हुआ था जिनकी भाषा रोमन लिपि पर आधारित थी, इसलिए रोमन लिपि वाली अंग्रेजी भाषा कुछ समय पूर्व तक कम्प्यूटर की आदर्श भाषा मानी जाती थी। कम्प्यूटर की भाषा 0 और 1 के दो संकेतों की गणितीय है। वैश्वीकरण के इस युग में एक ऐसी मानक कोडिंग प्रणाली की आवश्यकता अनुभव की गई, जिसकी सहायता से विश्व की सभी भाषाओं में कंप्यूटर पर सह–अस्तित्व की भावना से काम किया जा सके।

विश्व की लगभग सभी भाषाओं में शब्द संसाधन संभव हो। यूनिकोर्ड के प्रयासों का नतीजा

है यह सर्वभौमिक एन्कोडिंग प्रणाली "यूनिकोड" यानी सभी भाषाओं के लिए एक समान कोड।

यूनिकोड एक अद्यतन तकनीक है। यह कोई फोंट नहीं है न कि कोई टंकण टूल या टंकण करने की तरीका। यूनिकोड एक टेकनोलाजी है जिससे विश्वस्तर पर प्रचलित प्रत्येक वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के लिए चार अंकों का यूनीक कोड (अद्वितीय मानक) प्रदान किया गया। चाहे प्लाटफोम, प्रोग्राम, भाषा कुछ भी हो, यूनिकोड प्रत्येक अक्षर, निशान, संख्या, चिहन के लिए एक यूनीक नंबर मुहैया करती है। औद्योगिक जगत के सॉफ्टवेयर निर्माताओं ने यूनिकोड को अपनाया है। यह इसलिए है कि यूनिकोड की स्वीकार्यता, जो बहुमत ओपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। विंडोज 2000 या उससे ऊपर वाले सभी पीसी यूनिकोड को सपोर्ट करते हैं। यूनिकोड उनमें इन्बिल्ट है। अलग से उसकी सीडी खरीदने या उसे डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती। हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं के लिए अलग से फॉन्ट का कोई और सॉफ्टवेयर खरीदने की आवश्यकता भी नहीं है। इसमें पहले की एन्कोडिंग व्यवस्था की 8 बिट के स्थान पर 16 बिट की स्टोरिंग व्यवस्था है तथा 65,536 कैरेक्टर को स्टोर किया जा सकता है। यूनिकोड को ओपन टाइप फोंट भी कहा जाता है। ये डिजिटल एवं उन्नत टाइपोग्राफिक विशेषताओं से सुसज्जित है। यह सभी प्रकार के शब्द संसाधन में प्रयोग को मदद करती है।

विंडोस 2000 के बाद के कम्प्यूटरों में यूनिकोड सक्रिय करना बहुत आसान हैं कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल में जाकर बहुत आसान प्रक्रिया से प्रत्येक कम्प्यूटर को यूनिकोड सक्रिय किया जा सकता है। तत्पश्चात भाषा इंडिया डोट को वेब साइट (bhashaindia.com web site) से Indic Language Input Tool डॉउन लोड करके क्वेरटी की बोर्ड के जरिए बहुत आसानी से अपनी सुविधानुसार फोनेटिक, रेमिंगटन या इनस्क्रिप्ट की बोर्ड में हिंदी टंकण कार्य किया जा सकता है इनस्क्रिप्ट भारतीय भाषाओं के लिए डिफोल्ट की बोर्ड है। जिन्होंने पहले से टाइपराइटर के जरिए हिंदी टंकण सीखा है, उनके लिए टाइपराइटर या रेमिंग्टन की कीबोर्ड सुविधाजनक है। जिनको टंकण की मूलभूत जानकारी नहीं है वे लोग आसानी से फोनेटिक की बोर्ड का प्रयोग करके टंकण कर सकते हैं।

फोनेटिक की बोर्ड एक विशेष प्रकार का कीबोर्ड है जो अंग्रेजी के मानक कीबोर्ड के वर्ण का प्रयोग करके ध्वनि या उच्चारण के आधार पर भारतीय भाषाओं में काम करने की सुविधा प्रदान करता है एवं परिणामस्वरूप अपनी पंसद की भारतीय भाषा में पाठ्य सामग्री परिवर्तित हो जाती है। यह उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद स्थापित हो गया है जिनकी मातृभाषा किसी भी भारतीय भाषा के रूप में हो तथा वह भाषा बोल सकते हैं किंतु लिखना नहीं जानते हैं तथा जो लोग अंग्रेजी का मानक कुंजीपटल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के कुंजीपटल से अपरिचित हैं।

सरकारी कार्यालयों में आजकल बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रोनिक तरीके से काम हो रहा है। कम्प्यूटर ने सभी कार्य आसान कर दिया है सभी सरकारी कार्यालयों के कंप्यूटरों में हिंदी में शब्द संसाधन करने हेतु सभी कंप्यूटरों को यूनिकोड से सुसज्जित करने के लिए राजभाषा विभाग जोर दे रहा है। जिस कार्य निष्पादन हेतु प्रत्येक कार्यालय का अस्तित्व है वह कार्य कंप्यूटर के जरिए करने के लिए सोफ्टवेयर का निर्माण किया है तथा उससे संबंधित कार्य तीव्रता एवं सटीकता से संपन्न हो रहा है। कार्य चाहे लेखन प्रक्रिया हो, किसी ग्राहक को ऋण, अग्रिम या पेंशन का भुगतान किया जाना हो, कम्प्यूटर इन सभी कार्यों को करने में सुविधा प्रदान करता है। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि

सरकारी कार्यालयों में नई तकनीक का प्रयोग हो रहा है। आजकल पहले जैसा पत्राचार बहुत विरल है। पहले पत्र लिखकर डाक के जरिए कई दिनों के बाद ग्राहक तक सरकारी सूचनाएं, पहुंचाई जाती थीं। अब ई मेल या एस. एम. एस के प्रयोग से यह सूचनाएं तुरंत संप्रेक्षण हो जाती हैं।

लगभग सभी सरकारी कार्य सुगमता से हिंदी में करने के लिए यूनिकोड तकनीक का प्रयोग बहुत फायदेमंद है, पहले एक कम्प्यूटर के जरिए सामग्री तैयार की गई थी। उस सॉफ्टवेयर से संबंधित फोंट के साथ भेजनी पड़ती थी अन्यथा सामग्री प्राप्त करने वाला उसे पढ़ न सकता था। यूनिकोड की वजह से यह सब आसान हो गया है। भारतीय भाषाओं में ई–मेल करना, ए.एम. एस करना आदि इस तकनीक के प्रयोग से बहुत सरल बन गया है।

यूनिकोड सपोर्ट करने वाले कंप्यूटर के आ जाने से इंटरनेट के प्रयोगकर्ता हिंदी में निर्मित वेबसाइट की सामग्री को बिना फोंट डाउनलोड किए पढ़ सकते हैं और उस सामग्री को सहेज भी सकते हैं। अंग्रेजी न जानने वाले उपयोगकर्ता कंप्यूटर पर अपने सभी कार्य हिंदी में कर सकते हैं, अपने फाइलों के नाम हिंदी में रख सकते हैं। आटो करेक्ट और शब्द कोश ऑफीस कंप्यूटरों में मौजूद होने से बहुत फायदा हो गया है। ऑफिस हिंदी में हिंदी शब्द कोश भी है। ओटोकरेक्ट से शब्दों की अशुद्धी रेखांकित होती है और उन्हें ठीक कर देता है। शब्द कोश के आ जाने से शब्द के दाहिने क्लिक करके हिंदी के किसी शब्द का पर्याय, विलोम और उससे संबंध शब्दों को देखा जा सकता है। खोजें और बदलें के माध्यम से हिंदी के किसी भी शब्द या वाक्य को खोजा जा सकता है और पूरे पाठ को एक साथ बदला भी जा सकता है। वर्ड आर्ट, ऑफीस हिंदी में भी उपलब्ध होने से हिंदी में बैनर, होर्डिग और अन्य मुद्रण कार्य बहुत आसान हो गया है। गोपनीय दस्तावेजों में अब हिंदी जलचिहन (वाटर मार्क) का उपयोग भी कर सकते है। हिंदी कोश निर्माण और पुस्तालय सूची के लिए वर्ड, एक्सेस और एक्सेल का प्रयोग कर सकते हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट यूनिकोड आधारित फोंट में निर्मित की है और इस कारण वेबसाइट का प्रयोग करने वालों को हिंदी में भी सामग्री उपलब्ध हो रही है। भारत सरकार की सभी सरकारी कार्यालयों की वेबसाइट यूनिकोड आधारित फोंट में ही निर्मित की जा रही है, जिससे हिंदी में खोज, मेल भेजना और चैट करना आसान हो गया है। प्रमुख स्वदेशी एवं विदेशी वार्ता चैनलों, पत्रकारों द्वारा अपनी वेबसाइट यूनिकोड में परिवर्तित की गई है। इन सभी की उपलब्धता से हिंदी भाषा–भाषी लाभान्वित हो रहे हैं। यूनिकोड के कारण ब्लॉग और ट्विटर पर लिखना आसान हो गया है। विश्व भर में हिंदी का प्रचार–प्रसार करने के लिए इंटरनेट पर हिंदी साहित्य उपलब्ध कराए जा रहे हैं अतः कम्प्यूटर और इंटरनेट पर उपयोग की दृष्टि से हिंदी विश्व के उन्नत भाषा के समकक्ष आ गई है।

सरकारी कार्यालयों से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता जैसे घरेलू गैस की सब्सिडी, वृद्धावस्था पेंशन, वरिष्ठ नागरिक के लिए सरकार से प्राप्त वित्तीय लाभ व अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों के के. वाई.सी विवरण देना पड़ रहा है। जिन ग्राहकों को अंग्रेजी क्वेरटी कुंजी पटल की सामान्य जानकारी हो वे सभी किसी की सहायता के बिना अपने आप अपनी भाषा में यह सब विवरणियों कंप्यूटरों में फीड कर सकते हैं। सिर्फ आवश्यकता यह है कि कंप्यूटरों में यूनिकोड सक्रिय करके अपनी पसंदीदा भाषा सेट करना। इस प्रकार "आधार" व इलेक्ट्रल आई.डी कार्डों में सदस्यों के विवरण भारतीय भाषाओं में प्रविष्ट करने के लिए यूनिकोड

तकनीकी की सहायता ली जाती है।

यूनिकोड के आविर्भाव से हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में बहुत क्रांति हुई है। हिंदी में टंकण हेतु मोटे तौर पर तीन प्रणालियों का प्रयोग कर सकते हैं। टाइप रैटर मोड (रेमिंटन), इनस्क्रिप्ट और फोनेटिक या ट्रान्सिलिट्रेशन मोड। इसमें सबसे आसान प्रणाली है फोनेटिक मोड। इंटरनेट पर अधिकतर हिंदी प्रयोगकर्ता इस पद्धति का प्रयोग करते हैं। हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में टंकण कार्य यूनिकोड सक्रिय विंन्डोस, लिनेक्स, विस्टा, एक्स. पी जैसे ओपरेटिंग टूल इंटरनेट पर मौजूद है। इन्हें टूल (ILIT) भाषा इन्डिया साइट से मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। राजभाषा विभाग की वेब साइट इन विषयों पर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करती है।

प्रौद्योगिकी के विकास के कारण हिंदी साहित्य का विकास, प्रचार एवं प्रसार अत्यंत प्रभावशाली तरीके से होने लगा है। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की पत्र–पत्रिकाएं इन्टरनेट के जरिए पढ़ सकते हैं। अनेक वेब पत्रिकाएं प्रकाशित हुई हैं। इस प्रकार अनेक विख्यात लेखकों के पुस्तकें इंटरनेट पर जगह पा चुकी हैं। बाजार और मीडिया में अधिक विस्तार से हिंदी लोकप्रिय भाषा बन गई हैं। भाषा का विज्ञान से अटूट रिस्ता है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से हिंदी न जानने वाले लोग हिंदी भाषा का अध्ययन अंग्रेजी या किसी भी प्रचलित भाषा के माध्यम से कर सकते हैं। हिंदी भाषा के माध्यम से अनेक कम्प्यूटर पाठ्यक्रम आजकल जारी है।

संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोड आदि विविध आयोग/बोर्ड की परीक्षाओं के आयोजन संबंधी सूचनाएं परीक्षा के परिणाम, व परीक्षाओं संबंधी अन्य जानकारियॉ पहले मात्र अंग्रेजी में उपलब्ध होती थी। आजकल यह सभी सूचनाएं हिंदी में भी आने लगी हैं। इस प्रकार डिजिटल पुस्तकालय, पत्र–पत्रिकाएं आदि अब हिंदी में भी उपलब्ध हो रही हैं। हिंदी भाषी लोग पहले इंटरनेट का इस्तेमाल करने में कठिनाई महसूस करते थे। आजकल वे सुविधापूर्ण तरीके से इन सब का उपयोग करने लगे हैं। कई साइबर कैफे में भी कंप्यूटरों में यूनिकोड स्थापित कर लोगों को हिंदी भाषा में इंटरनेट सुविधा प्रदान की जा रही है। यूनिकोड के आगमन के बाद बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयरों, साइटों तथा ऑनलाइन सेवाओं का यूनिकोडीकरण हुआ है।

सूचना प्रौद्योगिकी की मोटे तौर पर दो भूमिकाएं है– विकासात्मक एवं सामाजिक। विकासात्मक में नवीन प्रौद्योगिकी एवं विकास का लक्ष्य है। सामाजिक भूमिका में यह भाषिक अवरोध को तोड़ती है। सूचना प्रौद्योगिकी हिंदी भाषा एवं अन्य भारतीय भाषाओं के विकास में एक सेतु का काम करती है।

अब यूनिकोड की उपलब्धता से कंप्यूटरों में हिंदी में काम करना आसान हो गया है। हिंदी में कार्य का प्रतिशत भी बढ़ गया है। इंटरनेट में हिंदी साहित्य संबंधी लेख, कहानी, कविता अपलोड करने से विश्वभर के नेट प्रयोगकर्ता लाभान्वित हो रहे हैं। इस प्रकार हिंदी के विकास में पहले की तुलना में बहुत वृद्धि हो गई है। यहाँ फिर दोहराना उचित होगा कि किसी भी भाषा को भविष्य की विश्व–भाषा की मान्यता प्राप्त करने के लिए यह भी एक शर्त समझी जाती है कि वह कम्प्यूटर की भी भाषा हो। हिंदी इस कसौटी पर भी खरी उतर रही है। इसलिए निस्संदेह हम कह सकते है कि आने वाला समय, हिंदी का समय है और हिंदी का भविष्य भी उज्जवल है।

अरविंदाक्षन. एम,
''वृंदावन'', करुवश्शेरी,
कोझिकोड–673010, केरल

वैश्वीकरण एवं हिंदी का विकास

जितेन्द्र मोहन शर्मा

हिंदी उमंग, तरंग की लय में अपने अस्तित्व आरोहण का मृदंग बजा रही है। यह सब पूर्वनियोजित कार्यप्रणाली का परिणाम नहीं है, और वैसे भी अखिल विश्व स्तर पर अपनी–अपनी भाषा की साधना, आराधना और विश्व विजय कामना की ऊर्जापूर्ण हलचलें, गणेश जी को दूध पिलाने जैसी रहस्यमयी लोकचेतना नहीं हो सकती है, तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है, कि भूमंडलीकरण के परलीकरण में अपनी शरण में किन भावी आवरणों को छुपाए भाषाएं अपने–अपने तीर द्वारा अश्वमेध यज्ञ में निमग्न हैं। पिछले दो दशकों से भाषाई संघर्ष चल रहा है, तथा जैसे–जैसे वैश्वीकरण अपने प्रभाव को बढ़ाता जा रहा है, वैसे–वैसे भाषा का मसला अपनी गहराइयों का विश्लेषण करते हुए अपने निखार को और संवार रहा है। हिंदी तो अपनी संघर्ष यात्रा अनवरत जारी रखे हुए है तथा इस संघर्ष के दौरान हिंदी की अनेकों छटाएं बरबस अपनी और खींच लेने की कूवत पा बैठी हैं।

भूमंडलीकरण को, समतल दुनिया का नाम भी दिया गया है, जिससे एक देश से दूसरे देश में आवागमन, संपर्क, व्यापार आदि सहज और सामान्य होता जायेगा। भूमंडलीकरण के समतल होने से देशों के बीच की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि दीवारें टूट रही हैं, हर प्रकार के वाद का विश्वस्तरीय मानकीकरण का एक तेज दौर चल रहा है, प्रतियोगिताओं और उपलब्धियों का दायरा अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए पूरी धरती तक पसर रहा है जिसमें हर तरफ सरल, सहज सर्वमान्य और सारगर्भित विभिन्न तत्वों व पक्षों की मांग हो रही है। इस प्रकार का अति विस्तृत कार्यक्षेत्र मिल जाने से प्रत्येक राष्ट्र अपनी मौलिक सभ्यता, संस्कृति को लेकर उभर रहा है, तथा इस सभ्यता और संस्कृति के साथ अपने राष्ट्र की भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम बना, अपनी एक मुकम्मल पहचान की फिराक में लगा है। वैश्वीकरण का यह दौर प्रत्येक राष्ट्र के शक्ति परीक्षण का है, जिसमें अभिव्यक्तियाँ अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएंगी तथा जिस राष्ट्र का सम्प्रेषण जितना प्रखर और परिस्थितिजन्य होगा वह बाजी उतनी ही सुगमतौर पर उस देश के हाथ होगी। अतएव भूमंडलीकरण में भाषाओं की वर्चस्वता की अघोषित व अप्रत्यक्ष लड़ाई जारी है।

भूमंडलीकरण के इस आरम्भिक दौर में हिंदी ने स्वयं को राष्ट्र की बिंदी प्रमाणित करते हुए अपने पंखों से हनुमान की तरह विशाल रूप देने में सफलतापूर्वक प्रयत्नशील है। हिंदी की जब भी बात हो तब उर्दू भाषा की चर्चा न हो यह हो नहीं सकता, अतएव भारत ओर पाकिस्तान दोनों देशों के नागरिकों आदि द्वारा हिंदी भाषा को निरन्तर व्यापक और सक्षम आधार दिया जा रहा है। हिंदी की सीमाएं यहीं आकर खत्म नहीं हो जाती हैं बल्कि इसके विकास में द्रविडीयन, तुर्की, फारसी, अरबी, पुर्तगाली और अंग्रेजी भाषाओं का उल्लेखनीय योगदान है। भारत देश की सभ्यता और संस्कृति को इसी प्रकार की भाषा संचेतना सहित आठ सौ वर्षों से कुशलतापूर्वक अभिव्यक्त किया जा रहा है। वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में डिजिटल मीडिया द्वारा हिंदी को अफ्रीका, मध्य–पूर्व यूरोप और उत्तरी अमेरिका में एक चित्ताकर्षक ढंग से लगातार पहुंचाया जा रहा है। दूसरी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दक्षिण एशिया के बाजार में पैठ लगाने हेतु हिंदी

की उपयोगिता में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की जा रही है। इन सबके साथ कुशल मानव श्रम, विशेषज्ञों की जरूरतों आदि के लिए भी दक्षिण एशिया विश्व को अपनी ओर खींच रहा है। इसका तात्पर्य यह कतई नहीं है, कि विश्व में अन्य भाषाएं अलसाई सी हैं, बल्कि विश्व में अपने परचम को लेकर हिंदी के साथ अग्रणी कतार में दौड़ लगाने वाली जर्मन, फ्रेंच, जापानी, स्पैनिश और चीनी जैसी प्रमुख भाषाएं भी कदम से कदम मिलाकर एक–दूसरे से आगे निकलने की होड़ में दौड़ रही हैं। एक ताजा भाषाई अनुमान के अनुसार विश्व में कुल छह हजार आठ सौ नौ भाषाएं बोली जा रही हैं, जिसमें से 905 भाषाओं को बोलने वालों की संख्या एक लाख से कम है। इन सभी भाषाओं में हिंदी को सीधे चुनौती देने वाली भाषा चीन में बोली जाने वाली मैंड्रीन भाषा है। ज्ञातत्व है, कि जनसंख्या की दृष्टि से चीन और भारत को चुनौती दे पाना अन्य देशों के लिए कठिन कार्य है।

भूमंडलीकरण 21वीं शताब्दी में वैश्विक गाँव बनता जा रहा है। एक अरब से भी अधिक नागरिकों के भारत देश ने, तेज गति से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था ने, विश्व को अपनी और देखने के लिए विवश कर दिया है। हाल ही में जब यह तथ्य उभरा कि दुनिया की 3 हजार भाषाओं और बोलियों का अस्तित्व वर्ष 2050 तक समाप्त हो जायेगा, जिसे सुनकर विश्व की भाषाएं चौंक उठीं, तथा भारत देश में दबे शब्दों में एक सुगबुगाहट सी चली कि कहीं हिंदी भी तो इन तीन हजार भाषाओं में एक नहीं है। यह एक काल्पनिक भय मात्र है, किंतु इससे एक संकेत यह भी मिलता है, कि देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें हिंदी भाषा की समाप्ति की शंका भी है। जबकि अमेरिका के सैंट्रल इंटेलिजेंस एजेन्सी की 2005 की सीआई.ए. वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार धरती पर बोली जाने वाली भाषाओं में से हिंदी विश्व की सबसे प्रभावशाली चतुर्थ भाषा है। यहां पर मेरा प्रयास हिंदी भाषा के व्यक्तव्यों का प्रस्तुतीकरण नहीं है, बल्कि कोशिश है, हिंदी भाषा की इन दो विरोधी मानसिकताओं के विश्लेषण का, जिसमें एक ओर भारत देश के कुछ लोगों का भय है, तो दूसरी ओर भूमंडलीय स्तर पर उस भय का निराकरण भी उपलब्ध है। यदि हम पहले भारत की इस मानसिकता का विश्लेषण करें, तो नतीजा यही होगा, कि बहुत कम लोग हैं, जो हिंदी की वर्तमान गति और प्रगति की स्पंदनों का अद्‌यतन अनुभव कर रहे हों, वरना अधिकांशतः लोगों की भाषागत धारणाएं यत्र–तत्र, पठन–श्रवण के आधार पर बेताल कथा सरीखी हैं। हमारे देश में हिंदी निरंतर विभिन्न स्तरों पर स्वीकारी जा रही है। इसके बावजूद भी यह धारणा जनमानस में घर कर गई है, कि लोग क्या कहेंगे। हमारा देश हिंदी की मानसिकता से अभी भी जूझ रहा है, जबकि विश्व में हिंदी के प्रचार–प्रसार और लोकप्रियता का विश्लेषण परिणाम, हिंदी को एक ऊर्जापूर्ण भविष्य की ओर ले जा रहा है।

विश्व स्तर पर हिंदी के विस्तार में हिंदी साहित्य की उल्लेखनीय भूमिका है, और अभी भी हिंदी साहित्य अपनी इस भूमिका को बखूबी निभा रहा है। समय के संग भूमिका के तरीके में बदलाव आता जा रहा है। हिंदी साहित्य अब तकनीकी से भी जुड़ रहा है, तथा कंप्यूटर की विभिन्न विधाओं में हिंदी अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते बढ़ रही है। हिंदी गद्‌य विधा में अभिव्यक्ति, गर्भनाल आदि जैसी वेब पत्रिकाएं हैं, तथा काव्य में अनुभूति आदि जैसी वेब पत्रिकाएं हिंदी साहित्य की बेहतर छवि को निरंतर निखार रही हैं, तथा ऐसी कई पत्रिकाओं को विदेशों से एक बड़ा पाठक वर्ग मिला है। जालघर पर अनेकों हिंदी पत्रिकाएं और ब्लाग हिंदी के महत्व को दर्शाते हुए प्रभावशाली ढंग से प्रचार–प्रसार में लगी हैं। भूमंडलीकरण के युग में सूचना और प्रौद्योगिकी के ताल–मेल के बिना हिंदी के विस्तार की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। अपनी तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी हिंदी ने जिस तरह प्रौद्योगिकी जगत में अपना पैर जमाया है, उसकी भूरि–भूरि प्रशंसा मुक्त कंठ से जितनी ज्यादा की

जाए उतनी ही कम है। कौन लोग हैं, जो हिंदी और प्रौद्योगिकी के संगम के लिए उल्लेखनीय भूमिकाएं निभा रहे हैं? निःसंदेह भूमंडल के विभिन्न देशों में बसे भारतीय और हिंदी प्रेमी, भारत सरकार तथा देश में मुट्ठी भर प्रौद्योगिकी से नाता रखने वाले हिंदी प्रेमीजन। आज व्यक्ति का मोबाइल नंबर जितना जरूरी हो गया है, उतना ही महत्वपूर्ण हो गया इंटरनेट का उसका आई.डी। कंप्यूटर से जुड़े रहने से इंटरनेट की दुनिया में हिंदी के फैलते साम्राज्य की नवीनतम जानकारियां मिलती रहती हैं। प्रसिद्ध सर्च इंजन गूगल के प्रमुख एरिक श्मिट का मानना है कि अगले पांच से दस सालों में हिंदी इंटरनेट पर छा जायेगी, और अंग्रेजी और चीनी के साथ हिंदी इंटरनेट की दुनिया की प्रमुख भाषा होगी। इंटरनेट पर हिंदी के प्रयोग में सबसे बड़ी कठिनाई हिंदी को एकरूपता देने का प्रयास किया है, किंतु अभी भी मंजिल काफी दूर है। जालघर की कुछ प्रमुख पत्रिकाओं ने यूनिकोड को अपना लिया है, किंतु विभिन्न बैंकों, कार्यालय आदि में अभी भी इसे पूरी तरह अपनाया जाना बाकी है। हिंदी की विभिन्न साफ्टवेयर कंपनियों को भी चाहिए, कि वे इस दिशा में कुछ कारगर कदम उठाएं, किंतु उन्हें व्यावसायिक खतरों का अंदेशा है, अतएव एक सार्थक पहल नहीं हो पा रही है। इंटरनेट जगत में हिंदी लिखने के लिए रोमन लिपि का सहारा लिया जा रहा है, किंतु इसका आशय यह नहीं लगाया जाना चाहिए, कि देवनागरी लिपि छूट रही है, बल्कि याहू जैसे नेट प्रदान करने वाली कम्पनी देवनागरी लिपि को लेकर गंभीर नहीं हुई है जबकि गूगल द्वारा सराहनीय प्रयास हो रहे हैं। नेट पर देवनागरी लिपि की वर्चस्वता के पीछे व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी कहीं अधिक रूकावट दृढ़ इच्छाशक्ति का अभाव है। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि भाषा की तमाम खूबियों के बावजूद भी हिंदी दृढ़ इच्छाशक्ति की कमी का शिकार है। मानव शरीर में रक्त की कमी से प्रचलित शब्द एनिमिक का उपयोग किया जाता है, जबकि दृढ़ इच्छाशक्ति की कमी से हिंदी एनिमिक हो गई है।

हिंदी की एक विचित्र स्थिति नजर आ रही है जिसके तहत् कुछ लोग हिंदी की वर्तमान गति, प्रगति और नीति को सहज, सामान्य और सुबद्ध नामकरण से विभूषित कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसे अशुद्ध, अनर्गल और अभद्र विशेषणों से नवाजने में नहीं हिचक रहे हैं। इस प्रकार हिंदी चर्चा–परिचर्चा के अनेकों दौर से गुजर रही है, तथा समय–समय पर अग्नि परीक्षाओं से गुजरते हुए अपनी कुंदनीय आभा सहित जनमानस के हृदय में वंदनीय भाषा बनती जा रही है। यह तो स्पष्ट है, कि भूमंडल में हिंदी की एक बयार चल पड़ी है, कहीं तेज है, कहीं मंथर है तो कही उनींदी से कसमसा रही है। यह प्रगति पथ ऐका–एक कैसे उभर पड़ा, कोई करिश्मा कहा जाए, या कि अलादीनी ताकत? स्थूल तौर पर देखा जाए, तो यह हमारे देश के बाजार का असर है, जिसमें आर्थिक विकास, जनसंख्या आदि ने भूमंडल को अपनी ओर मोड़ लिया है। वरना किसने सोचा था, कि अमेरिकन प्रशासन एक दिन बोल उठेगा, कि 21वीं शताब्दी में राष्ट्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए अमेरिकी नागरिको को हिंदी सीखनी चाहिए। बात यहीं तक नहीं है, बल्कि अमरीकी राष्ट्रपति बुश ने अपने अहम् राष्ट्रीय भाषण में कहा कि "हम हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ सकते। दुनिया बड़ी उत्सुकतापूर्ण नजरों से देख रही है। जिसका एक उदाहरण हमें मार्च, 2006 का आम बजट पेश करते हुए ब्रितानी वित्त मंत्री के वक्तव्य में भी मिलता है जिसमें उन्होंने कहा, कि "भारत और चीन से मिलने वाली कड़ी प्रतिस्पर्धा का मतलब है, कि हम हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठे रह सकते।" इसके अतिरिक्त बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा हिंदी को गले से लगाना तो सर्वविदित है, तथा हमारे समाज के चर्चित तथा मनोरंजन हेतु जनित सास–बहू के झगड़े को भी शीत पेय बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ कोका कोला और पेप्सी के हिंदी विज्ञापन महासागर ने मात कर दिया है। वस्तुतः हिंदी अब केवल जनसामान्य की भाषा ही नहीं रह गई है, बल्कि बाजार की एक

मजबूरी भी बन गई है। चैनलों पर रिमोटीय उड़ान भर कर देखिए, तो हर ठहराव पर विज्ञापन हिंदी ही बोलते मिलेगा।

हिंदी चाहे विज्ञापन की भाषा के रूप में हो या किसी अन्य विधा में उसका प्रभाव किसी सीमा तक नही नहीं रहता, बल्कि विभिन्न प्रचार–प्रसार माध्यमों से भूमंडल में विस्तृत हो जाता है। संसार के लगभग 120 देशों में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इनमें से बहुत बड़ी संख्या अपनी भाषा भूल चुकी है पर इसका मतलब यह नहीं हो सकता, कि वे हिंदी सीख नहीं रहे हैं। भूमंडलीय आकाश पर पैर पसारती हिंदी अपने कई रूप दिखला रही है, तथा यह कहना कठिन है, कि किस देश में हिंदी किस अंदाज में होगी ठीक वैसे ही जैसे बंबइया हिंदी, मद्रासी हिंदी, लखनवी हिंदी, हैदराबादी हिंदी आदि। ज्ञातत्व है कि प्रायः परिवर्तन प्रगति का परिचायक होता है। परिवर्तन और प्रगति के एक उदाहरणस्वरूप सिंगापुर का उदाहरण लेते हैं, जहां की जनसंख्या में भारतीयों का प्रतिशत मात्र छह फीसदी है। 1990 में जब सिंगापुर में हिंदी सोसायटी की स्थापना हुई तो सिंगापुर सरकार ने हिंदी को दूसरी ऐसी भाषा घोषित कर दिया, जिसे विद्यार्थी सबसे ज्यादा सीखना चाहते हैं। सिंगापुर की हिंदी जरूर हमारे देश में प्रयुक्त हिंदी से थोड़ी भिन्न होगी। ब्रिटेन में तो धड़ल्ले से 'हिंगलिश' चल पड़ी है। इतना ही नहीं उपन्यासकार और शिक्षक बलजिंदर महल ने हिंगलिश जैसी मजेदार भाषा के संसार को व्यापक बनाने के लिए इसकी एक गाइड, शब्दकोष के रूप में पेश की है, जिसका नाम है – "द क्वीन्स हिंगलिश हाऊ टू स्पीक पक्का।" अंग्रेजी के अखबार के स्तंभकार श्री जग सुरैया ने हिंगलिश पर अपने एक लेख में लिखा है – You are not believing on me? Just you go to Bilayat or America and finding out you will be. Peoples there are using many-many ajib words we desi Angreziwallas are bilkul not understanding, no matter how much koshish kro we do. शायद कुछ लोगों की भृकुटियां ऐसी भाषा सुनकर तन जाएं, और श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी या डा. रघुवीर की आत्मा भाषा शुद्धता की मुनादी फिर से शुरू कर दे, पर सच तो यह है, कि हिंदी बिगड नहीं रही है, बल्कि भूमंडलीय स्तर पर अपने को विभिन्न रूपों में सजा–संवार रही है। हां, यह कटु यथार्थ है, कि हिंदी के वर्तमान मौलिक रूप को बनाए रखने का दायित्व हम सब पर है, तथा इन भाषाई झोंको और अंधड़ों से गुजरते हुए हिंदी को हम जिस कलेवर में ढाल पाएंगे हिंदी का वही रूप होगा। वैसे इस हिंगलिश से बच पाना भी कठिन कार्य है।

यहां यह सोच भी प्रासंगिक है, कि जब वैश्विक स्तर पर हिंदी प्रगति दर्शा रही है, तो अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा क्यों नहीं बन पाई? सर्वविदित है कि इस समय संसार की छह भाषाएं–अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, चीनी तथा अरबी भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारिक भाषाएं हैं, तो क्या कमी है हिंदी में? इसका केवल यही उत्तर हो सकता है, कि हमने अब तक निरंतर गंभीरता से इस पर कार्यवाही नहीं की है, परंतु भूमंडलीकरण ने हिंदी को पहचाना है तथा हिंदी का भूमंडल पर गाना–बजाना, साहित्य का रंग–बिरंगा तराना आदि, इसे विश्व भाषाओं में एक सयाना का दर्जा दिए जा रहा है, अतएव संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुंचना कठिन नहीं रह गया है। वैसे अनेकों स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस दिशा में अपने–अपने ढंग से प्रयासरत है, तथा हमें भी अपने–अपने स्तर पर प्रयासरत रहना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए। चूंकि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी अपनी छाप छोड़ रही है, तथा आर्थिक रूप से हमारा देश सतत्, समृद और सक्षम होता जा रहा है, इसलिए लोग अब भारत की ओर मुड रहे हैं। हिंदी बोलने–समझने वालों की संख्या 40 करोड़ के आसपास होने का अनुमान है। इसका एक प्रमुख कारण है रोजगार के अवसर में लगातार वृद्धि, हिंदी की लोकप्रियता में हिंदी फिल्मों या बालीवुड के महत्व को अनदेखा

नही किया जा सकता।

भूमंडलीकरण के युग में हिंदी की भूमिका संपर्क, सम्प्रेषण और सानिध्य की है, तथा जिसे हिंदी बखूबी निभा रही है, हां आप चाहें तो बालीवुड को अग्रणी स्थान दे सकते हैं, आखिरकार हिंदी फिल्में केवल गीत–नृत्य–संवाद का रंगीन पिटारा ही लेकर भूमंडल में नहीं घूमती हैं, बल्कि इसके साथ हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति भी पायल की रून–झुन की तरह विश्व से एक रागात्मकता स्थापित कर रही है। इस विषय पर यदि हम दूसरे पक्ष बैंक, कार्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि की ओर भेदक दृष्टि से देखें, तो मन अचानक पूछ उठेगा कहां है हिंदी, कहां है राजभाषा, कैसे उठती है भूमंडलीकरण में हिंदी दीप्ति की आशा? यहां आकर हिंदी भाषा की मनभावनी विहंगीय उड़ान को एक मचान मिल जाता है, तथा मेरे जैसे बोलनेवाला पल भर के लिए सोच में पड़ जाता है। सोच अनुत्तरित होने का नहीं, क्योंकि बौद्धिकता, यक्ष प्रश्नों का जवाब तो ढूंढ ही लेती है, बल्कि सोच उस दिशा की तलाश करती है, जहां पर समाधान तो है, पर उस समाधान का संज्ञान, दिशा को भी नहीं। हिंदी के प्रति एक आरोप हमेशा लगाया जाता है, कि यह केवल भावनाओं और संवेदनाओं की भाषा है, तथा विचारों की भाषा बनने में असफल रही है। इस आरोप को निराधार साबित करने का दायित्व हम सबका है। हिंदी विचारों की भाषा है, इसका प्रचार–प्रसार नहीं हुआ है। संगोष्ठी परिसंवाद आदि का आयोजन एक दायरे में सिमट कर रह जाता है, जबकि आज के युग में प्रत्येक कार्य के लिए प्रचार–प्रसार आवश्यक हो गया है। राजभाषा के रूप में हिंदी की क्षमताओं को देखकर एक सुखद आश्चर्य का होना आवश्यक है, किंतु वैचारिक हिंदी को लोकप्रिय बनाने के प्रयासों में वस्तुतः कमी है। वैचारिक हिंदी के विभिन्न रूपों के विकास, प्रचार–प्रसार के लिए किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं है, कमी है तो प्रतिबद्धता की। यदि साहसपूर्ण शब्दों में कहने की हिमाकत करूं, तो हिंदी से जुड़े अधिकांश लोग ही हिंदी की वैचारिक लोकप्रियता में बाधक हैं। यह तो हमारे देश की बात है, परन्तु भूमंडल में इस दिशा में भी प्रयास जारी है, कहीं पर पत्रिकाओं के माध्यम से तो कहीं पर गोष्ठी आदि के द्वारा, तथा इसका व्यापक प्रचार–प्रसार भी हो रहा है।

भारत देश की विभिन्न स्तर की प्रतिभाएं नौकरी, व्यवसाय के कारण भूमंडल के कोने–कोने में अपने नीड़ का निर्माण कर रही हैं। जो भारतीय विदेशों में जा रहे हैं, वे हिंदी को भी अपने साथ ले जा रहे हैं, तथा जो काफी पहले से विदेशों में बस कर विदेशी हो गए हैं, वे चमकते भारत में हिंदी सीखते हुए आ जा रहे हैं, तथा इस प्रकार भूमंडल में कल–कल, छल–छल हिंदी सरणी प्रवाहित हो रही है। धरती से 35,000 फीट से भी अधिक ऊँचाई पर हिंदी की कमी का अनुभव होने लगा है, तथा विदेशी वायुसेना कंपनियां, विशेषकर यूरोप की कंपनियां हिंदी को अपनी आवश्यकता बतला रही हैं। आस्ट्रियन एयरलाइन्स, स्विस एयरलाइन्स, एयर फ्रांस और अलीटालिया ने कहा है, कि भारतीय यात्रियों की लगातार हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए, वे भारत की अपनी प्रत्येक उड़ान में कम से कम ऐसे दो क्रू को रखेंगे जो हिंदी बोलना जानते हों। भूमंडल पर हिंदी दौड़ रही है, तथा वायुमंडल में उड़ रही हैं। हिंदी अकेले नहीं है, बल्कि उसके साथ अन्य भारतीय भाषाएं भी हैं। भारत देश की उभरती आर्थिक शक्तियां हिंदी भाषा के द्वारा भी मुखरित हो रही हैं। हम सबके लिए भविष्य में और भी नई चुनौतियां हैं जिसके समाधान के लिए हमें अपनी जुगलबंदी को नया आयाम देना होगा। आइए, हम सब मिलकर अपनी हिंदी लय को ओर मधुरता दें और प्रखरता प्रदान करें।

प्रबंधक, राजभाषा
सिंडिकेट बैंक
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ–250004

न्यायपालिका में राजभाषा हिंदी की भूमिका

डॉ. मुकेश कुमार

प्रस्तुत विषय पर चर्चा आरंभ करने से पूर्व **'न्याय'** शब्द के उद्‌भव और विकास पर संक्षिप्त प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है।

इस भौतिक संसार में हर मनुष्य के अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के प्रति कुछ अधिकार और कर्तव्य होते हैं। उन अधिकारों और कर्तव्यों की सीमा के उल्लंघन या हनन होने पर विवाद जैसी संकल्पना का जन्म होता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य के अस्तित्व तथा अस्मिता खतरे में पड़ जाते हैं, जिससे उनकी रक्षा का सवाल खड़ा हो जाता है। उन्हीं अस्तित्व तथा अस्मिता को बनाए रखने हेतु 'न्याय' जैसी नैसर्गिक संकल्पना की अहम् भूमिका होती है। अगर इसे परिभाषित किया जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि– ''न्याय दो पक्षों के बीच उत्पन्न विवाद के कारणों के निराकरण की एक संकल्पना है।'' 'न्याय' तो मानव के साथ आदिकाल से ही जुड़ा हुआ है। भले ही इसका स्वरूप अविकसित तथा पिछड़ा हुआ क्यों न हो। लेकिन धीरे–धीरे सभ्यता– संस्कृति तथा ज्ञान–विज्ञान के परिवर्तन व परिवर्धन के परिणामस्वरूप न्याय संकल्पना भी समृद्ध होती गई। कालांतर में विभिन्न राष्ट्रों के जिम्मेदार लोगों ने इस न्याय संकल्पना को अपने–अपने राष्ट्र की भाषाओं में सुव्यस्थित तथा सुस्थापित करने का कार्य किया। फिर इसी न्याय संकल्पना को सुचारू ढंग से संचालित करने हेतु विभिन्न न्यायालयों की स्थापना भी की गई जिसे न्याय पालिका के नियंत्रण ाधीन रखा गया।

प्रस्तुत विषयानुसार न्यायपालिका से तात्पर्य– देश की राजधानी में स्थित उच्चतम न्यायालय से लेकर सभी राज्यों की राजधानी में स्थित उच्च न्यायालयों तथा विभिन्न जिलों के मुख्यालयों में स्थित जिला व्यवहार न्यायालयों से है। जिला व्यवहार न्यायालय के अंतर्गत भी कुछ न्यायालय होते हैं, यथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी तथा प्रथम व द्वितीय श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी, अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधि ाकारी तथा प्रथम व द्वितीय श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी का न्यायालय, किशोर न्यायालय, परिवार न्यायालय इत्यादि। इतना ही नहीं, सभी जिलों में और भी न्यायालय होते हैं, यथा जिला दण्डाधिकारी (D.M.) अनुमंडल–दण्डाधिकारी (S.D.M.), बल्कि सभी कार्यपालक दण्डाधिकारी (Executive Magistrate) तथा अंचलाधिकारी (C.O.) आदि का न्यायालय।

न्यायपालिका में राजभाषा हिंदी की भूमिका के स्पष्टीकरण के लिए न्यायालयी भाषा को दो काल–खण्डों में विभक्त करने की आवश्यकता प्रतीत होती है –

(क) स्वतंत्रतापूर्व भारत की न्यायिक भाषा (ख) स्वातंत्र्योत्तर भारत की न्यायिक भाषा (क) स्वतंत्रतापूर्व भारत की न्यायिक भाषा

"भारत की स्वतंत्रता के कई सौ वर्ष पूर्व भारत में न्याय–क्षेत्र का कार्य संस्कृत में ही हुआ करता था।"[1] तदन्तर मुगल–शासन काल में नयाय–सम्बन्धी कार्य अरबी–फारसी भाषा में किये जाने लगे। अंग्रेजों के भारत में पदार्पण के पश्चात् अरबी–फारसी तथा हिंदी की जगह अंग्रेजी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया और तब से देश के सभी क्षेत्रों में पूर्ण–रूपेण अंग्रेजी में ही सभी कार्य होने लगे, जिसका विशेष प्रभाव न्यायालय पर पड़ा। क्योंकि न्याय–व्यवस्था अंग्रेजों से ही भारत

को विरासत में मिली है। इसलिए न्यायालय के भवन तथा उसकी भाषा से लेकर संबंधित व्यक्तियों के पोशाक तक सभी अंग्रेजियत की छाया से ओत–प्रोत दिखते हैं। फलतः हिंदी को तिरस्कार का शिकार होना पड़ा। इसके साथ सौतेलापन का व्यवहार किया जाने लगा। जिससे यह बात हिंदी प्रेमियों की नजर में खटकने लगी। कतिपय प्रयासों के बावजूद हिंदी को अन्य क्षेत्रो के साथ–साथ न्यायालय से भी दूर रखा गया। फिर भी इस संदर्भ में महापुरुषों तथा हिंदी सेवी संस्थाओं ने अपने प्रयास को निरंतर बनाए रखा। ऐसे महापुरूषों में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती, पं. मदन मोहन मालवीय, अयोध्या प्रसाद खत्री, राष्ट्रपिता बापू, श्री भूदेव मुखर्जी इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त संस्थाओं में काशी नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग आदि की भूमिका भी विशेष रूप से सराहनीय रही है। महर्षि दयानन्द सरस्वती की हिंदी सेवा का मूल्यांकन करते हुए डॉ. मल्लिक मुहम्मद ने लिखा है–''आर्य समाज ने देश की शिक्षा प्रणाली में हिंदी को सम्मिलित कराने के प्रयास किए और साथ ही न्यायालय में भी हिंदी के प्रयोग का आन्दोलन चलाया था। महिर्ष दयानंद की प्रेरणा से हिंदी को राजकार्य में प्रवृत्त कराने के लिए भी अनेक स्थानों से अंग्रेजी सरकार के पास मेमोरेण्डम भेजे गए।''[2] ''सन् 1863 ई. में सरकार द्वारा जब देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि के प्रयोग का सुझाव रखा गया, तो मालवीय जी ने उसका डटकर विरोध किया था और ''कोर्ट–कैरेक्टर एण्ड प्राइमरी एडुकेशन इन नॉर्थ–वेस्ट प्रोविन्सेज'' नामक पुस्तक लिखकर रोमन लिपि की अव्यावहारिकता सिद्ध करते हुए उसकी वैज्ञानिकता की धज्जियाँ उड़ा दी थी तथा तत्कालीन गवर्नर को उन्होंने साठ हजार हस्ताक्षरों वाला निवेदन देकर रोमन लिपि के खिलाफ जनाक्रोश एवं जनभाषा से सत्ता को परिचित कराया था और अदातलो में हिंदी को प्रवेश दिलवाया था।''[3]

महात्मा गाँधी ने भी देश के सभी क्षेत्रों के साथ–साथ हिंदी को न्यायालय की भी भाषा बनाने के लिए काफी प्रयत्न किया। इस संदर्भ में उन्होनें कहा था– ''उच्च न्यायालय तथा न्याय–व्यवहार की भाषा प्रादेशशिक भाषा होनी चाहिए, तो सर्वोच्य न्यायालय की भाषा हिंदी–हिंदुस्तानी होनी चाहिए। लेकिन हमने समूची न्याय–प्रणाली अंग्रेजों से विरासत में ली, इसलिए उसमें भाषा, पोशाक तथा चिंतन इनमें से कुछ भी स्वदेशी नहीं है और यही हालात सभी कार्यों में दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है मानो आज भी भारत इंग्लैण्ड का विस्तारित हिस्सा ही है। इस पर भी गंभीरता से विचार करना होगा।''[4]

''जब सन् 1893 ई० में काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई तो सभा के भगीरथ बोली हिंदी का प्रवेश न्यायालयों में भी हो गया।''[5]

इसी तरह से हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने भी हिंदी भाषा राज्यों के सरकारी विभागों, पाठशालाओं, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, नगर–निगमों, समाजों, जनसमूहों इत्यादि के साथ–साथ न्यायालयों के कार्यों में देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा के प्रचार का उद्योग करता रहा। ''वैसे तो ब्रिटिश संसद ने भी सर्वप्रथम सन 1789 में यह प्रावधान किया था कि भारत का कानून भारतीया भाषा में अनूदित हो।''[6]

परंतु भारत में कानून पहले उर्दू भाषा और फारसी लिपि में अनूदित हुए।

(ख) स्वांतत्र्योत्तर काल में भारत की न्यायिक भाषा

स्वातंत्र्योत्तर काल में भारत की न्यायिक भाषा की जानकारी के संन्दर्भ में दो बातें सामने आती हैं– (i) संवैधानिक पक्ष और (ii) व्यावहारिक पक्ष।

(i) संवैधानिक पक्ष

15 अगस्त, 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो संविधान सभा में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। ''तत्पश्चात् 26 नवम्बर 1949 को भारत के संविधान को स्वीकार कर 26 जनवरी, 1950 को उसे लागू भी कर दिया गया।''[7] इस संविधान के भाग– 5, 6 तथा 17 में राजभाषा संबंधी कुछ उपबंध भी किए गए हैं जिनमें भाग

– 17 का शीर्षक 'राजभाषा' है। इस भाग में चार अध्याय और नौ अनुच्छेद है जिनमें से अनुच्छेद – 348 तथा 349 न्यायालय की भाषा से सम्बधित है।

''अनुच्छेद – 348 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्चन्यायालयों आदि की भाषा के बारे में प्रावधान करते हुए स्पष्ट कहा गया है कि 'जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करें तब तक उच्च्तम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी और संसद एवं राज्यों के विधान मंडलों में पारित विधेयक तथा राष्ट्रपति एवं राज्यपालों द्वारा जारी सभी अध्यादेश आदेश, विनियम, नियम आदि सबके प्राधिकृत पाठ (Authoritative Text) भी अंग्रेजी भाषा में ही माने जायेंगे।''[8] इस प्रकार यह अनुच्छेद राजभाषा हिंदी के अधिकारों पर सीधा आक्रमण करता है और अंग्रेजी की सत्ता तथा महता को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है।

"संविधान के अनुच्छेद – 349 के अनुसार संविधान के लागू होने के पंन्द्रह वर्षों की अवधि तक अंग्रेजी के अलावा किसी भी दूसरी भाषा का पाठ प्राधिकृत पाठ नहीं माना जायेगा परंतु किसी अन्य भाषा के प्राधिकृत पाठ हेतु भाषा आयोग तथा संसदीय समिति के प्रतिवेदनों एवं सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है।"[9] अतः इससे स्पष्ट होता है कि हिंदी पूर्णतः भाषा आयोग और संसदीय समिति के प्रतिवेदनों और सिफारिशों पर निर्भर है।

राजभाषा आयोग – 1955

"भारतीय संविधान के अनुच्छेद– 344 (1) के अनुसार संविधान लागू होने के पाँच वर्ष पश्चात् राष्ट्रपति को एक 'राजभाषा आयोग' नियुक्त करने का आदेश दिया गया था। तदनुसार 7 जून, 1955 को आयोग के गठन का आदेश जारी किया गया। राजभाषा आयोग की पहली बैठक 15 जुलाई, 1955 को अध्यक्ष श्री बाल गंगाधर खरे (श्री बी.जी. खेर) की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस आयोग ने अनेक सरकारी, गैर सरकारी व्यक्तियों, प्रतिनिधियों तथा संस्थानों से मुलाकात की और 1930 व्यक्तियों की गवाही भी ली। तत्पश्चात् अपनी 76 बैठकों में अपना एक विस्तृत प्रतिवेदन जुलाई 1956 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। जिसमें अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ आयोग ने राष्ट्रपति को विधि क्षेत्र की हिंदी के विषय में जो सुझाव दिए थे वे इस प्रकार हैं"– "स्वीकृत सरकारी कानून हिंदी में ही होने चाहिए। परंतु जनता की सुविधा के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में उनके अनुवाद प्रकाशित किए जाने चाहिए और माध्यम के पूर्ण रूप से बदल जाने पर देश के सम्पूर्ण सांविधिक ग्रंथ हिंदी भाषा में ही उपलब्ध होने चाहिए।"[10] "देश में न्याय देश की ही भाषा में किया जाए। इसके लिए यह जरूरी है कि उच्चतम न्यायालय और उच्चन्यायालयों की समस्त कार्यवाही तथा अभिलेखों, निर्णयों और आदेशों के आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय भाषाओं में भी निर्णय देने का अधिकार होना चाहिए। इसी प्रकार वकीलों या अधिवक्ताओं को भी अंग्रेजी अथवा क्षेत्रीय भाषाओं में काम करने की छूट होनी चाहिए। विशेष न्यायालयों के निर्णय यदि एक क्षेत्र तक सीमित न हो तो वे निर्णय और आदेश मूलरूप में हिंदी में ही लिखे जाने चाहिए।"[11]

संसदीय राजभाषा समिति – 1957

''भारतीय संविधान के अनुच्छेद– 344 के खण्ड–4 और 5 में की गई व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा संबंधी संसदीय समिति के गठन का आदेश सन् – 1956 ई० में जारी किया गया। जिसमें राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन पर विचार–विमर्श करने हेतु एक 'संसदीय राजभाषा समिति' का गठन किया गया। इसमें लोकसभा के 20 और राज्य सभा के 10 सदस्य थे। समिति की पहली बैठक तत्कालीन गृहमंत्री श्री गोविन्द बल्लभ पंत की अध्यक्षता में 16 नवम्बर 1957 को हुई। कुल मिलाकर समिति ने अपनी 26 बैठकों में आयोग की रिपोर्ट पर विचार किया और अंत में 8 फरवरी, 1959 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दी। अपनी इस रिपोर्ट में समिति ने विधि क्षेत्र की हिंदी के लिए जो सिफारिश की थी, वह इस प्रकार है– ''संसद तथा राज्यों के विधान मंडलों में पारित होने वाले विधेयकों की भाषा तथा जबतक अंग्रेजी का स्थान हिंदी न लेले तब तक संसद में विधि निर्माण का कार्य अंग्रेजी में होता रहे। कानून की

हिंदी में प्राधिकृत अनुवाद दिए जाएँ तथा संभव हो तो विभिन्न राज्यों की राजभाषाओं में विधि निर्माण कार्य कर सकती हैं परंतु संविधान के अनुच्छेद–348 के अनुसार कानूनों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में प्रकाशित करना आवश्यक है। यदि कानून का मूल पाठ अन्य भाषा में है तो साथ में हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत किया जा सकता है।''[13]

"राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से उच्च न्यायालयों में राज्य की राजभाषा अथवा हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु उनके द्वारा किए जानेवाले निर्णयों, अभिलेखों और आदेशों को अंग्रेजी में ही होना चाहिए तथा दूसरी भाषाओं में दिए जाने वाले निर्णयों, डिग्रियों एवं आदेशों का अंग्रेजी अनुवाद साथ में होना चाहिए।"[14]

"हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान न्यायाधीशों के लिए उपयुक्त हो सकता है परंतु उनके लिए भाषा–संबंधी परीक्षाएँ निर्धारित करना उचित नहीं है।"[15]

"सांविधिक ग्रंथों के अनुवाद तथा कानूनी पारिभाषिक शब्दावली आदि के निर्माण की उचित योजना बनाने तथा संपूर्ण कार्य की व्यवस्था करने के लिए भारत के विभिन्न भाषा–भाषी विधि विशारदों के स्थाई आयोग या उच्चस्तरीय समिति का निर्माण किया जाना चाहिए।"[16]

राष्ट्रपति का आदेश–1960

''संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद–344 खण्ड (6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के कामकाज में हिंदी को प्रस्थापित किए जाने के उद्देश्य से 27 अप्रैल, 1960 को एक आदेश जारी किया।''[17] इस आदेश में विधि संबंधी निदेशों का भी समावेश है–

(क) ''समिति ने राय दी है कि संसदीय विधियाँ अंग्रेजी में बनती रहें किन्तु उनका प्रमाणिक हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराया जाए। संसदीय विधियाँ अंग्रेजी में बनती रहें पर उनके प्रामाणिक हिंदी अनुवाद की व्यवस्था करने वास्ते विधि मंत्रालय आवश्यक विधेयक उचित समय पर पेश करे। संसदीय विधियों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कराने का प्रबंध भी विधि मंत्रालय करे।"[18]

(ख) "समिति ने राय जाहिर की है कि जहाँ राज्य विधानमंडल में पेश किए गए विधेयकों या पास किए गए अधिनियमों के मूल पाठ हिंदी से भिन्न किसी भाषा में है, वहाँ अनुच्छेद – 348 के खण्ड (3) के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद के अलावा उसका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किया जाए। राज्य की राजभाषा में पाठ के साथ–साथ राज्य विधेयकों, अधिनियमों और अन्य सांविधिक लिखतों के हिंदी अनुवाद के प्रकाशन के लिए आवश्यक विधेयक उचित समय पर पेश किया जाए। राजभाषा आयोग ने सिफारिश की थी कि जहाँ तक उच्चतम न्यायालय की भाषा का सवाल है उसकी भाषा इस परिवर्तन का समय आने पर अन्ततः हिंदी होनी चाहिए। समिति ने इस सिफारिश को मान लिया है। आयोग ने उच्च न्यायालयों की भाषा के विषय में प्रादेशिक भाषाओं और हिंदी के पक्ष–विपक्ष में विचार किया और सिफारिश यह की है कि जब भी इस परिवर्तन का समय आए, उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आज्ञाप्तियों (डिग्रियों) और आदेशों की भाषा सब प्रदेशों में हिंदी होनी चाहिए, किन्तु समिति की राय है कि राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से आवश्यक विधेयक पेश करके यह व्यवस्था करने की गुंजाइश रहे कि उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आज्ञाप्तियों (डिग्रियों) और आदेशों के लिए उच्च न्यायालय में हिंदी और राज्यों की राजभाषाएँ विकल्पतः प्रयोग में लाई जा सकेंगी। समिति की यह राय है कि उच्चतम न्यायालय अंततः अपना सब काम हिंदी में करें यह सिद्धांत रूप में स्वीकार्य है और इसके संबंध में समुचित कार्रवाई उसी समय अपेक्षित होगी जबकि इस परिवर्तन के लिए समय आ जाएगा।"[19]

“एक मानक विधि शब्द कोश बनाने, हिंदी में कानून बनाने और कानूनी शब्दावली के निर्माण के लिए विभिन्न राष्ट्रीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कानून के विशेषज्ञों का एक स्थाई आयोग स्थापित किया जाए।”[20]

राजभाषा अधिनियम – 1963

‘राजभाषा अधिनियम–1963’’ में कुल नौ धाराएँ है जिसमें धारा–7 में न्यायालयी हिंदी के बारे में बताया गया–किसी राज्य के राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से उस राज्य के उच्च न्यायलय द्वारा किये गए अथवा पारित किए गए किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के लिए अंग्रेजी भाषा के अलावा हिंदी अथवा राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकते हैं। तथापि यदि कोई निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में दिया या पारित किया जाता है तो उसके साथ–साथ संबंधित उच्च न्यायालय के प्राधिकार से अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी दिया जायेगा। अब तक उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखण्ड के राज्यपालों ने अपने–अपने उच्चन्यायालयों में प्रर्युक्त उद्देश्यों के लिए हिंदी के प्रयोग की अनुमति भी दे दी है।

“इन उच्चन्यायलयों के द्वारा हिंदी में दिये गये निर्णय, डिक्री या आदेश को प्राधिकृत और अधिप्रमाणित माना जाएगा। यह अपेक्षा कि ऐसे निर्णयों के साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकालने गए अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी सम्मिलित किया जाए, एक अतिरिक्त संविधिक अपेक्षा है, इससे हिंदी में दिए गए निर्णय का अधिप्रमाणित या प्राधिकृत स्वरूप समाप्त नहीं होता”[21]

(ii) व्यावहारिक पक्ष

अबतक स्वातंत्र्योत्तर भारत की न्यायिक भाषा के संबंध में जो कुछ कहा गया है वह न्यायपालिका में हिंदी भाषा के संवैधानिक पक्ष से सम्बधित था। उसके व्यावहारिक पक्ष पर प्रकाश डालने के क्रम में द्रष्टव्य है कि नयायपालिका में हिंदी का दो प्रकार से व्यवहार किया जाता है–

(क) न्यायिक तथा विधिक कार्यों की भाषा के रूप में (ख) कार्यालयीन कार्यों की भाषा के रूप में

(क) न्यायिक तथा विधिक कार्यों की भाषा के रूप में

न्यायिक तथा विधिक कार्यों की भाषा के रूप में राजभाषा हिंदी का व्यवहार तब किया जाता है जब सरकारी अर्धसरकारी विभागों, निगमों, निकायों इत्यादि के लिए नियमों, अधिनियमों, उपनियमों, विनियमों का निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीश तथा दण्डाधिकारी के द्वारा मामलों के निष्पादन हेतु प्रयुक्त अभिलेखों आदेशों, स्मारकपत्रों, समनों, शिकायत–पत्रों, विधिक सूचनाओं इत्यादि में भी राजभाषा हिंदी का व्यवहार किया जाता है। इस क्षेत्र की हिंदी भाषा के प्रयोक्ताओं में विधि–विशेष के ज्ञान के साथ–साथ राजभाषा हिंदी का ज्ञान भी होना अनिवार्य है क्योंकि विधि क्षेत्र की भाषा न आमफहम होती है और न खासपंसद ही। इसकी भाषा पूर्णरूपेण कानून पर आधारित होती है। जिसमें व्यक्ति को थोड़ा सा भी अन्यमनस्क होने पर न केवल न्याय की सर्वसुलभता के सिद्धांत को आघात पहुँचता है बल्कि कभी–कभी विपरीत परिणाम भी परिलक्षित होने लगता है। अतः इसकी भाषा में सतर्कता तथा सावधानी की नितांत आवश्यकता होती है। विधिक तथा न्यायिक साहित्यों में जो भी बातें लिखी होती हैं, उनमें विधिक शब्दावली, विशिष्ट पद विन्यास तथा लम्बी और संयुक्त वाक्य–रचना के साथ–साथ कानूनी प्रक्रिया की अन्विति का समावेश भी होता है। कभी–कभी तो दो–दो, तीन–तीन पंक्तियों का एक पैराग्राफ कानूनी अंदाज में इस तरह से घुमा–फिरा कर पेश किया जाता है जो संबंधित व्यक्तियों की समझ से भी परे हो जाता है। अतः इन सभी कार्यों में राजभाषा हिंदी के व्यवहार का उद्देश्य भाषा को सरल से सरलतर बनाना है न कि कठिन से कठिनतर। दूसरी बात यह कि विधिक या न्यायिक कार्यों की भाषा का कठिन होने का एक और भी कारण है कि विधिक क्षेत्रों में अबतक जो भी साहित्य उपलब्ध हैं सब–के–सब अंग्रेजी भाषा

में ही हैं। इन साहित्यों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग करने के लिए हिंदी अनुवाद रूपी बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है जो काफी कठिन तथा दुरूह कार्य है, क्योंकि अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं की अपनी अलग–अलग प्रकृति तथा संस्कृति होती है जिसमें सामंजस्य तथा समतुल्यता स्थापित करने में काफी सतर्कता तथा सावधानी बरतनी पड़ती है। न्यायिक भाषा में जो भी कहा जाता है, उसका सीधा और उतना ही अर्थ होना अपेक्षित है जितना कि कहने या लिखाने वाले का आशय है। इसमें किसी संदर्भ विशेष के लिए निश्चित शब्द का ही प्रयोग करना पड़ता है इसके लिए अलग से पर्याय के रूप में किसी दूसरे शब्द की गुंजाइश नहीं होती है। अतः विधिक या कानूनी क्षेत्र में प्रयुक्त प्रत्येक अंग्रेजी शब्द के लिए अलग–अलग पारिभाषिक शब्द निश्चित कर दिया गया है जो ऊपरी तौर से देखने तथा सुनने में एक समान प्रतीत होता है परंतु कानूनी क्षेत्र में उनका अर्थ भिन्न होता है। इस तरह से अब तक विधिक तथा न्यायिक साहित्यों की तैयारी हेतु हिंदी भाषा का जो स्वरूप अपनाया गया है वह पूर्णरूपेण अनुवाद पर आधारित है। आखिर ऐसा कबतक होता रहेगा, जबकि भारत की मुख्य भाषा हिंदी है। अतः विधिक तथा न्यायिक क्षेत्रों की भाषा के रूप में राजभाषा हिंदी के व्यवहार के साथ नित नूतन मौलिक विधिक साहित्यों का सृजन अपेक्षित है। इसी उद्देश्य से बिहार की न्यायपालिका में हिंदी भाषा के प्रयोग हेतु ' बिहार विधि भाषा अधिनियम 1955'' (बिहार अधिनियम – 23, 1955) बनाया गया जिसे 8 नवम्बर, 1955 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई और पहली बार यह अनुमति 25 नवम्बर, 1955 को बिहार गजट के साधारण अंक में प्रकाशित हुई। इन्हीं बातों को ध्यानस्थ करते हुए विधि–विशेषज्ञों ने अपनी कोशिश जारी रखी जिसके परिणामस्वरूप उन्हें बहुत हद तक सफलता भी मिल रही है। और न्यायिक भाषा सर्वजन सुलभ, सुगम तथा सुबोध भी बनती जा रही हैं?। इस संदर्भ में पटना उच्च न्यायालय के न्याधिपति श्री शंभु प्रसाद सिंह तथा श्री भुवनेश्वर धारी सिंह का नाम उल्लेखनीय है जिन्होंने अपील सं.– 182 संन् 1971/मोहम्मद अख्तर अली (अपीलार्थी) बनाम बदूदीन एवं अन्य अपीलार्थी के बाद में दिनांक 3 अगस्त 1972 को हिंदी भाषा में अपना प्रथम निर्णय सुनाया था। इसी तरह से कुछ अन्य न्यायमूर्तियों जैसे– केन्द्रीय हिंदी समिति के सदस्य श्री चन्द्रशेखर धर्माधिकारी, मुंबई स्थित हिंदी सेवी संगठन 'राष्ट्रभाषा महासंघ' के अध्यक्ष श्री देवकीनंदन धानुका, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री प्रेमशंकर गुप्त आदि ने तो राजभाषा हिंदी के पक्ष में न केवल अपना निर्णय सुनाया बल्कि अपने निर्णयों की घोषणा में राजभाषा हिंदी का प्रयोग भी किया। ''न्यायमूर्ति श्री प्रेमशंकर गुप्त ने तो अपने जीवन काल में एक नहीं लगभग चार हजार मुकदमों की सुनवाई हिंदी में की और हिंदी देवनागरी में ही अपने निर्णय लिखे। इसके लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया।'' 22 इस तरह से न्यायिक क्षेत्र की हिंदी भाषा में सृजनात्मक कार्य हेतु एक नहीं अनेक पुरस्कारों की व्यवस्था की गई है[23]–

1. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार "प्रत्यक्ष कर साहित्य पुरस्कार"।
2. विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार का "राज पुरस्कार"।
3. गृह मंत्रालय भारत सरकार का "प० गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार"।
4. उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ का "मोतीलाल नेहरू पुरस्कार"।
5. राजस्थान सरकार का 'स्टेट एवार्ड'।
6. हिंदी में उत्त्कृष्ट निर्णय लेखन के लिए राजस्थान सरकार का "न्यायमूर्ति वेदपाल त्यागी स्मृति पुरस्कार"।
7. मध्यप्रदेश विधान सभा का ''डॉ० भीमराव अंबेदकर पुरस्कार।
8. बिहार सरकार का ''डॉ० सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार।''
9. भाषा एवं पुस्तकालय विभाग राजस्थान सरकार का – ''हिंदी सेवा पुरस्कार'।
10. बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष सरकारी सेवक

प्रोत्साहन पुरस्कार के अन्तर्गत विधि क्षेत्र के दो न्यायिक पदाधिकारी जो हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करते है। उन्हें इस तरह सम्मानित किया जाता है–

प्रथम पुरस्कार– 2000/–

द्वितीय पुरस्कार 1500/–

11. बिहार सरकार राजभाषा विभाग द्वारा विज्ञान, चिकित्सा, अभियंत्रण तथा विधि के क्षेत्र में साहित्येत्तर विधा पर पुरस्कार के रूप में एक लाख रूपये की राशि प्रदान की जाती है।

(ख) कार्यालयीन कार्यों की भाषा के रूप में

राजभाषा हिंदी की प्रयुक्ति के दृष्टिकोण से न्यायपालिका में न्यायिक तथा विधिक क्षेत्रों के अतिरिक्त जो शेष क्षेत्र है वह है कार्यालयीन या प्रशासनिक क्षेत्र। इस संदर्भ में न्यायपालिका में राजभाषा हिंदी का जो प्रयोग होता है वह वहाँ कार्यरत कर्मचारियों तथा न्यायिक पदाधिकारियों के अवकाश नियुक्ति, सेवानिवृति, निलम्बन, तबादला इत्यादि से संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु आलेखन प्रारूपण जा सकते हैं।

अब गौरतलब है कि न्यायापालिका में राजभाषा हिंदी का प्रयोग चाहे न्यायिक या विधिक क्षेत्र में हो या कार्यालयीन या प्रशासनिक क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा बिना लाग–लपेट की होनी चाहिए।

अर्थात् भाषा का न आलंकारिक प्रयोग हो और न पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन ही। यहाँ तक कि भाषा में न कहीं भावनात्मक कमजोरी ही दृष्टिगत होनी चाहिए और न व्यंजना तथा लक्षणा शब्द–शक्तियों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए बल्कि उपर्युक्त सभी कार्य हेतु अभिधा शब्द–शक्ति का प्रयोग करते हुए अपनी बुद्धि व विवेक से एक सीधी–सादी अर्थ देनेवाली निरपेक्ष हिंदी भाषा का प्रयोग ही अपेक्षित होता है। ऐसी भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता–एकार्थता, संक्षिप्तता तथा स्पष्टता होती है।

न्यायपालिका में राजभाषा हिंदी की स्थिति से अवगत होने के लिए मुझे न्यायिक संस्थाओं का दौरा करने की भी आवश्यकता हुई इसके लिए मैने कई जिला व्यवहार न्यायालयों से लेकर अनुमंडल–न्यायिक दण्डाधिकारियों, जिला दण्डाधिकारियों, अनुमंडलीय दण्डाधिकारियों, कार्यपालक दण्डाधिकारियों तथा अचलाधिकारियों आदि के न्यायालयों तक का दौरा किया। इस दरम्यान न्यायाधीशों तथा कनीय दण्डाधिकारियों के साथ–साथ उनके कर्मचारियों से भी साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ। न्यायालयों में व्यवहृत होने वाली राजभाषा हिंदी के संदर्भ में उन्होंने मुझे बताया कि अब अधिकतम कार्य हिंदी में ही किये जा रहे हैं। इसी दरम्यान पटना उच्च न्यायालय के कार्यालयों में भी मुझे सभी कार्य अंग्रेजी भाषा में ही देखने को मिला परंतु यहाँ भी पूर्व की अपेक्षा अब कुछ–कुछ कार्य हिंदी में शुरू किये जा रहे है। यही नहीं बल्कि 'क' क्षेत्र (हिंदी भाषा क्षेत्र) उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश राज्यों के प्रायः न्यायालयों में भी हिंदी का प्रयोग हो रहा है। यहाँ न्यायमूर्तियों तथा कार्यरत कर्मचारियों के बोलचाल की भाषा तो हिंदी ही है। यहाँ तक कि वकीलों तथा न्यायाधीशों के बीच भी अधिकतर बहस हिंदी भाषा में ही हो रही है। वैसे न्यायमूर्ति जो अर्धहिंदी (ख क्षेत्र) तथा अहिंदी (ग क्षेत्र) के होते हैं उनमें से अधिकतम की भाषा हिंदी की जगह अंग्रेजी हो होती है।

यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा समय–समय पर उद्घोषित कुछ निर्णय ऐसे है जिससे हिंदी भाषा के प्रयोग एवं प्रचार –प्रसार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है ये निर्णय है 24 –

"भारत संघ विरूद्ध मूरासोली मारन" (ए.आई. आर. 1977 एस.सी. 225) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि– ''यदि राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित किया जाता है जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा के प्रचार–प्रसार में अभिवृद्धि करना तथा सेवारत कर्मचारियों को हिंदी भाषा के लिए प्रक्षिशित करना हो तो ऐसा आदेश न्यायोचित होगा।''

एक बार तमिलनाडु सरकार ने एक ऐसी

योजना बनाई थी जिसके अन्तर्गत हिंदी विरोधी आंदोलनकारियों को पेंशन दिया जाना प्रस्तावित था। "आर०आर० दलवाई बनाम तमिलनाडु राज्य" (ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 1559) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस योजना को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि राज्य हिंदी या अन्य किसी भी भाषा के विरूद्ध मनोभाव को उत्तेजित करने वाला कार्य नहीं कर सकता। यह राष्ट्र विरोधी एवं लोकतंत्र विरोधी प्रकृति है ऐसी प्रकृति को आरंभ में ही हतोत्साहित कर देना उचित है।

परीक्षा के माध्यम को लेकर उत्पन्न विवाद "हिंदी हितरक्षक समिति बनाम भारत संघ" (ए.आई. आर. 1990 ए.सी. 851) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि '' परीक्षा का माध्यम हिंदी के बजाय अन्य किसी भाषा को रखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए तद्नुकूल परिस्थितयाँ विद्यमान हो।''

हिंदी प्रचार–प्रसार पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाला इसी तरह का एक और निर्णय है जो मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उद्घोषित है। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज आफ फिजिकल एज्यूकेशन, ग्वालियर (ए.आई.आर. 1957 मध्य प्रदेश 43) के मामले में उच्च न्यायालय ने कहा था। ''भारत को स्वतंत्र हुए पचास वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन मानसिक दासता अभी भी यथावत है। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को देश की राजभाषा घोषित किया गया है लेकिन अंग्रेजी के बल पर उच्च पदों पर आसीन होने की आकांक्षा रखने वो मुट्ठी भर लोग इसे अपना यथोचित स्थान दिलाने में कंटक बने हुए हैं। भारत में अंग्रेजी जानने वाले लोगों का प्रतिशत नगण्य है, फिर भी अंग्रेजी के बल पर वे अपने–आपको अन्य लोगों से ऊपर मानते हैं। यह सुस्थापित है कि बालक अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपनी मातृभाषा में अधिक अच्छी तरह कर सकता है। ऐसे बालकों पर अंग्रेजी थोपना उसके मानसिक एवं बौद्धिक विकास को अवरुद्ध करना है"[25]

अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि संविधान के अनुच्छेद–348 में संशोधन कर उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में भी राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे राष्ट्रीय एकता का सूत्र और भी सबल और सशक्त बन सके। उच्चतर न्यायालय हिंदी प्रयोग से बंचित क्यों रहेंगे? इसके लिए किसी वाद के दोनों पक्ष आवेदन के समय ही शपथ पत्र राष्ट्रभाषा हिंदी में आवेदन देने और बहस करने से लेकर निर्णय सुनने तक स्वैच्छिक रूप से अपनी सहमति दें। तब उच्चतर न्यायालय द्वारा उस वाद की सुनवाई हिंदी में करके उसका फैसला भी हिंदी में ही सुना दिया जाए।

उच्च्तम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी भाषा में कार्य करने वालों का यह तर्क रहता है कि इन न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा तबादला संपूर्ण भारत को ध्यान में रखकर किया जाता है। ऐसी परिस्थति में सभी न्यायाधीश हिंदी भाषा से सुपरिचित नहीं होते, अतः हिंदी में सुनवाई करना तथा उसके निर्णय की उद्घोषणा करना संभव नहीं है। जबकि यह तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। भारतीय सिविल सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा इसी तरह की और भी सेवाएँ जो अखिल भारतीय स्तर की होती है। उनके कर्मचारियों तथा अधिकारियों को हिंदी में काम करने में कहाँ समस्या आती है?

दूसरी बात कि अब तो विधि विषय पर अनेक प्राधिकृत पुस्तकें भी उपलब्ध होने लगी हैं। मुल्ला, रतन लाल, धीरज लाल, डी.डी वसु वेन्थम आदि अनेक सुविख्यात लेखकों की पुस्तकों को हिंदी भाषा में अनूदित भी किया गया है। हिंदी में अनेक पत्र–पत्रिकाएँ जैसे– विधि साहित्य प्रकाशन, विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका एवं उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा भी राजस्थान विधि पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। विधि साहित्य प्रकाशन तो लेखकों से हिंदी भाषा में विधि विषय पर पुस्तकें तैयार करवा रहा है।

संदर्भ ग्रंथ–सूची

1. डॉ. जयन्ती प्रसाद नौटियाल 'हिंदी अनुशीलन' मानसी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ.सं.–288 प्रथम सं.– 2007
2. डॉ० विनोद गोदरे 'प्रयोजनमूलक हिंदी : वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, पृ. सं.– 64
3. वही, पृ.सं. –56
4. सं. श्री विजय चन्द्र मंडल 'राजभाषा भारती' राजभाषा विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली, जुलाई–सितम्बर–2005, अंक– 110, पृ. सं.– 6
5. डॉ. राम प्रकाश एवं डॉ. दिनेश गुप्त, ''प्रयोजनमूलक हिंदी : संरचना एवं अनुप्रयोग'', राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, पृ. सं.–17
6. डॉ. जयन्ती प्रसाद नौटियाल–'हिंदी अनुशीलन', मानसी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.सं.– 240, प्रसंस्करण– 2007
7. डॉ. दंगल झाल्टे ''प्रयोजनमूलक हिंदी : सिद्धांत और प्रयोग'' वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.सं.– 125, संस्करण– 2006
8. वही, पृ.सं.– 135
9. वही, पृ.सं.– 135
10. डॉ. विनोद गोदरे, 'प्रयोजनमूलक', वाणी प्रकाशन दरियागंज दिल्ली, संस्करण–1998, पृ.सं. –81
11. वही, पृ.सं. – 81
12. वही, पृ.सं.– 83
13. वही, पृ.सं.– 83
14. वही, पृ.सं.– 83
15. वही, पृ.सं.– 83
16. वही, पृ.सं.– 83
17. डॉ. दंगल झाल्टे, 'प्रयोजनमूलक हिंदी: सिद्धांत और प्रयोग,' वाणी प्रकाशन दरियागंज दिल्ली, सं.– 2006, पृ.सं.–151–153
18. वही, पृ.सं.– 157
19. वही, पृ.सं.– 157–158
20. वही, पृ.सं.–158
21. राजभाषा विभाग, भारत सरकार दिल्ली, का.ज्ञा.सं.– 1/21011/12/76, रा.भा (क– 1) दिनांक– 6–4–1976, संकल्प क्रम सं.– 169 6–4–1976, संकल्प क्रम सं.–11
22. डॉ. रामप्रकाश एवं डॉ० दिनेश गुप्त – ''प्रयोजनमूलक हिंदी: संरचना एवं अनुप्रयोग'', राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण – 1997, पृ.सं.–69
23. डॉ० बसंती लाल बावेल, 'राजभाषा भारती', राजभाषा विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली, जुलाई सितंबर 2007, अंक– 118, पृ.सं.–8
24. वही, पृ.सं.–8, अंक 118
25. वही, पृ.सं.–10 अंक 118

स्वतंत्र लेखक एवं साहित्यकार

समस्तीपुर, बिहार–848160

मणिपुर के हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय तत्व

श्रीमती मनोहरमयुम यमुना देवी

भौगोलिक दृष्टि से मणिपुर प्रदेश दो भागों में विभाजित है। पर्वतीय भू–भाग जिसमें लगभग 20 जनजातियां निवास करती हैं, उस क्षेत्र को 'चिड्लैबाक' नाम से जाना जाता है। मणिपुर के पहाड़ी अंचल में रहने वाली जनजातियां 'चिड्मी' या 'हाओ' कहलाती है। इन दिनों पहाड़ी जातियों को नागा नाम से संबोधित किया जाता है। मणिपुर का मैदानी क्षेत्र नौ पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है उसे प्राचीन काल में 'मैत्राबाक' तथा 'कडलैपाक' नाम से जाना जाता था। मणिपुर के मैदानी अंचल में मैतै (मणिपुर) तथा मैतै पाड्ल (मणिपुरी मुस्लिम) समाज के लोग मुख्य रूप से निवास करते हैं। गत कुछ दशकों से पहाड़ी जनजातियां भी मैदानी क्षेत्र में बस चुकी हैं और उनकी संपर्क भाषा मणिपुरी तथा हिंदी हो गई है। इंफाल और उसके चारो ओर नेपाली तथा हिंदी भाषी समाज भी निवास करता है।

मणिपुर प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का सीमांत राज्य है जो अपने नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। इसके मनोरम दृश्य के कारण इसे भारत की 'मणि' कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्राचीन मणिपुरी पुराण ग्रंथों में मणिपुर को पृथ्वी का कमल भी कहा गया है। मणिपुर प्रदेश की महान भूमि ने स्वतंत्रता संग्राम की पूर्वोत्तर भारत की महान नायिका रानी गाइदिन्ल्यू और उनके गुरू जादोनाड् को जन्म दिया हैं। इन पूर्वोत्तर भारत के गौरवशाली लोगों में मणिपुर की पवित्र वीर भूमि के युवराज बीर टीकेन्द्रजीत सिंह, पाओना ब्रजवासी, थांगाल जनरल तथा जननेता हिजम इराबोत का नाम हमारे मन में राष्ट्रप्रेम के भाव को नई स्फूर्ति से भर देता है। इसी प्रकार प्राचीन काल में मणिपुर की महारानी लिंथेइडम्बी ने भी राजा की अनुपस्थिति में दुश्मनों के खिलाफ युद्ध कर मणिपुर की राजसत्ता को सुरक्षित किया था। इन सभी वीर नायकों के व्यक्तित्व का प्रभाव मणिपुर साहित्य और मणिपुर के आधुनिक हिंदी साहित्य में विद्यमान है तथा यहां के लोगों में भी राष्ट्रीय चेतना की चिंगारी निरंतर विद्यमान रही है।

मणिपुर में राष्ट्रीय तत्व की अवधारणा मणिपुर भूमि तक सीमित रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयासों में मणिपुर की अप्रतिम योगदान रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने भी आजाद हिंद फौज का मुख्यालय मणिपुर के 'मोइराड्' में स्थापित किया था। मोइराड् निवासी हेमाम नीलमणि सिंह नेताजी के एक प्रमुख सहयोगी थे जिन्हें स्वयं नेताजी ने हिंदी सिखाई थी। मणिपुर की साहित्यिक चेतना पर नेताजी सुभाषचंद्र बोस और राष्ट्रभक्तों की राष्ट्रप्रेम की भावना की झलक भी तत्कालीन लोककाव्य और सृजनात्मक रचनाओं से मिलती है। यहीं मातृभूमि और देशप्रेम की भावधारा मणिपुर के हिंदी साहित्य में अंतर्निहित है। मणिपुर की राजधानी इंफाल और इसके चारों ओर निवास करने वाला मणिपुरी समाज तथा जनजातीय समुदायों के हिंदी अनुरागी लोग हिंदी भाषा और सहित्य के माध्यम से राष्ट्रभाव

की धारा से जुड़ने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। वीर भूमि मणिपुर का लोककाव्य शैली में वर्णित मातृभूमि वंदना, देशप्रेम की भावना का चित्रण रोमांचित करने वाला है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रचित मणिपुर की हिंदी कविता और हिंदी रचनाओं में राष्ट्रीय तत्व भारतीयता की आभा से प्रभावित होकर व्यापक फलक पर दिखलाई पड़ता है। समकालीन मणिपुर के हिंदी के सृजनात्मक साहित्य में राष्ट्रीयता और भारतीयता की अवधारणा का स्वरूप व्यापक रूप से व्यक्त हो रहा है। आतंकवादी संगठनों द्वारा भारतीयता की अवधारणा को गहरा नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न आंतरिक रूप से निरंतर होता रहा है। मणिपुर के हिंदी साहित्य की संवेदना और मणिपुर प्रदेश की भाषाओं के साहित्य की संवेदना एक सांस्कृतिक सेतु निर्मित करने में सक्षम है। राष्ट्रीयता की भावना सुदृढ़ और व्यापक बने इसके लिए भाषा साहित्य और संस्कृति संगम का मार्ग ही एक मात्र निदान है।

साहित्य नष्ट होती मानवता को बचाने में सक्षम है। संकुचित वैचारिक सोच को भाषा और साहित्य ही रोक पाने में सक्षम हैं यह मूल मंत्र जब तक समझ में नहीं आयेगा पूर्वोत्तर भारत और मणिपुर में आंतरिक वैचारिक खाई बनी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मणिपुर एक ऐसा राज्य है जिसने हिंदी भाषा और उसके साहित्य का स्वागत राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय आवश्यकता के संदर्भ में किया है। यदि यहां हिंदी नहीं आएगी या लाई जाएगी तो यह क्षेत्र राष्ट्रीय धारा से कट जाएगा। हिंदी एक भाषा ही नहीं है बल्कि वह भावात्मक एकता को प्रवाहित करने वाली धारा है। इसी भावना के फलस्वरूप मणिपुर में आज ऐसे सैकड़ों छोटे–बड़े हिंदी लेखक–लेखिकाएं हैं जो पूरे अधिकार के साथ हिंदी भाषा में मातृभाषा की तरह साहित्य रचना करते हैं। मणिपुरी भाषा हिंदी लेखकों और उनके द्वारा हिंदी साहित्य की सम्पन्नता में योगदान प्रशंसनीय है। मणिपुरी भाषी हिंदी लेखक अपने सृजनात्मक साहित्य द्वारा हिंदी साहित्य की परंपरा के अंतर्गत एक महत्वपूण स्थान बनाते जा रहे हैं। वहां पर हिंदी में मौलिक सृजन भी हो रहा है तथा अनुवाद कार्य भी चल रहा हैं साथ ही हिंदी की कई पत्रिकाएं जैसे महीप, कुंदोपरेड़, युमशकैश, लटचम आदि प्रकाशित हो रही है।

मणिपुर पिछले आठ सौ वर्ष से भारतीय सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा रहा हैं और 12–13वीं शताब्दी से यहां हिन्दू संस्कृतिक परंपरा ने भी यहां के निवासियों को संस्कृत और हिंदी भाषा से जोड़ा। ब्रज क्षेत्र की संस्कृति का संस्कारित रूप यहां के समाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन पर सर्वाधिक पड़ा है। मणिपुर की साहित्यिक परंपरा ढाई हजार वर्ष से भी अधिक पुरानी है और ललित कलाओं के क्षेत्र में मणिपुर आज भी अग्रणी हैं, विशेष रूप से अपनी विशिष्ट नृत्यशैली तथा संकीर्तन गायन की शैली के कारण यह राज्य विशिष्ट स्थान रखता है। मणिपुर का रास नृत्य विश्वस्तरीय नृत्य है।

मणिपुर में हिंदी में लेखन का कार्य हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार से जुड़ा हुआ हैं दूसरे विश्वयुद्ध के पूर्व यहां हिंदी का प्रचार कार्य आरंभ हो गया था और इस महायुद्ध के पश्चात हिंदी के प्रचार में तेजी या गतिशीलता आती गई। उस समय पठन–पाठन से संबंधित सामग्री मणिपुर के बाहर कार्यरत हिंदी प्रचार–प्रसार से संबंधित संस्थाओं की ओर से आती थी। कालांतर में हिंदी प्रचारकों मको यह महसूस हुआ कि सुचारू रूप से हिंदी भाषा का प्रचार–प्रसार करने के लिए यहां की स्थानीय भाषा मणिपुरी और इसकी संस्कृति से संबंधित हिंदी पुस्तकों की आवश्यकता है। इसी सोच के आधार पर मणिपुरी भाषी हिंदी प्रचारकों ने समय की मांग और पठन पाठन संबंधी

अभाव को दूर करने के उद्देश्य से शब्दानुवाद, वाक्यानुवाद और हिंदी सीखने के लिए सरल हिंदी व्याकरण की छोटी–छोटी पुस्तकों की रचना प्रारंभ की। धीरे–धीरे पाठ्यपुस्तकों और शब्द कोशों के निर्माण की ओर भी ध्यान दिया जाने लगा।

जब यहां हिंदी भाषा में भी पत्रकारिता का कार्य प्रारंभ हुआ तो उसके लिए भी यहां के लेखक हिंदी में रचनाएं लिखने लगे। मणिपुर के हिंदी प्रेमी धीरे–धीरे मौलिक रचनात्मक लेखन की ओर भी रुचि प्रकट करने लगे तथा सृजनात्मक हिंदी रचनाओं का सृजन करने लगे। कुछ मणिपुरी भाषी लेखकों ने हिंदी में मौलिक लेखन कार्य का प्रयास शुरू किया और कुछ लेखकों ने हिंदी भाषा में पाठ्य पुस्तक निर्माण मौलिक रचनात्मक लेखन, अनुवाद का कार्य शुरू किया और यह कार्य आज भी जारी है। इस कार्य में मणिपुर हिंदी लेखकों को हिंदी के विशाल पाठक समुदाय से जोड़ा ही नहीं बल्कि उन्हें उत्साहित और प्रोत्साहित भी किया है। कुछ मणिपुरी लेखकों ने मणिपुर के वाचिक साहित्य को भाषांतरित कर हिंदी में प्रस्तुत किया।

अब तक उपलब्ध मणिपुर भाषी हिंदी लेखकों द्वारा रचित और तैयार की गई हिंदी भाषा में रचित लेखन सामग्री को निम्नानुसार छह वर्गों में विभाजित कर उसका मूल्यांकन किया जा सकता है–

(क) पठन–पाठन से संबंधित हिंदी रचनाएं।

(ख) सृजनात्मक या रचनात्मक हिंदी साहित्य।

(ग) अनुसंधान परक व्यतिरेकी तुलनात्मक और समीक्षात्मक साहित्य।

(घ) पत्रकारिता विषयक साहित्य।

(ङ) संपादित, संग्रहित अनुवादित (रूपांतरित, भाषान्तरित साहित्य)।

(च) लोक साहित्य, वाचिक साहित्य तथा कोश साहित्य।

मणिपुर में मणिपुर हिंदी सेवियों और प्रचारकों की संख्या ठीक है किंतु आधुनिक मणिपुरी भाषी हिंदी लेखकों में से निम्नांकित लेखकों का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है–

श्री कालाचाँद शास्त्री, हिंदड्मयुम द्विजमणि देव शर्मा, पं. छध्वज, पं. नारायण शर्मा, पं. अरिबम राधामोहन शर्मा, हजारिमयुम गोकुलाचंद शर्मा, फुराईलात्पम गोकुलानन्द शर्मा, हिजम विजय सिंह, ए. गुणाधर शर्मा, पं. गोपीनाथ शर्मा, अरिबम घनश्याम शर्मा, पं. नीलवीर शास्त्री, आचार्य राधागोविंद, थोडाम, निशान निड़तम्बा, राजकुमार खिदिर चांद सिंह, श्री नवचंद्र, एम. यमुना देवी, श्री याइमा शर्मा, श्री नवीनचांद सिंह, डॉ. टी. कुंजकिशोर सिंह, डॉ. अचौबी सिंह, डॉ. इबेयाइमा देवी, डॉ, विक्टोरिया देवी, डॉ. इबेम्हम देवी, डॉ. ई. विजयलक्ष्मी देवी, डॉ. कमला, सिद्धनाथ प्रसाद पारंग, डॉ. हीरालाल गुप्त, डॉ. सुबदनी देवी, प्रोफेसर दीनमणि सिंह, प्रोफेसर, अरिबम कुमार शर्मा, प्रोफेसर सापम तोम्बा सिंह, प्रोफेसर इबोहल सिंह काड़जम, डॉ. अरिबम कृष्ण मोहन शर्मा, डॉ. लनचेनबा मैतै, डॉ. ब्रजेश्वर शर्मा, डॉ. आनंदी देवी आदि अनेकों व्यक्तियों के कारण मणिपुर में हिंदी लेखक अपनी राष्ट्रीय पहचान बना सकेंगे और हिंदी की साहित्यिक धारा में अपना प्रमुख स्थान बनायेंगे। अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी साहित्य में मणिपुर भाषी हिंदी रचनाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान बना रहेगा। मणिपुर का हिंदी साहित्य गत तीन दशक से राष्ट्र की मूल अंतरधारा तथा विश्व चेतना से जुड़ता जा रहा है।

नागामपाल पाओनम लैकाई
रिम्स रोड, इंफाल–795001 (मणिपुर)

राष्ट्रभाषा बनाम राजभाषा–वर्तमान स्थिति

राकेश कुमार

भाषा को यदि सीमित रूप में देखा जाए तो यह केवल सम्प्रेषण का माध्यम मात्र होती है। भाषा को यदि राष्ट्र के संदर्भ में देखा जाए तो भाषा केवल सम्प्रेषण का माध्यम ही नहीं होती, उस देश की संस्कृति की संवाहिका भी होती है। यह उस देश की राष्ट्रीय पहचान और सभ्यता का भी प्रतीक होती है। राष्ट्र–भाषा के बिना कोई भी राष्ट्र गूंगा होता है और यदि वह अपनी राष्ट्र–भाषा के स्थान पर किसी अन्य भाषा का प्रयोग करना है तो वह अपनी संस्कृति और परम्पराओं से हमेशा के लिए दूर हो जाता है। यह बात कामकाज की भाषा और बोलचाल की भाषा, दोनों ही स्थितियों में लागू होती है।

भारत की संविधान सभा ने, 14 सितम्बर, 1949 को, हिंदी को संघ की राजभाषा तथा देवनागरी को इसकी आधिकारिक लिपि के रूप में मान्यता प्रदान की। दुर्भाग्य से हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। अभी भी हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा (National Language) और राजभाषा (Official Language) बनाने की कवायद जारी है। भाषा के संबंध में जितनी विविधताएं हमारे देश में हैं, उतनी विविधताएं संभवतः दुनिया के किसी भी देश में नहीं हैं। हमारे संविधान में 22 राष्ट्रीय भाषाओं का उल्लेख है तथा देश में 250 से अधिक बोलियां प्रचलन में हैं।

यह आम मानसिकता है कि हिंदी में विज्ञान और तकनीकी विषयों की पढ़ाई तथा अनुसंधान कार्य करना उतना आसान नहीं है जितना अंग्रेजी में। दुर्भाग्य से हमारी मानसिकता अंग्रेजी को ही ज्ञान का प्रतीक मानने की है। हम इस विदेशी भाषा को ज्ञान के भंडार के रूप में देखते हैं। जबकि हम जानते हैं कि भाषा किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने का केवल एक माध्यम होती है और उसका ज्ञान से कोई लेना–देना नहीं है। यदि ऐसा होता तो चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस तथा रूस जैसे विकसित देश, जहां अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं होता, केवल अपनी भाषा के बल–बूते पर आज इतनी उन्नति नहीं कर सकते थे। इन देशों ने, पूरे विश्व को यह दिखा दिया है कि ज्ञान और विज्ञान के दरवाजे किसी भी देश तथा किसी भी भाषा के लिए खुले हैं और वे अंग्रेजी भाषा के मोहताज नहीं है।

कहते हैं कि कोई भी भाषा अथवा बोली यदि प्रचलन में नहीं होती है तो वह लुप्त हो जाती है। इसलिए अपनी मातृभाषा का परस्पर–व्यवहार और अपनी राजभाषा का सतत प्रयोग नितांत आवश्यक है। वर्ष 1961 की जनगणना में भारत में कुल 1652 मातृभाषाओं की गणना की गई। आश्चर्य की बात तो यह है कि वर्ष 1971 की जनगणना में, केवल 109 मातृभाषायी की ही जानकारी मिली। इनमें से कुछ मातृभाषाएं तो ऐसी थीं जिनके बोलने वालों की संख्या 5, 10, 20 तथा 25 तक थी। यादि 10 वर्षों में अधिसंख्य मातृभाषाएं विलुप्त हो गई। यह स्थिति वास्तव में चिंताजनक है।

माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने जनवरी, 2012 को भुवनेश्वर में, 99वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस संगोष्ठी के अधिवेशन के उद्घाटन के अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि–

"पिछले कुछ दशकों में भारत, विज्ञान के क्षेत्र में चीन तथा अन्य देशों से पिछड़ गया है। परिस्थितियां बदलीं हैं लेकिन हमने जो अर्जित किया है, उतने में संतोष नहीं किया जाना चाहिए। भारत में विज्ञान के स्वरूप को बदलने के लिए अभी भी काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 12वीं पंचवर्षीय

योजना के अंत तक अर्थात वर्ष 2017 तक, वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी खोजों पर खर्च को सकल घरेलू उत्पादन के क्रम से 2% तक बढ़ाया जाना चाहिए जो अभी केवल 0.9% है।''

डॉ. सिंह ने इस अवसर पर, सभी वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि वे भारत जैसे विकासशील देश की प्रगति में अपना योगदान दें। माननीय प्रधानमंत्री ने विज्ञान और अभियांत्रिकी की शिक्षा के प्रति छात्रों में रुचि पैदा करने पर भी बल दिया।

माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने बेशक यह बात विज्ञान के संदर्भ में कही थी कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में चीन जैसे देशों से पीछे है, परंतु सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। भाषा की दृष्टि से देखें तो चीन ने यह तरक्की अपनी भाषा के माध्यम से ही की है। केवल चीन ही नहीं, बल्कि जापान, रूस, फ्रांस तथा जर्मनी जैसे देश, जिनकी भाषा अंग्रेजी नहीं है, आज भी विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान के क्षेत्र में हमसे बहुत आगे हैं। अब सोचने की बात यह है कि विज्ञान का पठन–पाठन तथा अनुसंधान का कार्य यदि केवल अंग्रेजी में संभव होता तो वे देश कभी भी इतनी तरक्की नहीं कर सकते थे। इसका सीधा–सा अर्थ है कि किसी भी अनुसंधान, खोज तथा आविष्कार के लिए कोई भी भाषा माध्यम बन सकती है तो वह भाषा अपने देश की भाषा हिंदी क्यों नहीं बन सकती जो संयोग से इस देश की राजभाषा, जन–भाषा (Lingua-Franca) और संपर्क–भाषा भी है।

भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित 22 राष्ट्रीय भाषाएं, हमारी क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं। इन भाषाओं के अतिरिक्त भी ऐसी कई भारतीय भाषाएं हैं जिन्हें संविधान की अनुसूची में शामिल किए जाने पर बल दिया जा रहा है। स्पष्ट है, कि यह प्रयास अपनी भाषाओं को संवैधानिक पहचान दिलाने के साथ–साथ भाषा की अस्मिता को बचाने तथा इसे सामाजिक स्वीकृति दिलाने की दिशा में भी है। हमारे क्षेत्र विशेष की भाषाएं–बृज, अवधी, मगही तथा बुंदेलखंडी बोलियां होने के साथ–साथ क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं तथा इनमें साहित्य रचना भी हुई हैं और ये भाषाएं बहुत से लोगों की मातृभाषाएं भी हैं।

विश्वभर में आज लगभग 80 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। इस भाषा का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप बन चुका है। आज हिंदी विश्वभाषा बन चुकी है फिर भी हमारे बुद्धिजीवी इसे पिछड़े लोगों की भाषा मानते हैं। लोग आज भी अंग्रेजी बोलने में कुलीनता और हिंदी बोलने में हीनता का अनुभव करते हैं। सत्य तो यह है कि संस्कृत जैसी भाषा कम्प्यूटर के लिए सर्वथा उपयुक्त भाषा मानी जाती है। इसी कारण इंग्लैंड और आइरलैंड में प्राइमरी कक्षाओं में भी इसे पढ़ाया जाता है। दुर्भाग्य से, यदि हमारे यहां इसे अनिवार्य बना दिया जाए तो कई राज्यों से विरोध के स्वर उठने लगेंगे। यानि हमारी अपनी ही भाषा अपने ही देश में पराई कर दी जाती है।

आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम यह भूल गए हैं कि भाषा और साहित्य हमें संस्कार देते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी भी उच्च भारतीय संस्कार प्राप्त करे तो उन्हें भाषा और साहित्य के करीब ले जाना होगा।

राजभाषा हिंदी का सरोकार व्यावहारिक रूप से कार्यलयीन कामकाज में हिंदी के प्रयोग से है। हम सबका यह नैतिक कर्तव्य है कि हम इसे अंगीकृत कर, दोयम दर्जे से ऊपर उठाकर इसे यथोचित सम्मान दिलाकर, शीर्षस्थ सोपान कर प्रतिस्थापित कर, संवैधानिक उत्तरदायित्व के साथ–साथ सामाजिक उत्तरदायित्व भी निभाएं। हिंदी जन–जन की भाषा है तथा देश–विदेश में हम भारतीयों के एक बड़े जन–समुदाय की संपर्क भाषा भी है। अतः राजभाषा हिंदी का क्रमिक संवर्धन करना हमारी मूल–भूत आवश्यकता है, जिसे विभिन्न पहलुओं से जोड़कर देखा जाना चाहिए। वास्तव में हिंदी एक सेतु के रूप में काम कर रही है जो भारत की विभिन्न संस्कृतियों, कलाओं, भाषाओं, विधाओं, संप्रदायों, समाजों तथा संस्कारों को एक कड़ी में जोड़ती है।

हिंदी, स्व–शासन तथा सु–शासन का एक सशक्त माध्यम है क्योंकि इस देश का आम नागरिक या तो क्षेत्रीय भाषा समझता है या फिर हिंदी भाषा, और स्व–शासन तथा सु–शासन कभी किसी विदेशी भाषा के द्वारा संभव ही नहीं हो सकता। क्या स्थानीय

शासन के रूप में गांव की पंचायती–राज प्रणाली की कल्पना क्षेत्रीय अथवा हिंदी भाषा के बिना की जा सकती है? आज आम आदमी मजबूरी के साथ हिंदी बोलता है और शिक्षित आदमी संकोच के साथ। यह स्थिति निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है।

वर्तमान संदर्भ की बात करें तो हिंदी, चीन की मंदारिन के बाद, विश्व में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। अंग्रेजी आज भी तीसरे स्थान पर है। आंकड़ों की बात करें तो हिंदी विश्व के लगभग 135 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है तथा दुनिया के 93 देशों में बोली जाती है। कुल 115 करोड़ भारतीयों में से 70% लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। यहां तक कि विदेशों में भी जो भारतवासी लोग रहते हैं, उनकी भी संपर्क भाषा हिंदी ही है।

एक अच्छी खबर यह है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारतीय वन सेवा को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए गठित की गई विशेषज्ञ समिति ने यह परीक्षा हिंदी में कराने की सिफारिश की है। पूर्व महा–निदेशक श्री जे.सी. काला की अध्यक्षता में गठित समिति ने सुझाया है कि भारतीय वन सेवा में अधिक से अधिक नौजवानों को अवसर मिलना चाहिए और इसके लिए परीक्षा हिंदी के साथ–साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी होनी चाहिए। अभी यह परीक्षा केवल अंग्रेजी में होती है।

हाल ही में आस्ट्रेलिया में विक्टोरिया प्रांत की सरकार ने अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में हिंदी को शामिल करने की सिफारिश की है। कनाडा में हिंदी–अब्रोड सबसे अधिक बिकने वाला हिंदी अखबार है। रेडियो आस्ट्रेलिया द्वारा हिंदी वैबसाइट लॉच की गई है। अमेरिका की पेंसिलवेनिया यूनिवर्सिटी में एम.बी.ए. के छात्रों के लिए हिंदी का दो वर्षीय कोर्स अनिवार्य है। भारतीय विदेश मंत्रालय की संस्था, भारतीय सांस्कृतिक संबद्ध परिषद्, लगभग 60 देशों में वहां के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाने के लिए हिंदी के विजिटिंग प्रोफेसर नियुक्त करके भेजती है ताकि अन्य देशों में भी हिंदी फैल सके। ये खबरें निश्चित रूप से सुखद हैं और हिंदी के तेजी से बढ़ते वर्चस्व को दर्शाती हैं।

आज हिंदी माध्यम से विज्ञान, तकनीकी, व्यवसाय, समुद्र–विज्ञान, मौसम–विज्ञान, अन्तरिक्ष–विज्ञान आदि विषयों पर उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जा रही है। अब तक पर्याप्त हिंदी शब्दावली विकसित की जा चुकी है। हिंदी में मूल शब्दों की संख्या लगभग 2,50,000 है। हिंदी में हर अर्थ के लिए अलग–अलग शब्द हैं। अंग्रेजी में सही उच्चारण के लिए शब्दकोश की आवश्यकता पड़ती है परंतु हिंदी में केवल अर्थ देखने के लिए ही शब्दकोश की जरूरत पड़ती है। आज अभियांत्रिकी से लेकर चिकित्सा–विज्ञान, परमाणु–ऊर्जा, वैमानिकी और जैव–प्रौद्योगिकी तक जैसे विषयों में हिंदी में पुस्तकें उपलब्ध हैं।

यह दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के 64 वर्षों के बाद आज भी हमें हिंदी की दशा और दिशा के बारे में सोचने की आवश्यकता पड़ती है। हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता, समृद्धता, सहजता और सुगमता के बारे में जानने के बाद भी इसे दिल से अपनाने में असमर्थ रहे हैं। हिंदी के नाम पर आयोजन तो बहुत होते हैं पर इतने आयोजनों के बाद भी हिंदी वहां तक नहीं पहुंच सकी है जहां इसे आज होना चाहिए था।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक, श्री विजय कुमार भार्गव ने वैज्ञानिक विषय पर अपना शोध–प्रबंध हिंदी में लिखा। उनका विश्वास था कि हिंदी में लिखा उनका शोध–प्रबंध ज्यादा प्रासंगिक, अर्थवान और सारगर्भित हो सकता है और इस शोध का फायदा एक बड़े हिंदी–भाषी वर्ग को भी मिल सकता है। यह एक अनुकरणीय शुरूआत थी। साथ–साथ उन्होंने अपना शोध–ग्रंथ अंग्रेजी में भी लिखा और इसे दोनों भाषाओं में प्रस्तुत किया। परीक्षकों को हिंदी में लिखा गया शोध–ग्रंथ अंग्रेजी की तुलना में अधिक बेहतर लगा और उन्हें उपाधि हिंदी में लिखे शोध–ग्रंथ के लिए मिली। क्या इसे हिंदी भाषा के क्षेत्र में एक नई आशा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए?

पिछले दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में सुप्रसिद्ध विचारक श्री रामकरण सिंह का एक लेख छपा। इस लेख में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है

कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में भारतीय भाषाओं के उम्मीदवारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2004 में इन सेवाओं में 85% उम्मीदवारों ने हिंदी विषय लिया और 20% ने हिंदी माध्यम से परीक्षा दी। 20 सफल छात्रों में से 2 सफल छात्र हिंदी माध्यम के थे। श्री सिंह ने आंकड़े देकर अपने आलेख में यह साबित किया कि भारतीय भाषाओं में उतीर्ण छात्रों की संख्या का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है और हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तो क्या यह भाषा की लोकप्रियता, भाषा की क्षमता और भाषा के प्रति हमारे द्वारा दर्शाये जा रहे सम्मान के स्पष्ट संकेत नहीं हैं?

अपनी भाषा के बारे में इतनी सारी बातें हों और आधुनिक संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी, संचार–माध्यमों और इंटरनेट की बात न हो तो यह चर्चा अधूरी ही मानी जाएगी। वर्तमान समय और आने वाला समय, कम्प्यूटर क्रांति का समय है। आज व्यवसाय, दफ्तर का कामकाज, अंतर्राष्ट्रीय–संपर्क और अनेक सेवाओं हेतु कम्प्यूटर हमारे जीवन से जुड़ गया है। जाहिर है कि जब कम्प्यूटर इतना महत्वपूर्ण हो गया है तो कम्प्यूटर को हिंदी से जोड़ो बिना आप हिंदी के विकास की बात नहीं कर सकते और जब तक दफ्तरों में कार्यरत कम्प्यूटर में हिंदी नहीं आएगी तब तक हिंदी के प्रयोग की बात करना बेमानी है।

कम्प्यूटर पर हिंदी तथा अन्य 12 भारतीय भाषाओं में कार्य करने के लिए डी–डेक पुणे की मदद से विकसित यूनिकोड–प्रणाली निश्चित रूप से उपयोगी, सरल और सहज है तथा निशुल्क भी है। इसके अतिरिक्त, अनुवाद हेतु–मंत्र, श्रुतलेखन हेतु–स्पीच टु टेक्स्ट, वाचान्तर, हिंदी सीखने हेतु विकसित–लीला–प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, ई–महाशब्दकोश तथा अन्य ई–टूल्स ने आज कम्प्यूटर पर हिंदी के काम–काज को अत्यंत सुविधायुक्त और सरल बना दिया है।

सरकारी कामकाज हिंदी में करने के संदर्भ में, हिंदी भाषा के मानकीकरण पर चर्चा करना आवश्यक है। जब हम आपसी व्यवहार में अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं तो प्रयास करते हैं कि कठिन से कठिन अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करें ताकि हमारे अंग्रेजी ज्ञान पर किसी को कोई संदेह न हो। जब हिंदी की बात आती है तो हम सरल, आसान हिंदी की अपेक्षा करते हैं। सरकारी प्रयोग में सरल, सहज, प्रचलित और आसान हिंदी के प्रयोग की छूट हमें उपलब्ध है किन्तु फिर भी हम इसके प्रयोग से कतराते हैं। इस दिशा में भी गंभीरता से सोचे जाने की आवश्यकता है।

प्रख्यात चिंतक मैक्समूलर ने भाषा के संबंध में अपना व्याख्यान देते हुए कहा कि– ''यदि भाषा प्रकृति की देन है तो अवश्य ही यह प्रकृति की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है और यह रचना प्रकृति ने केवल मनुष्य के लिए सुरक्षित रखी है। भाषा ही मानव को मिली सर्वोत्कृष्ट शक्ति है, जो श्रृष्टि के समस्त से उसे सदैव उच्चतर बनाती आई है।'' इसी भाव को धारण किए आज हिंदी एक सशक्त, सरल, समृद्ध और लोकप्रिय भाषा है। समृद्ध साहित्यिक धरोहर, लोकप्रिय हिंदी सिनेमा, दूरदर्शन के लुभावने हिंदी चैनल, विज्ञापनों में हिंदी का बढ़ता प्रयोग एवं जन भाषा, लोक भाषा तथा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का फैलता प्रभाव इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हिंदी को सही मायने में सरकारी दफ्तरों की भाषा बनाना है तो इसे वरिष्ठ कार्यपालकों की भाषा बनाना होगा। जब शीर्ष स्तर से हिंदी का प्रयोग शुरू होगा तो इसका असर अधीनस्थ कार्मिकों पर भी पड़ेगा। तभी हिंदी हाशिए से उठकर मुख्यधारा में आ सकेगी। साथ ही, यह भी देखना होगा कि कहीं हिंदी, समारोहों, संगोष्ठियों तथा अन्य औपचारिक आयोजनों के बोझ तले दब कर न रह जाए और हम हिंदी के नाम पर औपचारिकताओं के महा–जाल में अपने मूल उद्देश्य को ही न भूल जाएं। भाषा के लिए भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए बल्कि काम के लिए भाषा का प्रयोग होना चाहिए।

तो आइए, हम भाषा के इस पुनीत राष्ट्रीय दायित्व में मन, वचन और कर्म से अपना योगदान प्रदान करें।

आठवां तल, एनडीसीसी–11 भवन जय सिंह रोड,
नई दिल्ली–110001

हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के बीच सेतु निर्माण में तकनीकी विकास की भूमिका

राहुल कुमार सिंह

भारत एक विविधतापूर्ण राष्ट्र है और यह विविधता सभी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में दृष्टिगोचर होती है। यदि भाषा की बात करें तो हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा देने के साथ–साथ अन्य 22 भारतीय भाषाओं को भी संविधान की आठवीं अनुसूची में अनुसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी के चौतरफा प्रयोग ने हमें आर्थिक रूप से मजबूत किया है. संविधान सभा की बहसों के दौरान हिंदी को राजभाषा बनाने में जितना योगदान हिंदी प्रदेश के प्रतिनिधियों का रहा था उतना ही अहिंदी भाषी प्रतिनिधियों का भी रहा था. आइए इस संबंध में कुछ घटनाक्रमों पर नजर डालते हैं :–

- सर्वप्रथम गुजराती के महान कवि श्री नर्मद ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार रखा।
- 1872 में आर्य समाज के संस्थापक महार्षि दयानंद सरस्वती जी कलकत्ता में केशवचन्द्र सेन से मिले तो उन्होंने स्वामी जी को यह सलाह दे डाली कि आप संस्कृत छोड़कर हिंदी बोलना आरम्भ कर दें तो भारत का असीम कल्याण हो. तभी से स्वामी जी के व्याख्यानों की भाषा हिंदी हो गयी और शायद इसी कारण स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश की भाषा भी हिंदी ही रखी।
- 1873 में महेन्द्र भट्टाचार्य द्वारा हिंदी में पदार्थ विज्ञान (material science) की रचना की गई.
- 1877 में श्रद्धाराम फिल्लौरी ने भाग्यवती नामक हिंदी उपन्यास की रचना की।
- 1918 में मराठी भाषी लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से घोषित किया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी।
- 1918 में महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना।
- 1930 के दशक में शैलेन्द्र मेहता द्वारा हिंदी टाइपराइटर का विकास।
- 1935 में मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री रूप में सी0 राजगोपालाचारी ने हिंदी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया।

ऊपर उल्लिखित घटनाओं के सूत्रधार मूल रूप से हिंदी भाषी नहीं थे लेकिन उनका भारत की भाषाई समरसता बढ़ाने में अप्रतिम योगदान है। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि *"भाषा कोई छाता या ओवरकोट नहीं होती है जो किसी से भी मांग कर काम चलाया जाए, भाषा मनुष्य की जीती–जागती खाल होती है जिसके तंतुओं से उसके संस्कार प्रवाहित होते हैं"*। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी स्थानीय भाषा का राजभाषा होना उसके नागरिकों के लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक होती है। राष्ट्र की भाषा के साथ–साथ अपनी–अपनी मातृभाषा से आत्मीय लगाव भी हम भारतीयों की विशेष पहचान है। भारतीय संविधान तथा राजभाषा नीति में भी हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं की आपसी समरसता का विशेष ध्यान रखा गया है।

किसी भी राष्ट्र के विकास में समुत्थान के लिए तकनीक और भाषा दोनों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। केवल तकनीकी विकास अथवा केवल भाषा की प्रगति से संतुलित विकास कर पाना संभव नहीं है। ये दोनों परस्पर अनन्योआश्रित हैं यानि पूरी तरह से एक दूसरे पर निर्भर हैं। इन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू माना जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तो तकनीक के विकास से भाषाई वैविध्य में भी एकता और सामंजस्य दिखाई पड़ता है जो राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए मूलाधार का कार्य करता है।

आज का युग विज्ञान का युग है जहां परंपराएं और मिथक निरंतर टूट रहे हैं और नई मान्यताएं विकासित हो रही हैं। इनमें भी सर्वप्रमुख है सूचना तकनीक का वह क्षेत्र जो पूर्णतया भाषा आधारित है। पिछले कुछ ही वर्षों में इस क्षेत्र में जो अभूतपूर्व परिवर्तन देखने में आए हैं, उन्होंने 'विश्वग्राम' की मान्यता को समेटकर एक 'लघुग्राम' की संकल्पना में परिवर्तित कर दिया है। सूचना तकनीकों का विकास इतनी तीव्र गति से हुआ हो रहा है कि लगता है मानों सब कुछ यहीं अपने आसपास ही घटित हो रहा है और हम इसके प्रत्यक्षदर्शी बन रहे हैं। ज़रा गहरे जाकर सोचें तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं। तकनीक के विकास के साथ–साथ उनके परिणाम दुनिया भर में यथाशीघ्र पहुंचाने के लिए भाषाई संकुचन का दौर आरंभ हुआ। इसका अर्थ यह हैं कि तकनीकी विकास के अगुआ राष्ट्रों ने इसके लिए अपनी भाषा को प्रमुखता दी या फिर बहुसंख्य समाज की चुनिंदा भाषाओं को अपनाया. इसका प्रभाव यह हुआ कि बहुत सारी भाषाएं इसमें पिछड़ गईं और धीरे–धीरे उनका अस्तित्व लुप्तप्रायः हो चला है. इससे एक ओर जहां केवल कुछ भाषाओं के उभरने से भाषाई संकेंद्रण जैसी स्थिति बनी है, वहीं दूसरी ओर चाहे–अनचाहे अपनी मातृभाषाओं की खोने जैसी स्थिति बन गई है।

तकनीकी विकास के इन फलकों ने किसी एक भाषा की सीमा में बंध कर रहना नहीं सीखा था। भारतीय संदर्भ में अंग्रेजी में चीजें आईं और फिर उसने हिंदी में अपना विस्तार पाया जो कालान्तर में भारतीय भाषाओं– बांग्ला, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओड़िया आदि में भी अपना रूप दिखाया। यह भारतीय संदर्भ तक ही सीमित क्यों, आप देखें, तकनीकी विकास के इन फलकों ने वैश्विक भाषाओं– रूसी, जापानी, फ्रांसीसी, मंडारिन अर्थात् चीनी भाषा आदि में भी अपनी पैठ जमाई। तकनीकी विकास की इस कड़ी में विभिन्न भाषाओं का प्रायोगिक अस्तित्व में आना भाषायी एकता को दर्शाता है।

तकनीकी विकास के इस दौर में वैश्विक परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीक भाषाओं का राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा विपणनिक आदान–प्रदान ध इड़ल्ले से हो रहा है। ज़ाहिर है यह कार्य भाषायी संदर्भ में हाथ से या हस्तलिखित रूप में नहीं हो रहा था या हो रहा है जबकि पहले होता था। आज यह कार्य हो रहा है तो विभिन्न तकनीकी यंत्रों व उसके विकसित रूप के जरिये ही हो रहा है. आज अपने देश में भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत एक भाषा–भाषी दूसरे भाषा–भाषी के नजदीक आ रहे हैं और इस सीखने व व्यवहार तथा उसकी जरूरतों के क्रम में विभिन्न तकनीकियाँ हमारे सामने होती हैं जिनसे वे परस्पर भाषा सीखते हैं और कहीं–न–कहीं भारतीय राष्ट्रीयता को मज़बूती प्रदान तो करते ही हैं। संवैधानिक अधिनियमों, नियमों, विनियमों तथा अन्य प्रावधानों का भी पालन करते हैं। यहाँ हमें तकनीकी विकास से भाषायी एकता परिलक्षित होते हुए दिखती है।

बात जब भारत की भाषाओं की होगी तब इसकी विविधता की प्रवृत्ति को ध्यान में रखना

बेहद जरूरी है। भाषाई एकता से तात्पर्य यह है कि सभी भाषाओं को एक समान अवसर तथा सम्मान मिले जिससे विभिन्न समाजों में आपसी सौहार्द तथा सांस्कृतिक समरसता का भाव विकसित हो। इस पद की दूसरी परिभाषा यह भी हो सकती है कि मौजूदा दौर की एक महत्वपूर्ण संकल्पना 'वैश्वीकरण' के प्रभाव से संसार की अनेक छोटी–छोटी भाषाएं विलुप्त हो चली हैं, तो इस दौर में वैश्वीकरण से बुरी तरह प्रभावित देश की भाषाओं के लिए अपने अस्तित्व हेतु आपसी एकता के सहारे ही संघर्ष करने का विकल्प बचा है अन्यथा परिणाम भयावह होंगे।

भाषायी परिप्रेक्ष्य में तकनीकी विकास की बात प्रिंटिंग प्रेस की बात के बिना अधूरी है। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने सूचना एवं ज्ञान के प्रसार में क्रांति ला दी। वैसे तो विश्व की पहली प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी 11वीं सदी में चीन में विकसित हुई परंतु चलित प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी 13वीं सदी में ही विकसित हो सकी। उसके बाद जर्मनी के जोहानस गुटेनबर्ग द्वारा विकसित प्रिंटिंग प्रेस ने मुद्रण संसार को नयी ऊर्जा दी। पुनर्जागरण काल के इस प्रेस के माध्यम से प्रतिदिन 3600 पृष्ठ तक की छपाई की जा सकती थी जो कि पिछली मशीनों की 2000 पृष्ठ प्रतिदिन की तुलना में काफी अधिक थी। पुनर्जागरण काल में हुए इस अनोखे आविष्कार ने जनसंचार (Mass Communication) की आधारशिला रखी। यूरोप में शिक्षा संपन्न एवं विशिष्ट लोगों की गोद से निकलकर जन सामान्य के बीच पहुंची और शिक्षित जनता की संख्या तीव्र गति से बढ़ी तथा मध्यवर्ग का उदय हुआ। पूरे यूरोप में अपनी संस्कृति के प्रति सजगता और राष्ट्रवाद की भावना के विकास के कारण उस समय के यूरोप की लिंगुआ फ्रैंका (लैटिन) की स्थिति कमजोर हुई तथा स्थानीय भाषाओं की स्थिति मजबूत हुई. प्राचीन और प्रतिष्ठित भाषाओं के साथ–साथ स्थानीय भाषाओं को भी सम्मान मिला। भारत के मुद्रण इतिहास में श्रीरामपुर प्रेस का उल्लेखनीय योगदान है, जिसमें हिंदी अक्षरों को विकसित किया गया तथा मिशनरियों के प्रचार सामग्री के रूप में बाइबिल का हिंदी अनुवाद बड़े स्तर पर छापा गया। स्वाधीनता आंदोलन में विभिन्न भारतीय भाषाओं में समाचार–पत्र निकालने वाले ये प्रेस आंदोलनकारियों के बहुत बड़े हथियार थे जिनकी समाप्ति के लिए ब्रिटिश सरकार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसे कानून बनाए। ऐसा माना जाता है कि पहले भाषा का प्रयोग, उसके बाद लिपि एवं लेखन का प्रयोग एवं उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुणात्मक रूप से दुनिया के तीन सबसे बड़े आविष्कार हैं, जिन्होंने ज्ञान एवं विद्या के प्रसार एवं विकास में भारी योगदान किया। इसी कड़ी में चौथा आविष्कार इंटरनेट को माना जाता है।

आधुनिक युग कंप्यूटर का युग है जिसने मनुष्य की कागज पर निर्भरता को काफी हद तक कम कर दिया है। कंप्यूटर के आगमन, प्रसार तथा इसपर हमारी बढ़ती निर्भरता ने कुछ समय तक के लिए भारत जैसी तीसरी दुनिया के देश के लिए स्थानीय भाषाओं के ह्रास का संकट पैदा कर दिया था परंतु नित–नए तरीके से विकसित होते इस यंत्र ने ऐसी बाधाओं को पार कर लिया है। अब यह सभी भारतीय भाषाओं के प्रसार के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम उपलब्ध करा रहा है। कंप्यूटर ने टाइपिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले टाइपराइटर को चलन से बाहर किया परंतु शुरुआत में यह स्थानीय भाषाओं के लिए सहज नहीं था। इस समस्या का समाधान यूनिकोड के आगमन से हुआ जिसने हिंदी के साथ–साथ अन्य भारतीय भाषाओं के लिए भी कंप्यूटर पर काम करने के लिए आसान प्लेटफॉर्म निर्मित किया। यूनिकोड 16 बिट की एक एनकोडिंग व्यवस्था है. इस मानक व्यवस्था में विश्व की लगभग सभी भाषाओं को सम्मिलित कर लिया गया है, बशर्ते कि 'ऑपरेटिंग सिस्टम' में यूनिकोड की क्षमता

होनी चाहिए। यह पाली और प्राकृत जैसी प्राचीन भाषाओं से भी परिचित है। इसकी विशेषता यह है कि एक कम्प्यूटर पर के पाठ को दुनिया के किसी भी अन्य यूनिकोड आधारित कम्प्यूटर पर खोला व पढ़ा जा सकता है। इसके लिए अलग से उस भाषा के फोंट का प्रयोग करने की अनिवार्यता नहीं होती, क्योंकि यूनिकोड केन्द्रित हर फोंट में सिद्धांततः विश्व की हर भाषा के अक्षर मौजूद होते हैं। यूनिकोड आधारित कम्प्यूटरों में प्रत्येक कार्य भारत की किसी भी भाषा में किया जा सकता है, बशर्ते कि 'ऑपरेटिंग सिस्टम' पर इन्स्टॉल सॉफ्टवेयर यूनिकोड व्यवस्था आधारित हो। तकनीकी विकास के क्रम में माइक्रोसॉफ्ट अब विंडों 10 तथा विंडो ओएस लाने की तैयारी कर रहा है। आज तकनीकी विकास की गति तेज है। विश्व के लगभग सभी कम्प्यूटर–विज्ञानी एक राय रखते हैं कि एक से अधिक की–बोर्ड का होना अवैज्ञानिक तथा अव्यावहारिक है। इस पर भी काम हुआ है, 'यूनिकोड' ने तो इसे कई भाषाओं के संदर्भ में बिल्कुल आसान बना दिया है। नोटबुक से टैबलेट की ओर हमारा तकनीकी युग बढ़ रहा है और कंप्यूटर पर लोग अपनी भाषा में संवादों का साझा कर रहे हैं जो वैश्विक व भारतीय संदर्भ में भाषायी एकता का द्योतक है। तकनीकी विकास के कई फलकों में फेसबुक तथा ट्विटर भी हैं जिसके माध्यम से अपनी–अपनी भाषा में विचार व्यक्त किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में ब्लॉग लिखे जाने लगे, जो कि अब तक केवल कंप्यूटर के आविष्कारक देशों की भाषाओं में लिखे जा रहे थे। आज हिंदी में अनेकों ब्लॉग लिखे और पढे जा रहे हैं, इतना ही नहीं समाचार पत्रों ने भी अब नियमित रूप से ब्लॉग छापने शुरू कर दिए हैं। यूनिकोड ने स्थानीय भाषाओं में टाइपिंग को आसान बनाकर इन्हें सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे– ट्विटर, फेसबुक पर भी स्थापित कर दिया है। आज भारत से दूर विदेश में बैठा भारतीय भी तकनीक के माध्यम से किसी अपने से ठीक उसी भाव से जुड़ सकता है जिस भाव से यहां के लोग।

निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों के प्रसार ने भाषाई एकता को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके फ्री टू एयर से डिश कनेकशन और उसके बाद डाइरेक्ट टू होम तक के तकनीकी विकास ने जनता को उनकी भाषा में मनोरंजन व ज्ञान की पहुंच सुनिश्चित की है। यही बात रेडियो के निजी एफ़एम चैनलों के प्रसार एवं संचालन के साथ भी लागू होती है। आज भारत में 800 से ज्यादा टीवी चैनल और 250 तक एफ़एम चैनल उपलब्ध हैं तथा सरकार की योजना 1 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर के लिए एफ़एम चैनल की सुविधा उपलब्ध करने की है. इस कड़ी में 839 और एफ़एम चैनलों को मंजूरी दी जानी है। मनोरंजन उद्योग में फिल्मों की दूसरे भाषाओं में डबिंग का कारोबार एक महत्वपूर्ण उद्यम है। इस क्षेत्र में तकनीकी विकास से बहुतायत में फिल्मों की डबिंग ने भाषायी तथा सांस्कृतिक एकता के विकास में अहम भूमिका निभाई है।

अनुवाद दो भाषाओं के बीच सेतु का कार्य करता है। तकनीकी के उत्तरोत्तर विकास द्वारा मशीनी अनुवाद टूल बनाना संभव हो सका। आज विश्व के कई देशों के पास अत्यंत ही सक्षम अनुवाद टूल हैं। इनकी सहायता से वैश्विक मंचों पर विभिन्न देशों का आपसी मिलन आसानी से संभव हुआ है। भारत में भी अनुवाद टूल बनाने की दिशा में कई सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जिनमें सी–डैक, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई जैसी संस्थाओं की अहम भूमिका है. आईआईटी मुंबई में अनुवाद सॉफ्टवेयरों पर काफी काम किया गया है। परंतु अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद की अपेक्षित गुणवत्ता प्राप्त करना अभी संभव नहीं हो सका है जबकि इन अनुवाद टूल्स ने अन्य भारतीय

भाषाओं से हिंदी तथा हिंदी से अन्य भारतीय भाषाओं के अनुवाद में अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन किया है। आज से कुछ साल पहले डिक्शनरी में शब्दों के अर्थ ढूंढना एक बोझिल और उबाऊ कार्य होता था जिससे सभी बचना चाहते थे। डिक्शनरी एक भारी–भरकम मोटी किताब होती थी जिसे हर जगह अपने साथ रखना संभव नहीं था। जबकि आज डिक्शनरी के डिजिटल स्वरूप ने डिक्शनरी को हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में समेत कर हमें इन समस्याओं से छुटकारा दिलाया है। आज इंटरनेट पर तथा मोबाइल एप के रूप में सभी मानक डिक्शनरी उपलब्ध है। ई समाचार–पत्रों के चलन ने पत्रकारिता को एक नया स्वरूप दिया है. आज अपनी मातृभाषा में समाचार–पत्र पढ़ने के लिए उस क्षेत्र विशेष में अनिवार्यतः उपस्थित रहना आवश्यक नहीं रहा। लगभग सभी प्रमुख समाचार–पत्रों के ई संस्करण इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। इनके अलावा हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में ई–बुक्स, ई–मैगजीन, ई–कॉमिक्स आदि का प्रसार भी काफी तेज गति से हो रहा है।

हमारी भाषायी एकता को और समृद्ध बनाने के लिए भारत सरकार और अन्य सहायक एजेंसियों द्वारा कई नए कदम उठाए जा रहें हैं। अनेको सॉफ्टवेयर जैसे कि मशीन ट्रांसलेशन (एमएटी), गूगल ट्रांसलेशन, गिरगिट (एप्लिकेशन), ट्रांसलिट्रेशन, अनुसारक तथा ज्ञान निधि का विकास किया गया है जिसके उपयोग से अँग्रेजी से हिंदी अनुवाद और हिंदी से अँग्रेजी अनुवाद आसानी से किया जा सकता है। अनुसारक सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे कि भारतीय भाषाओं में परस्परिक अनुवाद की सुविधा उपलब्ध है। हमारे पास ''स्काइप ट्रांसलेटर'' भी है जो कि ऑनलाइन बातचीत के दौरान किसी भी भाषा को बदलकर सामने वाले को समझ आने वाली भाषा में रूपान्तरण कर देता है। ''श्रुतलेखन'' सॉफ्टवेयर बोलने पर हिंदी में लिखता है. इससे संबंधित अन्य सॉफ्टवेयर वाचक, प्रवाचक और गूगल ट्रांसलेट ''टेक्स्ट टू स्पीच' भी इस कड़ी को और उन्नत बनाते हैं। यदि हम वर्तमान की बात करें तो आज किसी भी देश की तरक्की उसकी भाषा और उस भाषा में हुई तकनीकी समृद्धि से ही पता चलती है। उपर्युक्त बातों के अनुसार भाषा को देश की तरक्की का माध्यम बनाए जाने की अति आवश्यकता है।

समेकित रूप से यह कहा जा सकता है कि आज हम तकनीकी युक्त वस्तुओं से चारों ओर से घिरे हुए हैं। तकनीकी विकास ने हमारी जीवन–शैली और समाज के ढांचे को भी प्रभावित किया है और भाषा भी इससे अछूती नहीं है। मौजूदा दौर में सरकारी नीतियों तथा योजनाओं के कार्यान्वयन में भी तकनीकी का स्थान दिनों–दिन बढ़ता जा रहा है फिर चाहे वह किसानों के लिए विभिन्न भाषाओं में शुरू किया गया किसान कॉल सेंटर और संदेश पाठक सॉफ्टवेयर हो या विभिन्न सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन। हमारे देश में नयी तकनीकी के बाजार के तीव्र प्रसार को देखते हुए इस क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों ने भारतीय भाषाओं में भी इन्हें विकसित करने की इच्छा जताई है। आरंभ में जिस तकनीकी की दौड़ में भारतीय भाषाएँ थोड़ी पिछड़ती प्रतीत होती हैं बाद में वही तकनीकी उनके विकास का माध्यम भी बनती है। यही वजह है कि आज तकनीकी क्षेत्र में कोई भी नवाचार किसी एक भारतीय भाषा को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता बल्कि सभी भाषाओं के लिए किया जाता है। भारत के संदर्भ में तकनीकी विकास ने भाषाई एकता को और समृद्ध ही किया है.

राहुल कुमार सिंह,
प्रबंधक– राजभाषा
विजया बैंक
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ –226005

हमारी शिक्षा प्रणाली और राजभाषा हिंदी

हरजेन्द्र चौधरी

इस तथ्य से हम सब परिचित हैं कि केंद्र सरकार की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग की स्थिति संविधान के प्रभावी होने के लगभग सात दशक बाद भी संतोषजनक नहीं है। सुधी चिंतक इस संदर्भ में अनेक कारणों और उनके निवारण के उपायों की बात प्रायः करते रहते हैं। एक ओर कभी हिंदी में पर्याप्त पारिभाषिक शब्दावली के अभाव तो कभी सरकार और प्रशासन की इच्छाशक्ति की कमी को कारण के रूप में गिनाया जाता है तो दूसरी और अंग्रेजी के मुकाबले हिंदी के कम रोजगार–परक होने तथा अनेक अहिंदीभाषियों द्वारा उसके प्रयोग में रुचि न लेने जैसे कारणों की बात की जाती है। ये सारे कारण आंशिक रूप से सत्य हैं, परंतु अनेक अन्य संदर्भित तथ्यों की उपेक्षा करके केवल इस तरह के कारणों तक सीमित रहकर इस विषय को ठीक से समझना–समझाना संभव नहीं है।

भारतीय *संविधान* के सत्रहवें भाग की अनुच्छेद– संख्या 343 से 351 तक में राजभाषा संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं, उनमें संघ की राजभाषा हिंदी व उसकी लिपि–देवनागरी–के निर्धारण से प्रारंभ करके, केंद्र सरकार के इस भाषा के प्रसार, विकास व समृद्धि संबंधी कर्तव्यों जैसे अनेक उपबंध शामिल हैं, यहां उन सब प्रावधानों की विस्तृत चर्चा न तो वांछित है, न ही आवश्यक। यहां केवल इतना कहना पर्याप्त होगा कि भारत सरकार अपने इस संवैधानिक कर्तव्य के पालन हेतु अनेक योजनाएं बनाती हैं तथा उन्हें लागू करने के लिए अच्छे खासे बजट का प्रावधान करती है। इस बजट के बल पर हिंदी के प्रयोग– प्रचार–प्रसार और समृद्धि को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनेक प्रकार की गतिविधियां चलाई जाती हैं मसलन, सरकारी कर्मचारियों व आधिकारियों को राजभाषा हिंदी में प्रयोग–सक्षम बनाने के लिए अनेक विभागीय परीक्षाओं व प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, बेहतर प्रयोगकर्ता व विजेता प्रोत्साहित व पुरस्कृत किए जाते हैं। हिंदी टंकण, आशुलिपि व कम्प्यूटर संबंधी बेसिक प्रशिक्षण–कार्यक्रमों का आयोजन होता है। हर साल सितम्बर में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा पोस्टरों और परिपत्रों के माध्यम से हिंदी–दिवस के अलावा हिंदी–सप्ताह, हिंदी–पखवाड़ा, हिंदी–माह आदि मनाए जाने की घोषणा की जाती है। अनेक देशों में स्थित भारतीय दूतावासों में हर वर्ष दस जनवरी को 'विश्व हिंदी दिवस' मनाया जाता है। पूरे साल कहीं न कहीं कार्यालयी या विभागीय स्तर के व्याख्यानों, कार्यशालाओं व संगोष्ठियों के अलावा देश–विदेश में क्षेत्रीय, राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय या विश्व–स्तरीय हिंदी– सम्मेलनों आदि का आयोजन होता रहता है। परंतु इन सब गतिविधियों के बावजूद आज भी आजाद भारत की राजभाषा हिंदी गुलामी के दिनों से चली आ रही राजभाषा अंग्रेजी का मुकाबला नहीं कर पा रही है। हमारी यह देशज राजभाषा तो जैसे अनुवाद व अनुष्ठान की भाषा बनकर रह गई है। इसके जो अनेक कारण गिनाए जा रहे हैं, यहां में उनके अलावा एक अन्य मूलभूत कारण को रेखांकित करना चाहता हूं जिसकी ओर संभवतः नीति–नियंताओं, अधिकारियों व विद्वतजनों का ध्यान नहीं गया है। हिंदी के अभीष्ट राजकीय प्रयोग के रास्ते में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का यह बात कुछ अजीब लगे, पर यह सच है कि पिछले दिनों हुए अपने

अनुभव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं।

कुछ महीने पहले मुझे भारत सरकार के एक मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों के समकक्ष "राजभाषा हिंदी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयां: कारण और निवारण" विषय पर बात करने के लिए बुलावा आया तो मैंने अपनी बात को ठोस, व्यावहारिक कठिनाइयों तक सीमित रखना बेहतर समझा। इसके लिए सबसे श्रेयस्कर उपाय यही था कि मैं प्रतिभागी श्रोताओं से उनकी कठिनाइयां पूछूं और फिर उनके निवारण के लिए, हो सके तो, कुछ ठोस सुझाव दूं। पता चला कि आयोजन में उपस्थित अधिकतम अफसर विज्ञान और अभियांत्रिकी जैसे तकनीकी विषयों की पढ़ाई करके मंत्रालय की नौकरी में आए हैं। जाहिर था कि उनका हिंदी भाषा या साहित्य से रोजी–रोटी वाला रिश्ता नहीं है, विषय के तौर पर नहीं, माध्यम के रूप में हिंदी भाषा से उनका संबंध वर्षों पहले टूट चुका है। कुछों ने तो पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा पाई है। अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाने वाली भाषा के रूप में पढ़ ली तो पढ़ ली; बस, हिंदी से उनका इतना ही शैक्षिक नाता रहा है। स्पष्ट है कि आठवीं या दसवीं कक्षा के बाद से हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं के औपचारिक अध्ययन से अधिकतर कटे रहे हैं। हां, यह अलग बात है कि उनमें से अनेक हिंदीभाषी हैं जिनके लिए हिंदी का व्यवहार करना सहज–स्वभाविक है पर सामान्य जीवन–व्यवहार में हिंदी का प्रयोग करने के बावजूद सरकारी कामकाज की हिंदी के मामले में अधिकतर लोग स्वयं को अक्षम–अज्ञानी पाते हैं। दिल्ली में नौकरी करने वाले गैर–हिंदीभाषियों के लिए भी व्यावहारिक जीवन में, सरेराह या सरेबाजार, प्रायः हिंदी ही बातचीत का माध्यम बनती है। इस मामले में तो राजधानी की आम जिंदगी में हिंदी के बिना किसी का भी काम नहीं चलता। यहां तक कि लंबे समय तक दिल्ली में प्रवास करने वाले विदेशी लोग भी किसी देशी बाजार में खरीद–फरोक्त करते समय कुछ जरूरी वाक्यों और अर्धवाक्यों वाली अपनी टूटी–फूटी हिंदी से काम चलाते पाए जा सकते हैं।

हिंदी भाषी क्षेत्रों तथा कोलकाता, मुंबई, बैंगलुरु जैसे महानगरों की जीवन–चर्या में बोलचाल में हिंदी का प्रयोग सहज और निर्बाध रूप से होता है, परंतु राजभाषा के रूप में उसके प्रयोग में पूरे देश में अनेक बाधाएं और कठिनायां आती हैं। कहा जा सकता है कि भारत के एक बहुत बड़े भू–भाग में हिंदी जीवन–चर्या की भाषा तो है, परन्तु सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में अपर्याप्त इस्तेमाल के कारण अभी तक हिंदी को अभीष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हुई है, संघ सरकार की राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का दबदबा अब भी कायम है। प्रशासन के कुछ क्षेत्रों में तो हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग व्यावहारिक रूप में निषिद्ध ही है। उदाहरणार्थ, संविधान के तीन सौ अड़तालीसवें अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों की गतिविधियां अंग्रेजी में चलाने का प्रावधान किया गया है। यह संघ की राजभाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का तिरस्कार तो है ही, इस संवैधानिक भाषायी प्रावधान द्वारा किया जा रहा अन्याय भी है। अनेक मामलों में हिंद व अन्य भारतीय भाषाओं की भूमिका मूल अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुवाद उपलब्ध कराने तक सीमित है, क्योंकि पाठार्थ संबंधी विवाद की स्थिति में मूल अंग्रेजी पाठ को ही प्रामणित माना जाता है। भारत संघ की देशज राजभाषा हिंदी का केवल अनुवाद और राजकीय अनुष्ठान की भाषा बनकर रह जाना और विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्त अनुवादों या हिंदी अधिकारियों के अच्छे–बुरे काम की मोहताज बने रहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के नीति–नियंताओं और विधि–निर्माताओं को इस संदर्भ में तार्किक और वांछित कदम उठाने की जरूरत है। विश्व के विशालतम जनतंत्र के हर सरकारी कर्मचारी व अधिकारी को मूल रूप से 'अपनी राजभाषा' में काम कर सकने में सक्षम होने की मांग मुझ जैसे साधारण नागरिक की दृष्टि में

किसी बहुत महान आदर्शवादी स्थिति की मांग न होकर एक सहज–स्वाभाविक स्थिति की मांग है।

आइए, फिर से उसी मूल बिंदु पर लौटते हैं कि सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के रास्ते में आने वाली बाधाओं और कठिनाइयों का एक प्रमुख कारण भारत की शिक्षा–प्रणाली में मौजूद है। आठवीं, दसवीं या बारहवीं कक्षा तक हिंदी पढ़ने के बाद आगे की पढ़ाई के दौरान अनेक वर्षों तक उसके औपचारिक शैक्षिक प्रयोग से पूरी तरह कटे रहने वाले नवनियुक्त सरकारी अधिकारियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे राजभाषा अंग्रेजी के साथ– साथ राजभाषा हिंदी में भी सरकारी कामकाज करेंगे। इन अधिकारियों की दृष्टि से देखें तो इस उम्मीद का कोई तार्किक आधार नहीं है। यदि आपने काफी वर्षों से लिखने–पढ़ने या अन्य औपचारिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग नहीं किया है और अचानक आपसे राजाभाषा हिंदी में किसी सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार करने को कहा जाए तो आप सचमुच संकट में पड़ जाएंगे। कारण यह नहीं कि हिंदी आपके लिए कोई बहुत कठिन भाषा है, बल्कि आप इसलिए कठिनाई महसूस करते हैं कि वर्षों पहले आप हिंदी–प्रयोग का अभ्यास छोड़ चुके हैं। इस संदर्भ में आगामी पीढ़ी से भी बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती, दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरे अनेक ऐसे विद्यार्थी भी हिंदी में एक से सौ तक गिनती ठीक से नहीं जानते, जिनकी मातृभाषा हिंदी है। अनिवार्य हिंदी विषय की कक्षाओं में अपना रोल नम्बर अंग्रेजी में ही बताते हैं। दिल्ली में फोन नंबर तो प्रायः अंग्रेजी में ही बताया जाता है। इस मामले में कम पढ़े–लिखे लोग भी अंग्रेजियत के शिकार हैं, दूसरी ओर यह भी सच है कि स्कूली शिक्षा हिंदी माध्यम से और उच्चशिक्षा अंग्रेजी माध्यम से पूरी करने वाले बहुत–सारे उम्रदराज लोग अंग्रेजी बोलते समय भी कभी–कभी अनजाने ही हिंदी गिनतियों के सहारे वाक्य को आगे बढ़ाते सुने जा सकते हैं। कहना गलत होगा कि भाषा की इमारत अभ्यास की नींव पर टिकी होती है। व्यक्ति को कोई भाषा तभी आती है जब वह उसका इस्तेमाल करता है। सामूहिक इस्तेमाल से यह विकसित और समृद्ध होती है। प्रयोग–सम्पन्न भाषा की समृद्धि और प्रयोग–वंचित भाषा की मृत्यु निश्चित है।

जहां तक सामान्य बोलचाल और सामाजिक व्यवहार का प्रश्न है, हिंदी एक बहुत धनी भाषा है। इस संदर्भ में उसकी स्थिति सचमुच बहुत अच्छी और संतोषजनक है, 'राष्ट्रभाषा' की अनौपचारिक पदवी वाली हिंदी 'मीडिया' पर भी छाई हुई है। आज विदेशी 'घरानों' वाले टेलीविजन चैनल भी हिंदी–प्रसारण को लाभकारी पा रहे हैं। अखिल भारतीय व्याप्ति के कारण हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं से विशिष्ट और अलग है। निर्विवाद रूप से यह बहुभाषी भारत के जनसाधारण की संपर्क भाषा है। यहां मैं बल देकर यह बात कहना चाहता हूं कि हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएं एक ही पाले में हैं। इन सब का मुकाबला अंग्रेजी से है। यह एक कटु सत्य है कि अंग्रेजी के वर्चस्व के कारण शिक्षा, रोजगार तथा प्रशासन के विभिन्न विभागों में हिंदी की (संभवतः अन्य भारतीय भाषाओं की भी) स्थिति खेदजनक है। आज भारत में जो लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम वाले महंगे पब्लिक (अर्थात निजी) स्कूलों में भेजने की सामर्थ्य रखते है।, उनमें कोई विरला ही होगा जो अपने बच्चों को हिंदी या किसी भारतीय भाषा माध्यम वाले सरकारी स्कूल में प्रवेश दिलवाने को तैयार हो, हिंदी के शिक्षक तथा इस भाषा के प्रचारक और प्रेमी होने का दावा करने वाले विद्वजन भी इस संदर्भ में अपवाद नहीं है। इसके पीछे मूल कारण और व्यावहारिक तर्क यही है कि अंग्रेजी को रोजगार की संभावना का ताला खोलने वाली चाबी माना जाता है। शायद वह है भी। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हमारे देश में सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक भी बना हुआ है। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। डॉक्टरी, प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी व इंजिनियरिंग जैसे रोजगारप्रदायी स्नातक तथा स्नातकोत्तर व्यावसायिक उपाधि– पाठ्यक्रमों में तथा शोध के

क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा की माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित है। शानदार 'कैरियर' और बेहतर रोजगार का मार्ग प्रशस्त करने वाली अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता–परीक्षाओं में जहां हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं को माध्यम–रूप से चुनने का विकल्प उपलब्ध है, वहां भी अधिकतर अंग्रेजी माध्यम वाले अभ्यर्थी बाजी मार ले जाते हैं।

राजभाषा के रूप में हिंदी के सुचारू व सहज इस्तेमाल को संभव बनाने व बढ़ावा देने के लिए यहां यह सुझाव देना आवश्यक और उपयुक्त लग रहा है कि स्कूली स्तर व उच्च स्तर के तमाम पाठ्यक्रमों में हिंदी को एक विषय के रूप में अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। जरूरी है कि उसका पाठ्यक्रम 'राजभाषा रूप' वाला ही हो, दिलचस्प और उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाएं पढ़ाने से ही उद्देश्य पूरा हो जाएगा यह सोचना गलत है। इस प्रकार युवा विद्यार्थियों द्वारा हिंदी में लिखने–पढ़ने का औपचारिक अभ्यास होता रहे तो निश्चित है कि सरकारी नौकरी में आने पर हिंदी के कार्यालयी प्रयोग में उन्हें अधिक कठिनाई नहीं होगी। हिंदी के निरंतर अभ्यास व प्रयोग के अगले, यानी राजभाषायी सोपान–क्रम के प्रारंभिक दौर में उपयुक्त पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग के लिए शब्दकोश की मदद लेने के बावजूद हिंदी का सहज–स्वाभाविक रूप भी उभरकर सामने आएगा तथा मुर्दा किस्म के शब्दशः तथा उबाऊ अनुवाद से मुक्ति मिलेगी, समझ में आने लायक मूल दस्तावेज हिंदी में तैयार व उपलब्ध हो सकेंगे। इससे अंग्रेजी का दबदबा घटेगा तथा उसपर हमारी निर्भरता का सिलसिला टूट जाएगा। परिणामस्वरूप भारतीयों व भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

स्कूल हो या विश्वविद्यालय, औपचारिक शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर किसी न किसी रूप में भारत संघ की राजभाषा हिंदी की उपस्थिति बनी रहनी चाहिए। मानविकी, वाणिज्य या विज्ञान के सामान्य स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ही नहीं; डॉक्टरी, प्रबंधन, इंजीनियरिंग, पत्रकारिता, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में जहां अंग्रेजी माध्यम का वर्चस्व या एकाधिकार है, वहां हिंदी को एक अनिवार्य विषय के रूप में रखा जाना चाहिए। इससे उसके बेहतर और सहज–सुचारू कार्यालयी इस्तेमाल की संभावनाएं साकार होंगी। शिक्षा प्रणाली में हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं को उचित स्थान व महत्व देने हमारे सर्वसमावेसी विकास के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजी के मुकाबले हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के हीन स्थिति में होने का एक गंभीर सामाजिक–आर्थिक निहितार्थ व निष्कर्ष यह भी है कि ऐसा होने से भारत में मौजूद तमाम तरह की ऊंच–नीच और विषमताओं को खत्म या कम करने के राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा आती है। विधि–निर्माताओं और नीति–नियंताओं को देखना–समझना चाहिए कि अंग्रेजी के वर्चस्व के कारण हमारा विकास सर्वसमावेशी व सर्वतोमुखी होने की बजाए अंग्रेजीदाँ अभियान वर्ग तक सिमटकर रह जाता है, कहना न होगा कि हमारी भाषायी समस्या हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग–प्रचार–प्रसार जैसे मुद्दों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसका हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था और राष्ट्रीय प्रगति से सीधा और बहुत गहरा रिश्ता है। हम भारतवासियों का सामूहिक भविष्य अनेक दूसरी बातों के अलावा इस बात पर भी निर्भर करेगा कि हम हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को कितना महत्व देते हैं। संविधान–निर्माताओं द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा बनाए जाने का उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब भारत की शिक्षा–प्रणाली में उसकी निरंतर उपस्थिति और बेहतर स्थिति को सुनिश्चित किया जाएगा।

ई–1/32, सेक्टर–7, रोहिणी,
नई दिल्ली–110085

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र – उभरती चुनौतियाँ तथा आगे की रणनीति

श्रीमती प्राजक्ता विनायकराव गेडाम

बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा हैं तथा आर्थिक विकास को सक्रिय बनाने और उसे कायम रखने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से विकासशील देशों में और भारत भी इसका अपवाद नहीं हैं। हालांकि हमारी बैंकिंग प्रणाली इस समय कई तरह की चुनौतियाँ का सामना कर रही हैं। लेकिन इन चुनौतियों पर यदि तत्काल पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया तो आर्थिक विकास की गति पकड़ने का मौका हाथ से निकल जाएगा। इसका बैंकों तथा अर्थव्यवस्था दोनों पर ही प्रभाव पड़ेगा क्योंकि विकास के लिए सशक्त बैंकिंग प्रणाली एक अत्यावश्यक घटक हैं। आज हम मौजूदा आर्थिक परिदृश्य तथा परिस्थितियों में बैंकिंग प्रणाली की उभरती चुनौतियों पर प्रकाश डालेंगे।

सूक्ष्म आर्थिक परिदृश्यः– वर्ष 2008 में वित्तीय संकट शुरू होने के बाद से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल मँडराते रहे हैं तथा भारतीय अर्थव्यवस्था और हमारी बैंकिंग प्रणाली भी इससे अछूती नहीं रही हैं। अब स्थिति में मामूली सुधार हुआ है लेकिन अभी भी बहुत से क्षेत्र वित्तीय कमजोरियों तथा सुक्ष्म आर्थिक असंतुलनों का सामना कर रहे हैं। तेल की कीमतों से जुड़े भौगोलिक–राजनैतिक जोखिम तथा मुद्रा और वस्तुओं की कीमतों में उठा–पटक से आर्थिक स्थिरता को खतरा बना हुआ हैं। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उच्च सामंजस्यकारी मौद्रिक नीति का बना रहना भारत जैसे उभरते बाज़ारों में मौद्रिक नीति की चुनौतियाँ पैदा कर रहा है।

बैंकिंग प्रणाली के लिए चनौतियांः– भारत की बैंकिंग प्रणाली ऐसी चुनौती भरी पृष्ठभूमि में अपेक्षाकृत लंबे समय से कार्य कर रही है जिसके कारण हमारे बैंकों की अस्ति गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता तथा लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हैं। किन्तु आज जिस संकटपूर्ण स्थिति में बैंकिंग प्रणाली अपने आप को पा रही है वह काफी हद तक बैंकरों के अनुभवहीन होने तथा पूरे जोश–खरोश से काम न करने के कारण हैं। इन चुनौतियों तथा आगे की रणनीति पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं–

1. अस्ति गुणवत्ताः

यद्यपि देखा जाए तो समग्र रूप से बैंकिंग प्रणाली ने अपना दम–खम बनाए रखा है, लेकिन सतत मंदी के कारण अस्ति गुणवत्ता हमेशा दबावग्रस्त रही है। बैंकिंग प्रणाली में सकल अनर्जक अग्रिमों तथा निवल अनर्जक आस्तियों में बढ़ोतरी हुई हैं। रिज़र्व बैंक के मार्च 16 को प्राप्त प्राथमिक डाटा के अनुसार पूरी बैंकिंग प्रणाली में निवल अनर्जक अस्तियाँ, सकल अनर्जक आस्तियाँ तथा दबावग्रस्त अस्तियाँ निम्नलिखित चार्ट के अनुसार हैं।

RISE & RISE OF STRESSED LOANS

The RBI's projections show the gross NPA of banking sector could go up to 8.5 % by March 2017

(in %)	Net NPA	Gross NPA	Stressed assets*
March 2013	-	3.4	9.2
September 2013	2.3	4.2	10.2
March 2014	2.2	4.1	10
September 2014	2.5	4.5	10.7
March 2015	2.5	4.6	11.1
September 2015	2.8	5.1	11.3
March 2016	4.6	7.6	11.5

"The stress in the banking sector, which mirrors in the corporate sector, has to be dealt with in order to revive credit growth

— RAGHURAM RAJAN, RBI Governor

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमानों के अनुसार बैंकिंग सेक्टर का सकल अनर्जक अस्तियाँ मार्च 2017 तक 8.5% तक जा सकता है।

2. बैंकों की पूंजी पर्याप्तताः

अपने कारोबार को मजबूती प्रदान करने के लिए अतिरिक्त पूंजी की उगाही करने में हमारे बैंकों की क्षमता के बारे में चिंता व्यक्त की गई है और इन्हें पूरी तरह से गलत भी नहीं ठहराया जा सकता, विशेष रूप से सरकारी बैंकों के मामले में। अस्ति गुणवत्ता में गिरावट, बासेल III पूंजी मानकों के लागू होने, आनेवाले कल में ऋण मांग के बढ़ने तथा जोखिम आधारित पर्यवेक्षण ढांचे के अंतर्गत अतिरिक्त जोखिम क्षेत्रों को कवर करने के लिए अपेक्षित पूंजी के फलस्वरूप अधिक प्रावधान की आवश्यकता होगी और उसके लिए उच्च स्तर की पूंजी पर्याप्तता जरूरी है।

बैंक स्टॉक के खराब मूल्यांकन से, विशेष रूप से सरकारी बैंकों के मामले में स्थिति और भी बिगड़ गई है क्योंकि इक्विटी की उगाही करना कठिन हो गया हैं। ऐसी स्थिति में जबकि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सरकारी बैंक भी अपने पूंजी स्तरों को बढ़ाने के लिए बाज़ार का फायदा उठाने में झिझक रहे हैं, कमजोर सरकारी बैंकों के लिए बाज़ार से संसाधनों की उगाही करना कठिन होगा। सार्वजनिक बैंकों की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में उनका स्वामित्व रखनेवालों को बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हैं, अतः अच्छा प्रदर्शन न करने वाले बैंकों के समक्ष अपनी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए माध्यमों को तलाशने की चुनौती है। एकमात्र लाभप्रदता अनुपात (आरओए तथा आरओई पर आधारित) पर ही बल देने से शायद बैंकों के प्रदर्शन के अन्य पक्षों को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता हैं तथा शायद इससे बैंक प्रबंधन अल्पावधि लाभप्रदता–उन्मुख दृष्टिकोण की ओर मुड़ जाता है। तथापि, इस दृष्टिकोण के नफा– नुकसान को नजरंदाज करते हुए एक विनियामक नजरिए से हम महसूस करते हैं कि यदि खराब प्रबंधन वाले बैंक जल्द से जल्द अपनी कार्यक्षमता में सुधार नहीं लाते हैं तो इनमें से कुछ विनियामक द्वारा तय किए गए थ्रेशहोल्ड से नीचे जा सकते हैं। तथापि आगे चलकर यदि उच्च वृद्धि के कारण अस्ति गुणवत्ता में सुधार आता है और इसके कारण बैंकों का प्रतिधारित अर्जन बढ़ जाता हैं तो दबाव कुछ कम हो सकता हैं, समय की मांग हैं कि सभी बैंक विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपनी पूंजी को जहां तक संभव हो संरक्षित रखें और उसका उपयोग अत्यधिक दक्षता पूर्वक करें।

3. एल सी आर फ्रेमवर्कः

बैंक एल सी आर ढांचे को लागू किए जाने का उल्लेख करते हुए एस एल आर घटाने की मांग करते रहे हैं। कुछ हद तक उनकी मांग जायज है। निश्चित रूप से एस एल आर उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करता जो एल सी आर के द्वारा भी साध्य किए जा सकते हैं। तथापि, एस एल आर देयताओं के लिए कतिपय आउटफ्लो दर का अनुमान नहीं लगता, जबकि एल सी आर ढांचे के अंतर्गत आउटफ्लो तथा इनफ्लो दरें दबाव के कतिपय अनुमानों पर आधारित है। वर्तमान में, एक विशेष दिशानिर्देश के तहत रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह अनुमति दी हुई हैं कि वे एस एल आर का 11% एल सी आर के लिए रखें।

4. अनहेज्ड फोरेक्स जोखिमः

विदेशी मुद्रा बाज़ार में जबरदस्त उथलपुथल, विदेशों से भारी मात्रा में ऋण लेनेवाली भारतीय कंपनियों की बहियों पर बड़ा दबाव डालने की क्षमता रखती हैं। इस दबाव से उनकी विदेशी मुद्रा देयताओं की चुकौती तो प्रभावित होती ही है लेकिन साथ ही घरेलू ऋणदाताओं का ऋण चुकाने की उनकी क्षमता भी बाधित होती है। यही वह वजह है जिसके कारण रिज़र्व बैंक कॉरपोरेटों को पर्याप्त जोखिम बचाव के बिना डॉलर में ऋणों को बढ़ाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाने का समर्थन करता रहा है।

बैंको के पर्यवेक्षण में यह पाया गया हैं कि बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के अनहेज्ड फोरेक्स एक्सपोजर से संभावित जोखिम को कम करने हेतु अधिक सशक्त नीतियाँ बनाएँ। अपर्याप्त डाटा से समस्त बैंकिंग प्रणाली में ऐसे एक्सपोजरों के प्रभाव का मूल्यांकन और भी जटिल हो जाता है। बैंको को रिज़र्व

बैंक से यह सूचना प्राप्त हुई है कि, वे अपनी नीतियों/कीमत निर्धारण निर्णय में इस जोखिम पर ध्यान दें तथा बैंकों के बीच ऐसे एक्सपोजरों पर सूचना शेयर करने हेतु माध्यमों को भी प्रारम्भ करें। इस बीच बड़े अनहेज्ड फोरेक्स एक्सपोजरों वाली इकाइयों से जुड़े एस्कपोजर के लिए पूंजी तथा प्रावधान करने की अपेक्षाओं पर ज़ोर देते हुए विनियामक दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।

5. मानव संसाधन मुद्दे:

बैंकों को नियमित रूप से अपने कर्मचारियों के कौशल स्तरों को समृद्ध करने की जरूरत है ताकि वे अर्थक्षम और प्रतिस्पर्धा में बने रहे और नए अवसरों का लाभ उठा सकें। सभी वर्गों के बैंकिंग कर्मचारियों को उनके अपने कार्यों को और अधिक निपुणता से करने में दक्ष बनाने के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी चुनौती है उसी तेजी से दक्षता निर्माण करना जो सेवानिवृत्ति तथा सेवा–त्याग की वजह से घट रही मौजूदा योग्यता और कौशल की भरपाई कर सके। प्रशिक्षण पहल में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बैंकों में उपलब्ध सुयोग्य कर्मचारियों का समूह हमेशा तेजी से बदलती बैंकिंग के तौर–तरीकों के साथ कदमताल कर सके। वास्तव में, इन चुनौतियों में बैकों के लिए संभावनाएं भी मौजूद है जिससे वे अपने संगठनात्मक प्रोफाइल को नया स्वरूप प्रदान कर सकते हैं और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एच आर प्रणालियाँ तथा पद्धतियां तैयार कर सकते हैं।

6. प्राथमिक क्षेत्र ऋण दिशानिर्देशों में संशोधनः–

प्राथमिक क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों से संबंधित दिशानिर्देशों को संशोधित किए जाने के पश्चात कुछ नए उप–क्षेत्रों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा और सामाजिक आधारभूत संरचना तथा मध्यम उद्यमों को दिए जाने वाले ऋण अब से प्राथमिक क्षेत्र ऋण माने जाएंगे। कारोबारीय प्राथमिक क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र की संकल्पना भी आरंभ की गयी है, जो 'घाटे' के बैंकों को अपने लक्ष्यों को पूरा करने में 'सरप्लस' बैंकों से इन प्रमाणपत्रों को खरीदने में मददगार होगा।

7. प्रधानमंत्री जन धन योजना तथा उससे आगेः–

प्रधानमंत्री जन धन योजना सफलता के लिए बैंकिंग क्षेत्र का काम सराहनीय है। आंकड़े स्वयं इसकी गवाही देते हैं। 14.5 करोड़ से अधिक खाते खोले गए। इससे प्रश्न उठता हैं– आगे क्या? व्यक्तिगत बचत का प्रवाह भले ही छोटा क्यों न लगे लेकिन वह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के साथ जुड़कर इन खातों को चालू रखने में एक शुरुआती प्रोत्साहन का काम तो करेगा ही, जबकि उत्पादक/आवश्यकता आधारित ऋण देना दूसरा महत्वपूर्ण कदम होगा। हम सभी का यह उत्तरदायित्व हैं कि हम यह सुनिश्चित करें कि इतनी बड़ी संख्या में खाते खोलने से जो अवसर मिला है, वह इन खातों के निष्क्रिय होने से व्यर्थ न होने पाए।

स्वयं सहायता समूह अथवा भूमि सुधार के माध्यम से जमीन के छोटे–छोटे टुकड़े को एक साथ लाकर किसानों की ऋण लेने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार से, ग्राहकों को गैर–कृषि कार्य को करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जा सकता हैं। ऋण लेने की क्षमता को बढ़ाने के प्रयासों को वित्तीय साक्षरता तथा व्यावसायिक प्रशिक्षणों का साथ मिलना चाहिए। बेहतर वित्तीय साक्षरता से ग्राहकों में बचत की भावना पैदा होगी और निवेश की आदत बनेगी, जिसका बैंकों द्वारा छोटे बचत, निवेश तथा पेंशन उत्पाद शुरु करके लाभ उठाया जा सकता है।

बैंको के लिए अपने बैंकिंग करेस्पोंडेंट मॉडल का प्रभावी रूप से प्रबंधन करना एक बड़ी चुनौती होगी। उनकी व्यवहार्यता, गवर्नेंस, नकदी प्रबंधन तथा एक मूल शाखा से लिंकेज एवं पर्यवेक्षण से जुड़ी समस्याओं पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता हैं। यदि सभी हिताधिकारियों से चहुंमुखी लाभ के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना से मिले वेग को बनाये रखना है तो समस्त वित्तीय समावेशन प्रणाली का उत्तरोत्तर विकास होना चाहिए।

8. विनियमन बनाने की प्रक्रिया का वैश्वीकरण–

राष्ट्रीय विवेकपूर्ण निर्णयों के अधीन बैंकिंग विनियमों का लगातार वैश्वीकरण हो रहा है। मानक निर्धारित करने वाले निकायों जैसे BCBS तथा FSB के सदस्य के रूप में, भारतीय बैंक अपने अधिकार क्षेत्र में इन विनियमनों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वैश्विक मानकों के अनुपालन की जांच करने हेतु विभिन्न अधिकार क्षेत्रों द्वारा जारी किए गए विनियामक दिशानिर्देशों की समकक्ष समीक्षा की एक प्रक्रिया हैं, जिसका अनुपालन न करने से उक्त अधिकार क्षेत्र मानकों का अनुपालन न करने वाला बन जाएगा।

9. प्रौद्योगिकी तथा इसके प्रभाव–

सरकारी बैंकों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग ज्यादा उपयुक्त है। सभी सरकारी बैंक अब सीबीएस प्लेटफार्म पर हैं तथा उन्होंने 'कहीं भी कभी भी' बैंकिंग सेवा प्रदान करने की क्षमता विकसित कर ली है। कुछ बैंकों ने अपने ग्राहकों को मोबाइल पर मूल बैंकिंग कारोबारी सेवाएँ प्रदान करना भी शुरू कर दिया हैं, किन्तु यह तो एक छोटी सी शुरुआत हैं क्योंकि प्रौद्योगिकी से दूरगामी लाभ उठाया जा सकता हैं। सरकारी बैंकों को डाटा वेयरहाउस बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना चाहिए तथा उसके बाद प्रौद्योगिकी की मदद से डाटा माइनिंग तथा विश्लेषण भी करना चाहिए। मांग आधारित उत्पाद तैयार करने से कारोबारी मॉडल तथा डिलीवरी चैनल विकसित करने सहित विभिन्न स्तरों पर प्रभावी निर्णय लेने हेतु डाटा का उपयोग करना इसका उद्देश्य होना चाहिए।

सरकारी बैंकों को इन्टरनेट तथा बैंकिंग चैनलों के माध्यम से अपने ग्राहकों के लिए उपयुक्त उत्पाद प्रदान करने में समर्थ होना चाहिए। पारंपरिक व्यवसाय धीरे–धीरे ऑन–लाइन हो रहे हैं तथा ई–कॉमर्स अगली पीढ़ी के ग्राहकों की पहली पसंद बन चुके हैं। सरकारी बैंकों के समक्ष यह चुनौती है कि वे अपनी क्षमताएँ सुधारें, प्रौद्योगिकी को अपनाने से मिलनेवाले अवसरों का लाभ उठाने हेतु नई प्रौद्योगिकी पर अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें।

बैंकों के लिए अच्छी बात यह है कि इस समय बैंकों में बड़े पैमाने पर नवयुवकों की भर्ती हो रही हैं। नई पीढ़ी का यह स्टाफ टेक–सेबी हैं तथा प्रौद्योगिकी से तुरंत सामंजस्य बिठा सकता है। इनमें से जो उघमशील हैं उन्हें नए प्रयोग करने और सुझाव देने की छूट दी जानी चाहिए जिससे कि बैंक अपने तथा अपने ग्राहकों के लाभ के लिए अपनी प्रक्रियाओं को नया आकार दे सकें। इसके लिए वरिष्ठ/शीर्ष प्रबंधन की सोच में बदलाव आवश्यक है तथा यदि सरकारी बैंकों को भविष्य में निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ दक्षतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करनी है तो यह जरूरी भी है।

10. ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करना–

हाल के समय में रिज़र्व बैंक के लिए बैंक ग्राहकों का संरक्षण एक प्रमुख मुद्दा रहा है। रिज़र्व बैंक ने वैश्विक श्रेष्ठ प्रक्रियाओं के आधार पर ग्राहक अधिकारों का एक चार्टर जारी किया है।

चार्टर में निम्नलिखित पाँच अधिकार शामिल हैं–

- उचित व्यवहार का अधिकार
- पारदर्शी, उचित एवं ईमानदार लेन–देन का अधिकार
- अनुकूलता का अधिकार
- गोपनीयता का अधिकार
- शिकायत निवारण तथा क्षतिपूर्ति का अधिकार

इन अधिकारों को शामिल करते हुए IBA तथा BCSBI द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई एक मॉडल ग्राहक अधिकार नीति IBA द्वारा सभी बैंको को परिचालित की गई है। रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षणीय जांच के भाग के रूप में बैंकों द्वारा तैयार की गई नीतियों तथा उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करता है।

11. के वाई सी/ए एम एल अनुपालन–

विदेश से इनाम राशि या लॉटरी जीतने के उपलक्ष्य में अग्रिम भुगतान के रूप में कतिपय बैंक खातों में राशि जमा करने के लिए सीधे–सीधे ग्राहकों से फर्जी ई–मेलों द्वारा अनुरोध किए जाने की घटनाएँ आम बात हो गई हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि पढ़े–लिखे शिक्षित व्यक्ति भी ऐसे अविश्वासी प्रस्तावों के झांसे में आ रहे हैं। यद्यपि वित्तीय साक्षरता का प्रसार एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए बैंक अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। ऐसा अधिकांश धन बैंकिंग माध्यमों द्वारा से भी भेजा जा रहा हैं जिसका स्पष्ट मतलब है कि केवाईसी अनुपालन में खामी हैं। धन की तस्करी एक और आम घटना हैं जो यह दर्शाती हैं कि ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण तथा लेन–देन की निगरानी में कमियाँ हैं।

निर्देशों का अनुपालन न करने पर विनियामक द्वारा की जाने वाली सख्त कार्यवाई/दंड की संभावना के प्रति बैंकों को सतर्क होने की आवश्यकता है। धन की तस्करी रोकने हेतु लेन–देन की नियमित निगरानी करना आवश्यक है। विगत समय में केवाईसी/एएमएल मानकों का अनुपालन न करने पर कुछ बैंकों पर पहले की जुर्माना लगाया जो चुका हैं तथा FATF मानकों का अनुपालन करने की हमारी प्रतिबद्धता को देखते हुए भविष्य में ऐसे जुर्मानों की बारंबारता तथा सख्ती और भी बढ़ सकती है।

12. तुलन पत्र प्रबंधन–

पिछले कुछ वर्षों के दौरान ऊंचे निवल लाभ दर्ज करने के झूठे प्रयास में प्रावधानों को टालने या विलंब करने की बढ़ती प्रवृत्ती हमने देखी है। संभवतः ऐसा अल्पकालीन दृष्टिकोण बैंकों के CEOs/CMDs के अल्पकालीन कार्यकाल की वजह से रहता हो। लेकिन यह समझना चाहिए कि CEOs/CMDs आएंगे और चले जाएँगे पर संस्था हमेशा बनी रहेगी। केवल एकमात्र वस्तु जो उनके अस्तित्व को बनाए रखेगी वह है एक मजबूत एवं स्वस्थ तुलन पत्र। यह समझना चाहिए कि किसी समस्या का समाधान तभी हो सकता हैं जब उसके अस्तित्व को स्वीकार किया जाए। जो समस्याएँ एक तिमाही या छमाही से ठंडे बस्ते में पड़ी रहेंगी वे आगे चलकर और भी जटिल रूप धारण कर सकती हैं। उच्च प्रावधान करने से न केवल तुलन पत्र को मजबूती मिलेगी, बल्कि टैक्स आउट–गो तथा डिविडेंड पे–आउट पर बेहतर नियंत्रण किया जा सकेगा, इसके अतिरिक्त बैंक की वित्तीय विवरणियों पर भरोसा कायम होगा। हालांकि कम निवल लाभ एक या दो दिन के लिए सुर्खियां बटोरेगा, लेकिन यह पक्का हैं कि दूर की सोच रखने वाले निवेशक/विश्लेषक ऐसी अल्प अवधि वाले लाभ पर ध्यान भी नहीं देते। यदि उन्हें लगता हैं कि प्रबंधन तुलन पत्र में सुधार करने के बारे में गंभीर है, वे आपके स्टॉक का मूल्यांकन करना चाहेंगे, जिससे आपको लंबी अवधि के लिए लाभ होगा। अधिकतर बैंकों की पूंजी की अत्यंत आवश्यकता को देखते हुए धारित आय में क्रमिक बढ़ोतरी की जरूरत है।

तुलन पत्र प्रबंधन प्रक्रिया के भाग के रूप में, बोर्ड/शीर्ष प्रबंधन को तुलन पत्रों के संभावी घटकों तथा तुलन पत्र की भावी रूपरेखा बनाने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी होगी। तुलन पत्र प्रबंधन नीतियाँ बनाते समय पूंजी के इष्टतम उपयोग के उद्देश्य पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।

13. जोखिम प्रबंधन–

बैंकिंग व्यवसाय में जोखिम से बचना असंभव है तथा इस कारण, एक सक्षम बैंक के लिए बेहतर जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क अत्यंत जरूरी है। जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य है प्रभावी रूप से जोखिम–प्रतिफल ट्रेड–ऑफ में संतुलन बनाए रखना जिसका तात्पर्य है "दिये गए जोखिम के लिए अधिकतम प्रतिफल" तथा "दिए गए प्रतिफल के लिए न्यूनतम जोखिम।" किसी बैंक की जोखिम वहन करने की क्षमता के निर्धारण की जिम्मेदारी उसके बोर्ड तथा शीर्ष प्रबंधन के कंधों पर है। हमें यह समझना होगा कि बैंक की सफलता के लिए जोखिम प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है अतः शीर्ष प्रबंधन को बाजार के बदलते

समीकरणों तथा विनियमन दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावी जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क लागू करने का प्रयास करना चाहिए।

निष्कर्षः–

हमने देखा कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए ये बेहद चुनौतीपूर्ण समय है, पर जैसा कि एक कहावत है ''अंधेरे में आशा की एक किरण अवश्य होती है।'' बैंकिंग उद्योग में भविष्य के नेता वही होंगे जो इस आशा की किरण को पहले पहचान कर उसका लाभ उठाने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे। नए बैंकों के आगमन से होने वाली प्रतिद्वंदिता तथा प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए नए खातों की बड़ी संख्या दो ऐसी बातें है जो चुनौती के रूप में उभरी हैं जिन्हें संभावनाओं के रूप में बदला जा सकता है। इसके अलावा आर्थिक चक्र के अनुकूल होते ही देश की वित्तीय प्रणाली में मुख्य किरदार निभानेवाले बैंकों पर आर्थिक विकास में सहायता बनने का उत्तरदायित्व भी है। बैंकों को अपने तुलन पत्र में मजबूती लाते हुए इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए तैयार रहना होगा।

सहायक प्रबंधक (राजभाषा)
विजया बैंक
क्षेत्रीय कार्यालय,
मैसूर – 560010

पं. सं. 3246/77
आई एस एम एन

प्रपत्र–4 (देखिए नियम–8)

प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम

समाचार पत्रों का पंजीकरण (केन्द्रीय) नियम

''राजभाषा भारती'' के स्वामित्व तथा विवरणों की सूचना

1.	प्रकाशन स्थान	नई दिल्ली
2.	प्रकाशन अवधि	त्रैमासिक
3.	मुद्रक का नाम	डॉल्फिन प्रिंटो–ग्राफिक्स, दिल्ली
4.	क्या भारत का नागरिक है?	भारतीय नागरिक
5.	प्रकाशक का नाम व पता	डॉ. धनेश द्विवेदी, उप संपादक राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार एन.डी.सी.सी.–2, भवन चौथा तल, बी विंग, नई दिल्ली–110001 दूरभाष : 011–23438159
6.	संपादक (पदेन) का नाम व पता	डॉ. श्रीप्रकाश शुक्ल संयुक्त निदेशक (नीति/पत्रिका), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय एन.डी.सी.सी.–2, भवन चौथा तल, बी विंग, नई दिल्ली–110001
7.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों।	अप्रयोज्य

मैं, डॉ. धनेश द्विवेदी घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

ह./–
प्रकाशक का हस्ताक्षर

कवर डिजाइन एवं टाइपसेटिंग–डॉल्फिन प्रिंटो–ग्राफिक्स, 1ई/18, झण्डेवालान विस्तार, चौथी मंजिल, नई दिल्ली–110055

सरल हिंदी कम्प्यूटर विज्ञान तकनीकी शब्दावली

प्रो. आरिफ नजीर

भूमंडलीकरण, बाजारवाद तथा सूचना प्रौद्योगिकी प्रधान वर्तमान काल को कम्प्यूटर एवं स्मॉर्ट फोन के बढ़ते प्रयोग की प्रवृत्ति के आधार पर बहुत से व्यक्ति 'कम्प्युटर युग' तथा 'सूचना प्रधान युग' (Information age) भी कहते हैं। किसी विद्वान ने ठीक कहा है – "Computers are ever where[1]" हिंदी भाषा का अत्यंत प्राचीन काल से प्रचलित भारतीय भाषा है। यह करोड़ों की मातृभाषा है तथा करोड़ों व्यक्ति इसे बोलते, समझते, पढ़ते और लिखते हैं। हिंदी के विकास एवं समृद्धि हेतु साहित्य के साथ ही विज्ञान, वाणिज्य, व्यापार आदि विषयों से संबंधित उच्च स्तरीय ग्रंथों की रचना हिंदी भाषा में और अधिक की जानी चाहिए तथा इन विषयों के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। भाषा संबंधी कार्य हेतु भारत में बहुत सम्भावनाएं है। जीवन के बहुत से क्षेत्रों में आज कंप्यूटर द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। बहुत से व्यक्तियों का रोजगार कंप्यूटर से जुड़ा है। सूचना तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में कंप्यूटर टैक्नोलॉजी सहायक सिद्ध हो सकती है। किसी विद्वान ने कहा है कि कंप्यूटर के प्रयोग से दुनिया बदल गई है – "Computer have changed our world" तथा कंप्यूटर द्वारा हमारा कार्य करने का ढंग बदल दिया गया है– "Computer have changed the way we do everything[2]" बिल गेट्स का कथन है कि कार्य करने, शिक्षा, मनोरंजन तथा सूचना प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में कंप्यूटर द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया है – "I feel certain that personal computer is a revolutionary in terms of the way it will change the way we work, learn, and entertain as any of these previous advances[3]" (Bill Gates)

लेखिका महादेवी वर्मा ने लिखा है कि देवनागरी लिपि आसानी से आधुनिक युग मुद्रण लेखन यंत्रों के साथ प्रयोग की जा सकती है– ''सुदूर अतीत की ब्राह्मी से नागरी लिपि तक आते–आते उसके ब्राह्य रूप को समय के प्रवाह ने इतना मांजा और रौंदा कि उसे किसी बड़ी शल्य चिकित्सा की आवश्यकता नहीं। नाममात्र के परिवर्तन से ही वह आधुनिक युग के मुद्रण–लेखन यंत्रों के साथ अपनी संगति बैठा लेगी। [4] विजय कुमार मल्होत्रा का कथन है ''अमरीकी वैज्ञानिक श्री रिक ब्रिग्ज की यह धारणा है कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर प्रोग्राम की दृष्टि से आदर्श भाषा है।[5]''

वर्तमान समय में कंप्यूटर द्वारा हिंदी से संबंधित अनेक कार्य किए जा सकते हैं। उन्हें और विस्तार देने की आवश्यकता है। हिंदी की शिक्षा को स्तरीय बनाने हेतु प्रत्येक कक्षा को इंटरनेट से जोड़ा जाना चाहिए। U.S. Federal के चेयरमेन Reed Hundt का कथन Bill Gates द्वारा वरचित पुस्तक 'Business @ the speed of thought' से उद्धृत कर यहां प्रस्तुत किया जा रहा है – Our national commitment to connect every classroom is every school in the country to the Internet will be the greatest advance in quality and quality of education in this country.[6] कंप्यूटर द्वारा ज्ञान को हिंदी में लाने में सुविधा होगी तथा शिक्षा का स्तर बढ़ेगा– 'Capturing the real world

in the classroom'[7] अच्छी वेबसाइट के साथ ही हिंदी की सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें यथा शोधकार्य आदि कंप्यूटर पर उपलब्ध होना चाहिए। कंप्यूटर टैक्नोलॉजी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस क्षेत्र में हमें अपने आप को अद्यतन करते रहना चाहिए। Stephen Hawking का कथन है –

Comupter double their performance every 18 month. The danger that they could develop intelligence and take over the world is real[8].

कंप्यूटर द्वारा हिंदी में बहुत–सा कार्य किया जा सकता है। मानक हिंदी के अनुसार हिंदी में व्याकरण जांच, स्पैल चैकर, विलोम तथा पर्यायवाची शब्द इत्यादि की जानकारी देने वाले अच्छे सॉफ्टवेयर जन–जन को सहज उपलब्ध होने चाहिए। कंप्यूटर द्वारा किए जानेवाले हिंदी अनुवाद को और उत्कृष्ट बनाना होगा। विभिन्न विषयों से संबंधित हिंदी के अच्छे शब्दकोश कंप्यूटर पर उपलब्ध होने चाहिए। आज शिक्षा केवल कलॉसरूप में प्राप्त नहीं की जाती हैं। कंप्यूटर द्वारा बहुत सी सूचना एवं ज्ञान प्राप्त कर जिज्ञासा तृप्त की जा सकती है। बिल गेट्स (Bill Gates) द्वारा दो अन्य विद्वानों के साथ लिखी गई 'The Road Ahead' शीर्षक पुस्तक में कहा गया है कि कंप्यूटर द्वारा जीवन को अत्यंत सुविधाजनक बना दिया गया है तथा आज अनेक महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध है– I think this is a wonderful time to be alive. There never been so many opportunities to do things that were impossible before. It's also the best time ever to start new companies, advance sciences such as medicine that improve quality of life, and stay in touch with friends.[9]

स्टीफन हॉकिंग के विचारानुसार 21वीं शताब्दी में कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक हो गया है– Whether you want to uncover the secrets of the universe, or you just want to pursue a career in the 21st century, basic computer programming is an essential skill to learn.[10] (Stephen Hawking)

हिंदी के विकास हेतु उसके आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। डॉ. भोलानाथ तिवारी का कथन है– ''वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद हमारा ज्ञान बढ़ाने में तो हमारी सहायता करता ही है। उसके कारण हमारी भाषा भी आधुनिक और समृद्ध बनती है।[11]'' आचार्य हजारीप्रसाद द्वि वेजी का कथन है– ''हमें तो हिंदी भाषा को इस योग्य बना देना है कि वह साधारण–से साध ाारण मजदूर से लेकर अत्यंत विकसित मस्तिष्क के बुद्धिजीवी के दिमाग में समान भाव से विहार कर सके।'' भारत में उच्च स्तर पर विज्ञान की शिक्षा हिंदी के माध्यम से दी जाए, इसके विरोध में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि उच्चतम ज्ञान का भंडार अंग्रेजी में बहुत तेजी से बढ़ रहा है तथा अपनी मातृभाषा में शिक्षित विद्यार्थी इस ज्ञान का समुचित लाभ उठाने से वंचित रह जाएंगे। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि विज्ञान के ज्ञान एवं चमत्कार का सुविधापूर्ण ढंग से लाभ उठाने से भारत की बहुत बड़ी जनता वंचित रह जाती है। ऐसे में कंप्यूटर विज्ञान की अच्छी जानकारी हेतु उससे संबंधित शब्दावली तथा श्रेष्ठ रचनाओं का अनुवाद हिंदी में कर लेना चाहिए। ज्ञानवर्द्धक तथा हिंदी की उन्नति के साथ ही साथ व्यवस्था सुदृढ़ बनाने में यह कार्य सहायक सिद्ध हो सकता है। कंप्यूटर विज्ञान शब्दावली के हिंदी अनुवाद के लिए अनुवाद के स्रोत–भाषा एवं लक्ष्य–भाषा के ज्ञान के साथ ही विषय का ज्ञान भी होना चाहिए। इसके लिए अनुवाद की स्रोत भाषा को, कंप्यूटर के संदर्भ में समझना चाहिए, विषय की आधारभूत जानकारी होनी चाहिए, उचित पारिभाषिक शब्दावली का चयन करना चाहिए, संक्षिप्तियां तथा प्रतीक चिह्न आदि को समझना चाहिए। वैज्ञानिक अनुवाद में स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा वस्तुनिष्ठ होती है।

इसमें विषय को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह भाषा स्पष्ट एवं तथ्यात्मक होनी चाहिए। अनुवादक को विषय के ज्ञान के साथ ही शैली का भी ज्ञान होना चाहिए। पारिभाषिक शब्दों में संक्षिप्तता तथा स्पष्टता आदि गुण होने चाहिए। उच्चारण की दृष्टि से पारिभाषिक शब्द सरल होने चाहिए। पारिभाषिक शब्दों का अर्थ सरल एवं सुनिश्चित होना चाहिए। एक भाषा में एक पारिभाषिक शब्द का एक ही अर्थ होना चाहिए। पारिभाषिक शब्द ऐसा होना चाहिए कि उसमें उपसर्ग प्रत्यय आदि जोड़कर अन्य शब्द बनाए जा सके। प्रत्येक शब्द का अनुवाद करने के प्रयास से भाषा को बोझिल नहीं बनाना चाहिए। बहुप्रचलित शब्दों का लिप्यंतरण किया जा सकता है। सामान्यतः शब्दकोश में प्रत्येक शब्द का अर्थ बताने वाले अनेक शब्द दिए जाते हैं। शब्द का उपयुक्त एवं उचित अर्थ ग्रहण करने के लिए यह आवश्यक है कि अनुवादक यह जाने कि कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में अमुक शब्द क्या अर्थ देता है। उदाहरण स्वरूप कंप्यूटर विज्ञान में प्रयोग किए जाने वाले कुछ पारिभाषिक शब्दों का अंग्रेजी से सरल हिंदी अनुवाद वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित 'कम्प्यूटर विज्ञान परिभाषा कोश' से उद्धृत कर यहां प्रस्तुत की जा रही है–

Absolute Code निपेक्ष कूट

इस तरह अभिकल्पित किया गया कूट जिससे कि सभी अनुदेश मशीन भाषा में हो जाए।

Access अभिगमन

भंडारण से आंकड़ों को प्राप्त करने की प्रक्रिया

Application Software अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री

अनुप्रयोग को संतुष्ट करने की दृष्टि से अभिकल्पित किए गए क्रमादेश और उनके संकुल

Interpreter निर्वचक

वह कंप्यूटर तंत्र जो किसी भाषा में अनुदेशों को एक–एक करके निष्पादित करता है।

Interpreter निर्वचक

यह तंत्र जो अभिकलित्र के प्रचालन, जैसे स्मृति नियतन, निवेश और निर्गम वितरण अंतरायन, संसाधन और कार्य नियोजन आदि कार्यों को नियंत्रित करता है।[12]

बहुत सी बार देखा जाता है कि स्रोत भाषा में उपलब्ध शब्द हेतु अनेक भाषाओं में समुचित पर्यायवाची शब्द उपलब्ध नहीं होते। ऐसे स्थिति में अनुवादक को नए पर्यायवाची शब्द गढ़ने पड़ सकते हैं। शब्द रचना करते समय अनुवादक को सरलता, स्पष्टता एवं संक्षिप्तता आदि का ध्यान रखना चाहिए। विभिन्न सूत्रों, ग्राफों आदि के प्रयोग के कारण कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में संक्षिप्तियों का प्रयोग किया जा रहा है। अनुवादक समझ नहीं पाता है कि वह संक्षिप्त अक्षरों का अनुवाद करते समय कौन–सी पद्धति स्वीकार करे। अंग्रेजी संक्षिप्त अक्षरों को ज्यों का त्यों देवनागरी लिपि में लिख दें, उन्हें खोलकर हिंदी में अनुवाद कर दें, अथवा उनके हिंदी अर्थ का संक्षिप्त रूप दिया जाए। कंप्यूटर विज्ञान शब्दावली के कुछ संक्षिप्त अक्षरों तथा उनके सरल हिंदी अनुवाद के उदाहरण रामबंसल विद्याचार्य द्वारा लिखित पुस्तक 'कंप्यूटर क्या, क्यों और कैसे' से उद्धृत कर यहां प्रस्तुत किए जा रहे हैं–

AI–Artifical Intelligence कृत्रिम बुद्धिवृत्ति

Basic–Beginner's Al Purpose Symbolic Int Code नवशिक्षुओं हेतु सर्वोद्देशीय सांकेतिक उपदेश कूट

Pbs–Bits Per Second– द्विक प्रति सैकेंड

Cd–Compact Disc– सम्पुट चकती

Cobol–Common Business–Orientrd Language– कोबोल सामान्य व्यवसाय प्रदिष्ट भाषा[13]

अंग्रेजी के कुछ संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग में लोग इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि उनके लिए हिंदी शब्द देना उचित प्रतीत नहीं होता। बहुत से विद्वानों का मानना है कि वैज्ञानिक शब्दों का अनुचित अनुवाद नहीं करना चाहिए। Peter Norton ने "Introduction to Computers" नामक ग्रंथ में लिखा है– "Scientific words are more often than not the same or nearly the same in all languages and do not need translation"[14] कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित कुछ शब्दों का अंग्रेजी से सरल हिंदी अनुवाद वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली, द्वारा प्रकाशित 'कंप्यूटर विज्ञान शब्दावली' से उद्धृत कर यहां प्रस्तुत की जा रही है–

accurancy	परिशुद्धता
system	तंत्र
central memory	केंद्रीय स्मृति
code	कूट, कोड
computer science	अभिकलित्र विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान[15]

कंप्यूटर विज्ञान संबंधी सामग्री का अनुवाद करने हेतु विषयानुकूल सहज एवं सरल भाषा के प्रयोग की आवश्यकता होती है। सहज भाषा का प्रयोग कुशल अनुवादक की कसौटी है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं जो कि कंप्यूटर विज्ञान शब्दावली को अंग्रेजी से हिंदी में लाने की समस्या के समाधान हेतु सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शब्दों का अनुवाद न किया जाए। उनका देवनागरी लिप्यन्तरण कर लिया जाए। विज्ञान के सूत्र रोमन अथवा ग्रीक वर्णमाला में प्रयोग किए जाएं। चिह्नों का प्रयोग उनके प्रचलित रूप में किया जाए। यदि अंग्रेजी में प्रचलित है तो लिखते समय उसे देवनागरी लिपि में भी लिखा जा सकता है। हिंदी में समानार्थ शब्द तैयार करते समय सरलता, संक्षिप्तता तथा स्पष्टता आदि गुणों का ध्यान रखा जाए। अंतर्राष्ट्रीय शब्दों का देवनागरी लिप्यन्तरण इस प्रकार किया जाए कि देवनागरी लिपि के प्रचलित रूप अथवा परिवर्द्धित देवनागरी वर्णमाला में उन्हें लिखा जा सके। हिंदी में स्वीकार किए गए अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को पुल्लिंग में प्रयोग किया जाए। आवश्यकता अथवा प्रचलन में होने पर स्त्री लिंग में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। वैज्ञानिक शब्दों को भारतीय परिवेश में ढालने को प्रोत्साहन दिया जाए यथा–आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण आदि। संधि अथवा समास से युक्त वैज्ञानिक शब्द तैयार किए जाएं तो उनमें संक्षिप्तता, सरलता तथा उपयोगिता का ध्यान रखा जाए। आवश्यकता होने पर 'हल' तथा 'हलन्त' का प्रयोग किया जाए। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का प्रोत्साहन दिया जाए। भगवती प्रसाद श्रीवावस्तव ने 'विज्ञान के चमत्कार' शीर्षक पुस्तक की भूमिका में लिखा है–''विज्ञान की अपनी एक अलग भाषा शैली हुआ करती है– इस शैली का अवलम्ब लेकर टेक्निकल शब्द, सूत्र और फार्मूलों की मदद से वैज्ञानिक गूढ़ बातों को भी थोड़े में व्यक्त कर लेता है।''[16] हिंदी में कंप्यूटर विज्ञान के ज्ञान को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। आनेवाले समय में इसकी बड़ी आवश्यकता होगी। बिल गेट्स का कथन है– "The PC– its evoling hardware business application, on line systems, Internet connection, electronic mail, multimedia titles, authoring tools, and gameas–is the foundation for the next revolution."[17] (BILL GATES, THE ROAD AHEAD)

संक्षेप में कहा जा सकता है कि हिंदी के विकास में कंप्यूटर उपयोगी सिद्ध हो रहा है। हिंदी में अधिकाधिक कंप्यूटर तथा मॉडल टैक्नोलॉजी लाई जानी चाहिए। हिंदी को इलैक्ट्रॉनिक यंत्रों तथा लेटेस्ट टैक्नोलॉजी से जोड़ा जाए। हिंदी द्वारा कंप्यूटर साधित उन विषयों की शिक्षा पर बल देना चाहिए जिनकी डिमांड है। विज्ञान तथा

कंप्यूटर से संबंधित अनेक विषयों पर हिंदी में शोध कार्य किया जा सकता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। सरल हिंदी कंप्यूटर विज्ञान तकनीकी शब्दावली तैयार की जानी चाहिए। हिंदी में लाई गई कंप्यूटर शब्दावली प्रारंभ में कुछ दिन कठिन प्रतीत हो सकती है। प्रयोग करते–करते अभ्यस्त हो जाने पर वही सरल लगने लगेगी। भविष्य में देश एंव शिक्षा की उन्नति में कंप्यूटर टैक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कंप्यूटर विज्ञान पारिभाषिक शब्दावली हिंदी में लाने से बहुत से व्यक्तियों को कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। इस से ज्ञान तथा आय के नवीन स्रोत खुलेंगे। भारतीय जनता का मनोबल तथा आत्मविश्वास बढ़ाने में यह अत्यन्त सहायक सिद्ध हो सकता है। हिंदी इसके लिए सक्षम है, उसे और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

संदर्भ

1. PETER NORTON'S Introduction to Computers, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi, Foreword to Students, Page 3 से उद्धृत
2. वही, पृ. 11 से उद्धृत
3. www.azquotes.com
4. महादेवी वर्मा, संचयन, शिप्रा प्रकाशन, हॉस्पिटल रोड, आगरा, संस्करण 1976, पृ. 123
5. कंप्यूटर के भाषिक अनुप्रयोग, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 1996, पृ. 60
6. BUSINESS @ THE SPEED OF THOUGHT, BILL GATES, PENGIUM BOOKS, 199, P. 431 से उद्धृत
7. Information Technology, TATA McGRAW W-HILL EDITION, Preface
8. The Indian Express, The Express Magazine, December 23, 2001 Section 11, page 4 से उद्धृत
9. THE ROAD AHEAD, BILL GATES WITH NATHAN MYHRVOLD AND PETER RINEARSON, VIKING, Published by the Pengium Group, New York, 1995, P 276
10. www.azquotes.com
11. वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद की समस्याएं, संपादक डॉ. भोलानाथ तिवारी, शब्दकार, दिल्ली, प्रथम संस्करण 1986 पृ. 33
12. द्रष्टव्य है – कंप्यूटर विज्ञान परिभाषा कोश, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली, सं. 1992
13. द्रष्टव्य है – रामबंसल विद्याचार्य द्वारा विरचित पुस्तक – कंप्यूटर क्या, क्यों और कैसे, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, सं. 2001
14. PETER NORTON'S Introduction to Computers, Foreword to Students
15. द्रष्टव्य है–कंप्यूटर विज्ञान शब्दावली, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली, सं. 1995,
16. भगवती प्रसाद श्रीवास्तव 'विज्ञान के चमत्कार', ज्ञानमंडल लिमिटेड, काशी, द्वितीय सं. 2004, भूमिका, पृ. 1
17. THE ROAD AHEAD, FOREWORD

प्रोफेसर, हिंदी विभाग
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय,
अलीगढ़–202 002
उ.प्र.,

हिंदी बाल साहित्य और बच्चे

मनोहर लाल चमोली

क्या बाल–साहित्य वह है, जो बच्चे लिखते हैं? क्या वह है, जो बच्चों के लिए लिखा जाता है? क्या अच्छी बाल पत्रिका वह है, जिसमें बाल लेखकों को स्थान मिलता है? क्या वह हैं, जिनमें बच्चों के लिए लिखी गई सामग्री को पर्याप्त स्थान मिलता है? सरसरी तौर पर यह सवाल हास्यास्पद हो सकते हैं। लेकिन गौर से इन सवालों की प्रकृति पर ध्यान दें तो विमर्श की संभावना बनती है। पिछले दस–पन्द्रह वर्षों से प्रकाशित अमूमन सभी बाल पत्रिकाएँ मैं पढ़ रहा हूँ। पाता हूँ कि बाल पत्रिकाओं के नाम पर इन अधिकतर पत्रिकाओं में लेखक के रूप में बड़े–बुजुर्ग ही लिख रहे हैं। अब यदि बच्चे नहीं लिख रहे हैं तो क्या बड़ों का लिखा बच्चे पढ़ रहे हैं? ऐसी कुछ–एक पत्रिकाएँ हैं, जो बड़ों–बच्चों को एक ही अंक में स्थान दे रही है। अब ऐसी पत्रिकाओं की सामग्री की पठनीयता पर आते हैं। बड़ों का तो मैं क्या कहूँ। लेकिन बच्चे पहले बच्चों का लिखा हुआ ही पढ़ते हैं। क्यों? बड़ों का लिखा हुआ अमूमन बच्चे पढ़ते ही नहीं। अपवाद छोड़ दें तो, ऐसा क्यों है? क्या नामचीन बाल साहित्यकारों ने कोई रचना पत्रिका में भेजने से पहले बच्चों को पढ़वाई? जँचवाई?

बड़ों का कहना होता है कि बच्चे कैसे हमारे लेखन का आकलन कर पाएँगे। बाल–लेखन है तो बच्चों के लिए और हम यह कहते फिरे कि बच्चे उसका आकलन नहीं कर सकते। फिर वह रचना बाल पत्रिका में क्यों? किसके लिए? अधिकतर बाल–साहित्यकार बच्चों के लिए लिखते समय बच्चे को बोदा–भोंदू–कोरा स्लेट, अज्ञानी, कच्ची मिट्टी का घड़ा आदि मानकर रचनाएँ लिखते हैं। खुद को बड़े के स्तर पर रखकर लिखते हैं? बहुत हुआ, तो अपना जिया बचपन याद करते हुए लिखते हैं। क्या इस तरह से मानकर कुछ लिख लेना बाल–साहित्य का भला करेगा? कितना अच्छा हो कि पहले हम बड़े बच्चों के साथ समय बिताकर जीवन का आनंद लें। उनके साथ घुले–मिले। उनके अपने समाज में बच्चा बनकर रहें। तब भला क्यों कर अच्छी रचना नहीं बन सकेगी?

एक मित्र ने कहा कुछ कविताएँ भेजिए। मैंने आठ–दस कविताएँ भेज दी। कुछ दिनों बाद उनका फोन आया कि आपकी दो रचनाएँ बच्चों ने स्वीकार कर ली हैं। मैं चौंका। पूछा तो उन्होंने बताया–''दरअसल। रचनाओं का चुनाव बच्चे ही कर रहे हैं। जो उन्हें पहले वाचन में पसंद आ रही हैं। उसे वह बड़े समूह में दे रहे हैं। अधिकतर जब उसे पठनीय मान रहे हैं, तब ही उसे स्वीकार किया जा रहा है। मेरी भूमिका तो बस उनके साथ सहायक–सी है।'' इसे आप क्या कहेंगे?

एक संपादक का फोन आया कि कुछ भेजिए। मैंने कहा–''बच्चों जैसा या बच्चों का या बच्चों के लिए?'' वह कहने लगे–''मतलब?'' मैंने जवाब दिया–''यही कि जिस स्तर के बच्चे हैं। वह जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं। उसके

आस–पास लिखने वाला बच्चों जैसा हुआ। जिस स्तर के बच्चे हैं, उन्हीं से लिखवाया जाए तो बच्चों का और मैं जो सोचता हूं कि यह रचना बच्चों के लिए होनी चाहिए, वह बच्चों के लिए हुई।'' वे कहने लगे जो आप सोचते हैं कि वह बच्चों के लिए होनी चाहिए, वे भेज दीजिए।

अब आप बताइए। मैं जो सोचता हूँ या आप जो सोचते हैं, वह बच्चों के लिए हो सकता है? शायद कुछ–कुछ। या कभी कुछ भी नहीं। ये भी संभव है कि बहुत कुछ। लेकिन हम यह मान लें कि हमने जो लिखा है, वह संपूर्ण हैं–पर्याप्त है? कहने का अर्थ यही है कि हम बड़े बच्चों के लिए जो कुछ घर बैठकर अपनी सोच से लिख रहे हैं, वह जरूरी नहीं कि वह बच्चों को मुफीद भी लगे। बच्चे उसे पहले ही वाचन में खारिज भी कर सकते हैं। इसका अर्थ यह भी नहीं कि हम लिखना ही छोड़ दें। भाव यही है कि क्या हम किसी भी रचना का निर्माण करते समय यह सोचते हैं कि जिस पाठक के लिए हम लिख रहे हैं, उसकी सोच, दायरा, मन, इच्छाएँ, सपने और परिस्थितियाँ रचना को आत्मसात् करने वाली है भी या नहीं।

हमारे एक अग्रज साहित्यकार हैं। वह निरंतर अध्ययनशील रहते हैं। एक बार कहने लगे–''क्या देश की अग्रणी बाल पत्रिकाओं में छपते रहना काफी है? क्या चार–सात बाल–साहित्य की दिशा में संग्रह आ जाना महत्वपूर्ण है? आपका साहित्य देश भर की पत्रिकाओं में छपता है। लेकिन क्या आपके साहित्य को पढने वाला पाठक आपके क्षेत्र–विशेष, अंचल और आपके स्थानीय परिवेश को महसूस कर पाता है?''

मेरे लिए यह सवाल मननीय थे। मैंने अपनी सभी रचनाएँ घर आकर टटोली। तलाशी। पढ़ीं। एक भी रचना ऐसी नहीं मिली, जिसे पढ़कर सुदूर बैठा या पड़ोस में बैठा पाठक यह महसूस कर ले कि इस रचना का रचनाकार किस परिवेश का है। मैंने यह महसूस किया है कि रचनाकार का यह भी धर्म है कि देश–दुनिया को अपने स्थानीय परिवेश से भी परिचय कराए। दुनिया भर के बच्चे अपनी दुनिया को आपकी दुनिया से जोड़कर देखना चाहते हैं। वे रचनाकार बधाई के पात्र हैं जिनकी अधिकतर रचनाओं में उनका अंचल झलकता है। उनके परिवेश के बच्चों का चित्रण होता है। मेरा मानना है कि गिलहरी हर जगह नहीं होती। समुद्र पहाड़ के बच्चों के लिए विहंगम–अद्‌भुत और हैरत में डालने वाला होता है। ठीक उसी प्रकार जब हमने पहली बार हाथी देखा हो। पहली बार रेल देखी हो। आज भी पहाड़ के बच्चों के लिए हवाई जहाज इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना रेल के बारे में सोचना उसे देखने की इच्छा का प्रबल होना। जहाज तो वह अपने आसमान में दूर से ही सही, यदा–कदा देखते ही रहते हैं।

आलेख के आरंभ में उठाए गए प्रश्न अभी भी ज्यों के त्यों हैं। हम सब बाल पत्रिकाओं में बच्चों की भावनाओं को भी उकेरें। उनके लिखे हुए को प्रोत्साहित करें। हर बच्चे को प्रथम, द्वितीय और तृतीय की कसौटी पर न रखें। उसके लेखन को बढ़ाने में सहायता दें। ऐसी बहुत कम पत्रिकाएँ हैं, जो बच्चों के लिए हैं। जो बच्चों के लिखे हुए को ज्यादा स्थान देती है। हास्यास्पद बात तो यह है कि इन पत्रिकाओं को बचकाना, कूड़ा–कबाड़ करार दिया जाता है। इन्हें उद्‌देश्यहीन घोषित कर दिया जाता है। यह घोषणा भी वे करते हैं, जो बड़े हैं। जिन्हें बच्चों से बात करने का सलीका भी नहीं आता है। बाल–साहित्य में खुद को तराशना बड़ी बात है। एक रचना भी हम लिख पाएँ तो हम भी फणीश्वर नाथ रेणू न बन जाएँ ! शायद यही कारण है

कि गुलज़ार साहब ने यह कहा कि हिंदी में बाल साहित्य लिखा ही नहीं जा रहा है। शायद यही अर्थ रहा होगा कि जो कुछ लिखा जा रहा है, वह बच्चों के लिए कारगर नहीं है। बच्चे उसमें रम नहीं रहे हैं। आनंदित नहीं हो रहे हैं।

अधिकतर पत्रिकाएं खुद को बाल पत्रिकाएँ कहती हैं। लेकिन बच्चों की लिखी गई रचना के लिए उनमें तीन–चार पेज ही हैं। क्या इन्हें बाल पत्रिकाएँ कहेंगे? संपादकों का कहना है कि जरूरी नहीं कि बच्चे अच्छे स्तर का लिखे। उनका सब कुछ लिखना बाल साहित्य कैसे हो सकता है? एक उदाहरण देना चाहूँगा। हम बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं। एक ही स्टॉल पर विविधता भरी सब्जियाँ लाते हैं। स्वाद, रुचि और इच्छा के अनुसार जो हमें नहीं जंचती, वह तरकारी हमारे झोले में नहीं आती। फिर हम बच्चों को बच्चों की पत्रिकाओं में अधिक स्थान देने से क्यों बचते हैं। बच्चों की पत्रिकाएं हम बड़ों के लिए तो नहीं हैं? क्या बच्चों की पत्रिकाएं बच्चों के लिए हैं भी या नहीं?

बगैर किसी पत्रिका का नाम लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अधिकतर पत्रिकाएँ बच्चों को नौसिखिया ही मानती है। रंग भरो प्रतियोगिता, शीर्षक आधारित प्रतियोगिता, बूझो तो जानें, आप कितना जानते हैं? ऐसे कई स्तंभों से पत्रिकाएँ भरी पड़ी हैं, जो हर अंक में बच्चों को खुद को साबित करने की होड़ में लगी है। तीन–चार प्रविष्टियों को पुरस्कृत कर देने भर से बाल विकास हो रहा है? एक संस्था हैं वह हर साल किसी के जन्मदिवस पर चित्रकला प्रतियोगिता कराती है। हर साल पाँच सौ से अधिक बच्चे उस प्रतियोगिता में सहभागी बनते हैं। उसी स्पॉट पर उसी दिन प्रथम, द्वितीय, तृतीय और तीन सांत्वना पुरस्कार देकर यह संस्था सोचती है कि वह बच्चों को चित्रकार बना रही है। क्या वाकई यह संस्था बाल विकास में कुछ कर रही है? जिन्हें पिछले दस सालों में (लगभग साठ बच्चों को) जिन्हें चित्रकला के नाम पर संस्था ने पुरस्कृत किया होगा उनमें एक भी चित्रकला की दिशा में आगे बढ़ पाया? यह शोध का विषय हो सकता है। यही हाल बाल साहित्य लिखने का है। क्या बाल–साहित्यकारों की रचनाओं को पढ़कर या बाल पत्रिकाओं में उनकी रचनाएँ छप जाने भर से बच्चों में सकारात्मक बदलाव आया है? यह विमर्श का विषय है।

आज नहीं तो कल हमें अपनी दिशा तय करनी होगी। वह बाल–साहित्य कपोल–कल्पना ही होगा। निरर्थक ही होगा, जिसके केन्द्र में बच्चे नहीं है। जिनका सरोकार बच्चों से नहीं है। सीख, उपदेश और नसीहत देते रहने का हश्र शायद वही होगा, जो हर साल रावण का पुतला जला देने से हो रहा है। रामलीला में आदर्श अभिनय कर देने भर से हम आदर्श और अनुकरण ीय नहीं हुए। ठीक उसी तरह से बाल–साहित्य में भी 'चाहिए–चाहिए'–'ऐसा करो–ऐसा करो' चिल्लाने भर से बच्चों का भला नहीं होने वाला है। अब समय आ गया है कि इक्कीसवीं सदी के बाल साहित्य में हम कम से कम एक–एक रचना ही ऐसी सृजित करे जो भविष्य में रेखांकित हो। जिसका उल्लेख किया जा सके। जिसे पढ़कर बच्चे आनंदित हो। मनन की स्थिति में हों।

अन्यथा....।

भिंताई, डिप्टी धारा मार्ग,
पोस्ट बॉक्स–23, पौड़ी
पौड़ी गढ़वाल–246001, उत्तराखण्ड

हिंदी की अनुवाद परम्परा

देवशंकर नवीन

हिंदी की अनुवाद परम्परा पर विचार करते हुए सर्वप्रथम अनुवाद की विभिन्न प्रविधियों पर ध्यान देना होगा। उल्लेखनीय है कि भारतीय परम्परा में अनुवाद की कई कोटियाँ शामिल हैं। भारत में प्रदत्त पाठ के अनुकथन, अनुवचन, पुनर्कथन, पुनर्रचना, व्याख्या, विश्लेषण, अन्वय, आत्मसातीकरण, रूपान्तरण, अनुकूलन, भाष्य, टीका, विवेचन...सारे रूपों को अनुवाद का ही समानार्थी माना गया है। इस आलोक में हिंदी के भक्ति–साहित्य के सारे पाठ आत्मसातीकरण, अनुकूलन, पुनर्कथन अथवा पुनर्रचना के रूप में पौराणिक ग्रन्थों के अनुवाद ही हैं। सूरदास एवं तुलसीदास की रचना समेत रामकाव्य एवं कृष्णकाव्य की समस्त कृतियाँ आत्मसातीकरण के रूप में अनुवाद–उद्यम ही हैं। अष्टछाप के सारे भक्त कवियों ने पौराणिक कृष्ण की लीलाओं का आत्मसातीकरण करते हुए अपने पद रचे हैं। 'आत्मसातीकरण' शब्द का अंग्रेजी पर्याय 'एप्रोप्रिएशन' होगा, अर्थात् मूल–पाठ की आत्मा सुरक्षित रखते हुए ऐसे नए पाठ का पुनर्सृजन, जिसमें काल–परिवेश और ग्राही–समाज हेतु लक्षित–पाठ की उपादेयता का विशेष ध्यान रखा जाए। हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य में इतिहास, पुराण, रामायण, महाभारत एवं लोकगाथाओं के अनगिनत आत्मसातीकृत ग्रन्थ उपलब्ध हैं और सारे के सारे आज अपनी–अपनी भाषा के प्रतिष्ठित एवं मौलिक ग्रन्थ माने जाते हैं। विशिष्ट आत्मसातीकृत ग्रन्थों के रूप में तुलसीदास, रहीम एवं गुरुगोविन्द सिंह की रचनाएँ सदैव स्मरण की जाएँगी। इस रचनात्मक कौशल का उपयोग अनुवर्ती काल के कई रचनाकारों ने किया। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, रांगेय राघव, मोहन राकेश आदि उनमें प्रमुख हैं। हिंदी के प्रतिष्ठित अनुवादक के रूप में मल्ह कवि, महाराजा जसवन्त सिंह, आचार्य सोमनाथ, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, रामचन्द्र शुक्ल, जैनेन्द्र कुमार, मैथिलीशरण गुप्त, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, हरिवंशराय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, राजकमल चौधरी, भदन्त आनन्द कौशल्यायन, राजेन्द्र यादव, अमृत राय, विष्णु खरे आदि के नाम श्रद्धा से लिए जाते हैं।

असल में भारतीय साहित्य के प्रारम्भिक दौर से लेकर मुगल–साम्राज्य के अधोकाल तक भारत में अनुवाद–कर्म एक पुनीत कार्य माना जाता था। वस्तु, विचार, ज्ञान, धर्म, मत आदि के विनिमय का आधार अनुवाद था। सभ्यता–संस्कृति के विकास हेतु एक भाषा के पाठ का दूसरी भाषा में अनुवाद होता था। लक्षित पाठक–समाज में सभ्यता एवं संस्कृति का विस्तार–परिष्कार भी होता था। शासन–विधान में भी इसकी अपरिहार्यता चाणक्य, चन्द्रगुप्त, अशोक, अकबर, शाहजहाँ आदि के काल में साबित हो चुकी थी। पर उस दौर तक अनुवाद की धारणा बहुत पवित्र होती थी। ब्रिटिश हुकूमत के दौर में आकर इसमें कलुष का प्रवेश हुआ। फिरंगियों के शासकीय सलाहकारों ने उन्हें बताया कि ऊँचे मनोबल के धनी भारतीय नागरिकों को हीन साबित किए बगैर शासित बनना असम्भव है। सर्वप्रथम उसका मनोबल तोड़कर उसे हीन साबित करो। इस प्रयास में उसने भारत के श्रेष्ठ सांस्कृतिक ग्रन्थों के अनुवाद करवाए और हमारी

ही संस्कृति के विकृत अनुवाद के हवाले से हमें हीन साबित करने लगे। उनकी इस दूषित धारणा ने इस पवित्र उद्यम में कलुष का प्रवेश तो अवश्य करा दिया, पर इसके परिणामस्वरूप कुछ अच्छी बातें भी हुईं। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में मुँह की खाए भारतीय परिदृश्य की जाग्रत चेतना कुछ और जाग्रत हुई। पूरे भारत के बौद्धिक–समाज में 'भाषा' और 'संस्कृति' की 'निजता' का अन्वेषण महत्त्वपूर्ण हो उठा। सभी भाषाओं के बुद्धिजीवी इस दिशा में गम्भीता से सोचने लगे। राजा राममोहन राय के नेतृत्व वाले भारतीय नवजागरण की अनुगूँज और भारतेन्दु–मण्डल के हिंदी नवजागरण की धारणा में इस विलक्षण प्रयास को देखा जा सकता है। हिंदी नवजागरण के अग्रदूतों के उद्यमों में भाषा, साहित्य, संस्कृति और अनुवाद के प्रति उनकी दृढ़ आस्था का स्पष्ट संकेत दिखता है। भाषा–साहित्य–संस्कृति एवं अनुवाद के प्रति भारतेन्दु–मण्डल के बौद्धिकों की सजगता और राष्ट्र–भक्ति उनके बहुभाषा–ज्ञान में स्पष्ट दिखती है। उनके अनुवाद–कार्य से पराभूत जीवन–व्यवस्था के असहाय भारतीय नागरिकों को बहुत ताकत मिली।

अपने कृतिकर्मों के अभिलेखीकरण के प्रति भारतीय चिन्तकों की निरपेक्षता शाश्वत स्वभाव है। इतिहास में नाम दर्ज कराने के उद्यमों में उन्होंने कभी अपनी ऊर्जा नहीं लगाई। ज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र किए गए उनके सभी प्रयासों का उद्देश्य समाजहित होता था। इसी कारण प्राचीन काल से लेकर भारतीय आजादी के समय तक के हमारे चिन्तकों के उद्यमों का कोई विधिवत अभिलेखीकरण नहीं मिलता। आज भी आधिकारिक तौर पर कह पाना कठिन है कि हिंदी का पहला व्यवस्थित अनुवाद कौन–सा है?

उल्लिखित आत्मसातीकरण से अलग विधान के अनुवाद में उपलब्ध जानकारियों के अनुसार पहली नजर सन् 1867 में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (सन् 1850–1885) द्वारा बांग्ला से अनूदित विद्यासुन्दर नाटक पर ही जाती है। सूचनानुसार इसे हिंदी का दूसरा अनुवाद कहा जा सकता है। क्योंकि विद्यासुन्दर के दूसरे संस्करण की भूमिका में स्वयं भारतेन्दु ने सूचित किया है कि इससे पहले राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा कालिदास कृत अभिज्ञानशाकुन्तलम् के हिंदी अनुवाद की सूचना उन्हें थी। वैसे भारतेन्दु द्वारा अनूदित विद्यासुन्दर भी किसी आत्मसातीकरण अथवा पुनर्रचना से कम नहीं है। कहते हैं कि बंग जनपद में प्रचारित विद्यावती की आख्यायिका का मूल स्रोत वररुचि द्वारा बनाई हुई चौरपंचाशिका ही है। बांग्ला में इस उपाख्यान का काव्यलेखन भारतचन्द्र राय ने किया। बाद में उस काव्य के आलम्बन से महाराज यतीन्द्र मोहन ठाकुर ने विद्यासुन्दर नाटक लिखा। भारतेन्दु रचित विद्यासुन्दर उसी की छाया है। स्पष्टतः हिंदी में प्रस्तुत विद्यासुन्दर उतना ही अनुवाद, उतना ही आत्मसातीकरण या पुनर्सृजन है, जितना रामचरितमानस।

आत्मसातीकरण की शैली पर ध्यान दें तो तुलसीदास ने स्वयं लिखा है– 'नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद।' अर्थात् रामचरितमानस की रचना में उन्होंने उस काल तक उपलब्ध विविध ग्रन्थों से प्राप्त ज्ञान का सहारा लिया है। इस क्रम में उन्होंने कभी शब्दशः अनुवाद किया, कभी भावानुवाद किया, कभी कुछ छोड़ा, कभी कुछ जोड़ा, अर्थात् अनुवाद के सारे विधान अपनाए। असंख्य उदाहरणों में से एक उदाहरण महाभारत की पंक्ति 'यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति' का सीधा अनुवाद रामचरितमानस में 'जब–जब होहिं धर्म की हानि' है। इसी तरह चाणक्यनीति के श्लोक 'येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः/ते मत्र्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति' का सीधा अनुवाद रहीम का दोहा 'रहिमन विद्या बुद्धि नहिं, नहीं धरम जस दान/भू पर जनम वृथा धरै, पसु बिन पुछ विषान' है। ऐसे और भी उदाहरण दूसरे आत्मसातीकरण से दिए

जा सकते हैं।

भारतेन्दु ने विद्यासुन्दर के अलावा और भी कई अनुवाद किए। सन् 1868 में संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रन्थ रत्नावली का उन्होंने अनुवाद किया। सन् 1872 में पं. कृष्ण मिश्र रचित संस्कृत ग्रन्थ प्रबोध चन्द्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद पाखण्ड विडम्बन शीर्षक से किया। सन् 1873 में पण्डित कांचन कवि की कृति धनंजय विजय का अनुवाद किया। फरवरी 1875 में उन्होंने चौथी शताब्दी में रचित विशाखदत्त के संस्कृत नाटक मुद्राराक्षस का अनुवाद किया। सन् 1876 में राजशेखर रचित प्रसिद्ध सट्टक कर्पूरमंजरी का अनुवाद प्राकृत भाषा से किया। इन अनुवादों में उन्होंने भावानुवाद की पद्धति अपनाई, लिहाजा इन्हें नाटय–रूपान्तर कहना बेहतर होगा। नाटक की प्रस्तावना, भरतवाक्य आदि का अनुवाद उन्होंने प्रायः हू–ब–हू किया, पर चरित्र–व्यंजना में शब्दानुवाद की प्रवृत्ति त्यागकर पर्याप्त स्वतन्त्र दृष्टिकोण रखा। इस कारण 'मुद्राराक्षस' के अनुवाद में उनकी मौलिक विचार–दृष्टि और भाषा–प्रवाह की सरसता देखी जा सकती है। नाटकों के काव्यांश के अनुवाद में यह प्रवृत्ति और भी स्पष्टता से परिलक्षित है। अनुवादक के रूप में भारतेन्दु की सफलता–असफलता पर विचार करते हुए अनुवाद के आधार पर मूल लेखक विशाखदत्त एवं अन्य रचनाकारों के कृतित्व का मूल्यांकन भी किया जा सकता है और इस धारणा पर सहजता से पहुँचा जा सकता है कि कई बार अनुवादकीय कौशल के कारण मूल–पाठ की सम्प्रेषणीयता के बाधक तत्त्व छँट भी जाते हैं।

चाणक्य और चन्द्रगुप्त मौर्य सम्बन्धी ख्यात वृत्त में चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं की ऐतिहासिक घटना पर आधारित संस्कृत का यह नाटक मुद्राराक्षस अपनी पूर्ववर्ती संस्कृत–नाट्य परम्परा से सर्वथा भिन्न है। इसमें नाटककार विशाखदत्त ने भावुकता और कल्पना के बजाए जीवन–संघर्ष के यथार्थ–अंकन पर बल दिया है। इस महत्त्वपूर्ण नाटक के प्रथम हिंदी अनुवाद का श्रेय भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को ही जाता है। उल्लेखनीय है कि भारतेन्दु के बाद कुछ और लोगों ने भी इस कृति का अनुवाद हिंदी में किया, पर भारतेन्दु के अनुवाद जैसी ख्याति किसी और को नहीं मिल सकी। साहित्यिक और राजनीतिक तत्त्वों के मणिकांचन संयोग से परिपूर्ण इस नाट्य कृति के कथानक को संस्कृत में अपूर्व लोकप्रियता मिली थी। सौभाग्य से भारतेन्दु द्वारा अनूदित मुद्राराक्षस के कथानक को भी वैसी ही लोकप्रियता हासिल हुई। आखिरकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का विलक्षण अनुवाद कौशल यूँ ही वन्दनीय नहीं है। सन् 1877 में उन्होंने भारत जननी नाट्यगीत का भी अनुवाद किया। सन् 1880 में दुर्लभ–बन्धु शीर्षक से विश्वविख्यात नाटककार शेक्सपियर की कृति मर्चेण्ट ऑफ वेनिस का अनुवाद कर उन्होंने अनुवाद के क्षेत्र में एक दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत किया।

ध्यातव्य है कि सन् 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में अपने मान–सम्मान के लिए फिरंगियों की क्रूरता का सामना कर रहे भारतीय राष्ट्रभक्तों की त्रासद पराजय के बाद यह वह दौर था, जिसमें भाषा और संस्कृति की निजता का महत्त्व हर भारतीय समझने लगा था। अनुवाद के माध्यम से ही सही, पर हर किसी को अपने पौराणिक ग्रन्थों, प्राचीन साहित्यों और विराट भारत की साहित्यिक धरोहरों के साथ–साथ विश्वफलकीय ज्ञान से परिचित होना जरूरी लगने लगा था।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की अगुवाई में सुविचारित उपक्रमों के साथ क्रियाशील भारतेन्दु–मण्डल के हिंदी नवजागरण के सभी अग्रदूत अपनी सृजनशील दक्षता का परिचय इसी रूप में दे रहे थे। सुविख्यात चिन्तक और प्रबल राष्ट्रभक्त, भाषासेवी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी (सन् 1864–1938) इस दिशा में अपनी गहरी सूझ–बूझ का संकेत दे रहे थे। ...उन्हें अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी तथा बांग्ला का बेहतरीन ज्ञान था। उन्होंने इन भाषाओं की कई

उत्कृष्ट कृतियों के अनुवाद से हिंदी भाषा एवं साहित्य के भण्डार को समृद्ध किया। समसामयिक पर्यवस्थिति की वैज्ञानिक, राजनीतिक, आर्थिक हलचलों के प्रति भारत के आम नागरिक को जाग्रत करने और उनमें अस्मिताबोध भरने, आत्मसम्मान के प्रति सावधान रहकर सिर उन्नत रखने की प्रेरणा देने की दिशा में आचार्य महावीर प्रसाद द्वि वेदी का अवदान अद्वितीय है। अपने अनूदित एवं मौलिक कृतिकर्मों द्वारा उन्होंने हिंदी पाठकों का प्रभूत मानसिक विकास किया। विविध विधाओं में मौलिक लेखन एवं पत्रिका सम्पादन के अलावा दर्जनों महत्त्वपूर्ण कृतियों का विलक्षण अनुवाद किया। पद्यानुवाद में विनय विनोद (सन् 1889/वैराग्य शतक/भर्तृहरि), विहार वाटिका (सन् 1890/गीत गोविन्द/भावानुवाद), स्नेह माला (सन् 1890/शृंगार शतक/भर्तृहरि), श्री महिम्न स्तोत्रा (सन् 1891/संस्कृत कृति महिम्न स्तोत्रा), गंगा लहरी (सन् 1891/गंगा लहरी/पण्डितराज जगन्नाथ/सवैया छन्द में अनुवाद), ऋतुतरंगिणी (सन् 1891/ऋतुसंहार/कालिदास/छायानुवाद), सोहागरात (ब्राइडल नाइट/बाइरन/छायानुवाद अप्रकाशित), कुमारसम्भवसार (सन् 1902/कुमार सम्भवम/कालिदास/प्रथम पाँच सर्गों का सारांश) और गद्यानुवाद में भामिनी–विलास (सन् 1891/भामिनी विलास/पण्डितराज जगन्नाथ), अमृत लहरी (सन् 1896/यमुना स्तोत्रा/पण्डितराज जगन्नाथ/भावानुवाद), बेकन–विचार–रत्नावली (सन् 1901/बेकन के प्रसिद्ध निबन्ध), शिक्षा (सन् 1906/द' एज्युकेशन/हर्बर्ट स्पेन्सर), स्वाधीनता (सन् 1907/ऑन लिबर्टी/जॉन स्टुअर्ट मिल), जल चिकित्सा (सन् 1907/जर्मन लेखक लुई कोने की जर्मन पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद का अनुवाद), हिंदी महाभारत (सन् 1908/महाभारत की कथा का हिंदी रूपान्तर), रघुवंश (सन् 1912/रघुवंश/कलिदास), वेणी–संहार (सन् 1913/वेणीसंहार/संस्कृत कवि भट्टनारायण का नाटक), कुमारसम्भव (सन् 1915/कुमारसम्भव/कालिदास), मेघदूत (सन् 1917/मेघदूत/कालिदास), किरातार्जुनीय (सन् 1917/किरातार्जुनीयम्/भारवि), प्राचीन पण्डित और कवि (सन् 1918/अन्य भाषाओं के लेखों के आधार पर प्राचीन कवियों और पण्डितों का परिचय), आख्यायिका सप्तक (सन् 1927/अन्य भाषाओं की चुनी हुई सात आख्यायिकाओं का छायानुवाद) आदि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख हिंदी अनुवाद हैं। उल्लेखनीय है कि विपुल मात्रा में अबाध मौलिक लेखन करते हुए भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इतनी तल्लीनता से अनुवाद कार्य कर रहे थे। इनमें से उनकी अनूदित कृतियों 'शिक्षा' और 'स्वाधीनता' ने उस दौर के भारतीय मानस के गर्वोन्नत होने का बल दिया। सम्पोषित अनुवाद–प्रक्रिया की कलुषित धारणा के सहारे फिरंगी प्रभु–वर्ग जिस तरह भारतीय नागरिकों के आचार–विचार, इतिहास–परम्परा, आहार–व्यवहार, सभ्यता–संस्कृति का विकृत स्वरूप उपस्थित कर भारतीय नागरिकों को असभ्य कह कर उनका स्वाभिमान तोड़ रहे थे, इन दोनों कृतियों के अनुवाद ने उनके टूटते मनोबल को आत्मज्ञान दिया और वे गर्व से भर उठे।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल (सन् 1884–1941) ने बांग्ला से राखालदास वन्द्योपाध्याय के उपन्यास शशांक और जोसेफ एडिसन की रचना प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन का (कल्पना का आनन्द) अंग्रेजी से हिंदी में रोचक अनुवाद किया। बुद्धचरित शीर्षक से उन्होंने एडविन आर्नल्ड के लाइट ऑफ एशिया का ब्रजभाषा में भी पद्यानुवाद किया। इसके अलावा आदर्श जीवन, मेगस्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन जैसी कई रचनाओं का अनुवाद किया, पर जर्मनी के प्रसिद्ध प्राणिशास्त्री और भौतिकवादी दार्शनिक अर्न्स्ट हैकल की पुस्तक रिड्ल ऑफ द युनिवर्स का विश्वप्रपंच शीर्षक से अत्यन्त श्रम और उत्साहपूर्वक किया गया अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। बाद में उन्होंने इस अनुवाद के साथ विस्तृत और महत्त्वपूर्ण भूमिका भी लिखी। रिड्ल ऑफ द युनिवर्स अनात्मवादी आधिभौतिक पक्ष का एक सिद्धान्त–ग्रन्थ है। इसके प्रकाशित होते ही यूरोप में धूम मच गई

थी। दो महीने के भीतर अकेले जर्मनी में इसकी नौ हजार प्रतियाँ खप गईं। यूरोप की सभी भाषाओं में इसके अनुवाद प्रकाशित हुए। अंग्रेजी की तो लाखो प्रतियाँ धरती के कोने–कोने तक पहुँचीं। सर्वाधिक खलबली पादरियों के बीच मची। इसके प्रतिवाद में गालियों भरी सैकड़ों पुस्तिकाएँ प्रकाशित की गईं। उल्लेखनीय है कि इस सिद्धान्त–ग्रन्थ का हिंदी अनुवाद परम आस्तिक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने उस दौर में किया जब हिंदी में प्राणिशास्त्र की कोई पारिभाषिक शब्दावली नहीं बनी थी। आचार्य शुक्ल ने स्वयं इसके लिए शब्दावली तय की और अत्यन्त प्रांजल भाषा में रिड्ल ऑफ द युनिवर्स का हिंदी अनुवाद कर हैकल के विचारों को पूरी हिंदीपट्टी में फैलाया। हैकल विचारतः पूँजीवाद के समर्थक थे, पर उनकी इस पुस्तक ने भाववादी दर्शन को अयुक्तिपूर्ण साबित कर भौतिकवादी दर्शन की स्थापना की। लेनिन ने इस पर टिप्पणी की कि पूँजीवादी राजनीतिक विचारों के बावजूद लेखक की यह लोकप्रिय पुस्तिका पूँजीपति–वर्ग के विरुद्ध वर्ग–संघर्ष का हथियार बन गई। बाद के दिनों में यह पुस्तक भौतिकवादी चेतना के प्रसार का महत्त्वपूर्ण साधन बनी। अनुवाद की भूमिका में आचार्य शुक्ल ने उल्लेख किया कि गत शताब्दी (उन्नीसवीं शताब्दी) में यूरोप में भौतिक विज्ञान, रसायन, भूगर्भ विद्या, प्राणिविज्ञान, शरीरविज्ञान आदि के अन्तर्गत नई–नई बातों का पता लगने लगा, नए–नए सिद्धान्त स्थिर होने लगे, जगत् के सम्बन्ध में लोगों की भावनाएँ बदलने लगीं, चीजों को ईश्वर की कृति मानकर सन्तोष कर लेने की जगह विज्ञानसम्मत कार्य–कारण सम्बन्ध की विस्तृत श्रृंखला उपस्थित हुई, ज्ञान–दृष्टि को विस्तार मिला, वैज्ञानिक प्रगति में आस्था व्यक्त की गई। स्पष्टतः उस भूखण्ड के पादरियों के लिए यह कृति अनिष्टकर साबित होती। एक ऐसे समय में, जब यूरोपीय शासन–तन्त्र भारत जैसे धर्मप्राण देश के पवित्र ग्रन्थों का विकृत अनुवाद प्रस्तुत कर भारतीय नागरिकों के मन में अपने ही धर्म एवं संस्कृति के प्रति हीन–भाव भर रहा था, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने उन्हीं के चिन्तकों के विचार का चयन किया और अपने देश के राष्ट्र–भक्तों को अंग्रेजों का विकृत चेहरा दिखाकर मनोबल बढ़ाया।

कथा सम्राट प्रेमचन्द (सन् 1880–1936) अव्वल दर्जे के अनुवादक थे। उन्होंने अन्य भाषाओं के मनपसन्द रचनाकारों की कृतियों के अनुवाद से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। टॉलस्टॉय की कहानियाँ (सन् 1923), गाल्सवर्दी के तीन नाटक––'हड़ताल' (सन् 1930), 'चाँदी की डिबिया' (सन् 1931) और 'न्याय' (1931) के साथ–साथ 'आजाद कथा' शीर्षक से रतननाथ सरशार के उर्दू उपन्यास 'फसाना–ए–आजाद' का हिंदी अनुवाद उनकी उल्लेखनीय अनूदित कृतियाँ हैं। इसी तरह टक्कर (चेखव), हमारे युग का एक नायक (लर्मन्तोव), प्रथम–प्रेम (तुर्गनेव), वसन्त–प्लावन (तुर्गनेव), एक मछुआः एक मोती (स्टाइनबेक), अजनबी (कामू) आदि राजेन्द्र यादव (सन् 11929–2013) द्वारा अनूदित उल्लेखनीय कृतियाँ हैं।

विष्णु खरे (09 फरवरी, 1940) ने तो हिंदी की कई रचनाओं का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया, पर अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषाओं से हिंदी में उनके कई अनुवाद विशेष उल्लेखनीय हैं। 'मरुप्रदेश और अन्य कविताएँ' (सन् 1960/टी. एस. इलिएट/वेस्टलैण्ड एण्ड अदर पोएम्स), 'जीभ दिखाना' (सन् 1984/गुण्टर ग्रास/मूल जर्मन से हिंदी अनुवाद), 'यह चाकू समय' (आत्तिला योझेफ), 'हम सपने देखते हैं' (मिक्लोश राद्नोती), 'कालेवाला' (सन् 1990/फिनी राष्ट्रकाव्य), 'अगली कहानी' (सेस नोटेबोम) (डच उपन्यास), 'हमला' (हरी मूलिश), 'दो नोबल पुरस्कार विजेता कवि' (चेस्वाव मिवोश, विस्वावा शिम्बोर्स्का), 'कलेवपुत्रा' (सन् 2012/एस्टोनिया का राष्ट्रीय महाकाव्य) आदि उनकी उल्लेखनीय अनूदित कृतियाँ हैं।

ब्रिटिश हुकूमत के दौरान उपजे कलुष के

कारण परवर्ती अनुवाद–उद्यम अत्यधिक संवेदनशील हो गया। राज–काज और शासन व्यवस्था में भी इसकी संवेदनशीलता बढ़ी। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के मद्देनजर अनुवाद की गरिमा में एक बार फिर से विस्तार हुआ। वक्तव्य की अर्थछवियों में असीम सम्भावनाएँ गोचर होने लगीं। इस समय तक आते–आते भावानुवाद, सारानुवाद, टीका आदि उन सम्भावनाओं का संकेत देने में अक्षम होने लगी। शब्द–प्रयोग की धारणाओं के आधार पर समानार्थी शब्द के विकल्प तलाशे जाने लगे। भारतीय स्वाधीनता के बाद दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में अनुवाद प्रशिक्षण दिया जाने लगा। ज्ञान की शाखा के रूप में अनुवाद अध्ययन की पढ़ाई होने लगी। इस आलोक में पहले से ही मानव–सभ्यता के लिए अपरिहार्य बना अनुवाद–कर्म और भी अपरिहार्य हो गया।

भारतीय आजादी के बाद हिंदी का प्रकाशन–उद्योग भी विकासोन्मुख हुआ। ज्ञान की विविध शाखाओं में पुस्तकों की आवश्यकता होने लगी। राष्ट्रवाद की धारणा से प्रेरित बुद्धि जीवियों को राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की महत्त्वपूर्ण गतिविधियों, सांस्कृतिक उपक्रमों, राजनीतिक हलचलों के बारे में अद्यतन रहने की आवश्यकता होने लगी। जनसंचार माध्यमों के क्रमशः विकास से ये सारे विधान और भी महत्त्वपूर्ण हो उठे। व्यापार एवं पर्यटन के क्षेत्र में अनुवाद की अनिवार्यता प्रमुख हो उठी। विज्ञान एवं तकनीक के निरन्तर विकास ने इसे और तूल दिया। लिहाजा पिछले छह–सात दशकों में हिंदी में अनुवाद–उद्यम अपनी महती भूमिका के साथ सामने आया।

अनुवाद के बिना भारत जैसे बहुभाषी–बहुसांस्कृतिक राष्ट्र की समग्र संस्कृति से रू–ब–रू होना असम्भव हो गया। भारतीय भाषा केन्द्र, मैसूर, नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया, नई दिल्ली, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली जैसी भारत सरकार की कुछ सरकारी एवं स्वायत्त संस्थाओं ने इस दिशा में अपने बहुभाषी अनुवाद एवं प्रकाशन के साथ पिछले कई दशकों में विलक्षण काम किया। केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली; केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा; भारतीय अनुवाद परिषद, नई दिल्ली आदि का हिंदी को लेकर किया गया काम उल्लेखनीय है। बहुभाषी प्रकाशनों एवं अनुवादों के इस क्रम में इधर यह भी देखा गया है कि अधिकांश भारतीय भाषाओं के लिए हिंदी सेतु–भाषा के रूप में विकसित हुई है। इस लिहाज से हिंदी अनुवाद का दायित्व और भी गुरुतर हो गया है। साहित्य अकादेमी सहित कई अन्य संस्थाएँ श्रेष्ठ अनुवाद–कार्य हेतु अनुवादक का सम्मान भी करती हैं। इसके अलावा अनुवाद इधर उपार्जन का साधन भी बन गया है। इसलिए कुछ अति विशिष्ट और अति महत्त्वपूर्ण अनुवादकों के अलावा सबकी चर्चा यहाँ असम्भव है। उनकी दिशाओं का संकेत भर यहाँ किया गया है। ग्रन्थशिल्पी प्रकाशन, राजकमल प्रकाशन, वाणी प्रकाशन, राधाकृष्ण प्रकाशन, लोकभारती, किताबघर, संवाद प्रकाशन, पेंगुइन बुक्स, उद्भावना प्रकाशन, नयी किताब समेत हिंदी के कई निजी प्रकाशकों ने पिछले दशकों में हिंदी में अपार अनूदित कृतियाँ प्रकाशित की हैं। इन सबके विस्तार में जाना यहाँ सम्भव नहीं है। सारतः इस समय हिंदी की अनुवाद–धारा भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विलक्षण अभिमुख है। निष्ठा और तल्लीनता के साथ इस पुनीत कार्य में बड़ी संख्या में लगे लोगों को अपने दायित्व निर्वहन की गम्भीरता समझनी होगी और ग्राही–समाज को इन संस्कृतिकर्मियों के मान–सम्मान का ध्यान रखना होगा।

प्रोफेसर, भारतीय भाषा केन्द्र,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली 110067

बदलता भाषाई परिदृश्य: परंपरा और आधुनिकता के बीच सामंजस्य की चुनौती

डॉ. विवेक कुमार सिंह

भाषा के संदर्भ में परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व और उसकी बहसे लगातार चलती रहती हैं। आधुनिक भारत में भारतीय भाषाओं को केंद्र में रख कर देखें तो पाते हैं कि आधुनिकता की बहसों में एक बात उभयनिष्ठ है कि भारतीय भाषाओं का अंग्रेजी से संबंध किस प्रकार का होगा, उसके शब्द, पदबंध या पूरे वाक्य भारतीय भाषाओं में किस प्रकार समाहित किए जाएंगे। सामान्य जन के बीच अंग्रेजी शब्दों की स्वीकार्यता खासकर बोलचाल में आधुनिकता की कसौटी बनती नजर आती है। इसके बरअक्स परंपरागत भाषा की कसौटी कई बार उस शुद्धतावादी भाषा की ओर इशारा करती है जिसमें अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रवेश यथासंभव कम हो या ना के बराबर हो, नई संकल्पनाओं, आवश्यकताओं और आविष्कारों के लिए भी शब्द अपने भाषाई टकसालों में ही गढ़ें जाएं। धर्म, अध्यात्म, कला, सौंदर्य आदि क्षेत्रों में हमारी पारंपरिक भाषा ही स्वीकार्य है, किंतु जनसंचार, जनसंपर्क और जनशिक्षण में जनभाषा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वह बोलचाल वाली हिंदी ही है। पहले संस्कृत मूल के तत्सम शब्द पारिभाषिक शब्दावली में अधिक अपनाए गए। अब यह महसूस किया जा रहा है कि मीडिया वाली मिली–जुली हिंदी ही आमफ़हम बन सकती है। शुद्धता पर अधिक टीका टिप्पणी न करके हमें पहले उसे अपनाना होगा ताकि लोग हतोत्साहित न हों। धीरे–धीरे उसका परिष्कार हो जाएगा। हिंदी के प्रचलन में यह उदारता बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इन दो बिंदुओं के बीच हमारी भाषा लगातार अपना रुप–आकार ग्रहण करती है। हम इनके बीच किस प्रकार संतुलन साधते हैं और सामंजस्य बैठते हैं, आधुनिक समय में भाषा अध्येताओं के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है।

आधुनिकता का आशय भाषा के अध्येताओं के लिए इससे कहीं गहरा है। हमारी भाषा ज्ञान–विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, शोध, तकनीक से लेकर साहित्य सृजन और सोच की नई संकल्पनाओं को आत्मसात करने में सक्षम है या नहीं। दूसरी बात, अगर सक्षम है तो किस प्रकार। चूंकि, आज की वैश्विक दुनिया में ज्ञान–विज्ञान का प्रसार अत्यंत तीव्र गति से होता है। अत: जिन संकल्पनाओं, नवचारों का उद्भव हमारे राष्ट्र की सीमाओं से बाहर हुआ है उनके लिए तत्काल शब्द किस प्रकार लाएं जाएं जो अपनी भाषाओं में उनको अभिव्यक्त कर सके। हमारे पास कई विकल्प हैं– अनुवाद है, नए शब्दों का सृजन है या सीधे उनको आत्मसात करने की भी सुविधा है। हिंदी और भारतीय भाषाओं में इन तीनों प्रविधियों को अपनाया गया है। इनमें से किस प्रविधि से बने शब्द समाज में स्वीकृत होंगे तत्काल निर्णय नहीं किया जा सकता, इसका निर्णय समय ही करता है। बहरहाल, हमारी आधुनिक भाषा में ऐसा सामर्थ्य होना चाहिए कि इन चुनौतियों का सामना कर सके। हिंदी के संदर्भ में एक चुनौती और है– हिंदी विस्तृत भू–भाग में बोली जाती है। प्रत्येक भौगोलिक प्रदेश की भाषा–बोली से सामंजस्य बैठाने की भी चुनौती हिंदी के सामने है।

ज्ञान विज्ञान की भाषा

हिंदी में विज्ञान, समाज विज्ञान, तकनीकी अध्ययन, चिकित्सा शास्त्र के सभी कार्य सुचारु ढंग से किए जा सके इसके लिए 50 के दशक में शब्दावली निर्माण का कार्य बड़े पैमाने पर हुआ। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग सहित कई संस्थाओं ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्द बनाए। इनमें अनेक शब्द समाज में स्वीकृत हुए, कई नहीं हो पाए। यह बहस समाज में लगातार मुखर रही कि शब्द निर्माण और उनको ग्रहण करने की प्रक्रिया ऐसी हो जिसे अधिकाधिक सामाजिक स्वीकृति मिले। संविधान के अनुच्छेद 343 तथा 351 की भावनाओं को पूरी तरह प्रतिबिंबित करने के लिए भाषा के प्रसार के साथ उसकी आत्मा को भी बचाना आवश्यक

है। भारत सरकार राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने बहुत सजग होकर इसके प्रति लगातार सचेत किया है। राजभाषा विभाग के आदेशों के संकलन का अध्ययन करें तो पाते हैं कि उन्होंने हिंदी को कभी भी अनुवाद की भाषा बनाने की वकालत नहीं की। उन्होंने लगातार आदेश जारी किए कि पत्रों के अनुवाद नहीं मूल पत्राचार हिंदी में हो। 2011–12 में परिपत्र जारी कर इसकी पूरी दिशा और रुपरेखा निर्धारित कर दी गई जिसमें समाज में स्वीकृत अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के शब्दों को यथावत लेने की बात की गई थी। राजभाषा विभाग ने समय की जरूरतों को समझकर भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में लगातार आदेश जारी किए हैं।

सरल भाषा का आशय

28 दिसंबर, 2015 को राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के सचिव महोदय द्वारा जारी ओदश में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि सुगम, सरल और सहज हिंदी का प्रयोग किया जाए। उन्होंने कार्यालयों के उच्चतम स्तर तथा हिंदी के विकास हेतु सरकार द्वारा बनाई गई संस्थाओं से अनुरोध किया है कि आवश्यकतानुसार शब्दावली, अनुवाद और प्रशिक्षण आदि में हिंदी के सरल, सहज और सुगम शब्दों और रूपों को प्राथमिकता दें और बोलचाल की भाषा में मूल रूप में टिप्पणी एवं मसौदा लेखन को प्रोत्साहित करें। टिप्पणी लेखन एवं पत्राचार में छोटे–छोटे वाक्यों, सरल, सहज, स्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाए इससे हिंदी के प्रति प्रयोक्ताओं में रुचि बढ़ेगी।

देश की सामासिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हुए हिंदी के सरल, सहज स्वरुप का विकास करना समय की मांग है। इसमें हमें यह ध्यान रखना होगा कि सरकार की अपेक्षा ऐसी भाषा के प्रसार की है जिसे इसके प्रयोक्ता आसानी से समझ सकें। जब आधुनिक संकल्पनाओं, विचारों के लिए शब्द या पदबंध अंग्रेजी से यथावत या अनुवाद के माध्यम से ग्रहण करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हिंदी का वास्तविक स्वरुप अक्षुण्ण रहे, अन्यथा यह अपने प्रयोगकर्ताओं से स्वतः दूर हो जाएगी। वास्तविक स्वरुप में केवल शब्दावली ही नहीं वरन् पूरी शैली शामिल है। ऐसी चिंताएं हिंदी के विचारकों ने भी लगातार व्यक्त की है और सरकार ने भी।

शब्दावली का प्रश्न

यहां डॉ. रघुवीर का जिक्र करना प्रासंगिक होगा। उनके नेतृत्व में ही स्वतंत्र भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दों का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली निर्माण की उनकी स्पष्ट नीति थी। उनका मानना था कि अंग्रेजी की प्रत्येक अर्थ छाया के लिए हिंदी भाषा में नया शब्द होना चाहिए। उन्होंने नए शब्दों का एकमात्र स्रोत संस्कृत को ही माना। उन्होने हिंदुस्तानी, हिंदी क्षेत्र तथा भारत की अन्य भाषाओं से शब्द लेने पर ध्यान नहीं दिया और संस्कृत के बीस उपसर्गों, अस्सी प्रत्ययों और 500 धातुओं के जरिए बहुत कम समय में लाखों हिंदी के तकनीकी और पारिभाषिक शब्द बना दिए। उन्होंने ऑक्शन के लिए कोश–विक्रय, ऑक्ट्रॉय के लिए चुंगी न कहकर द्वारा देय, दूरबीन की जगह दूरेक्ष, क्लर्क के लिए लिपिक, चेक के लिए धनादेश, दिवालियापन के लिए नष्टनिधि जैसे शब्द बनाए। उनके बनाए कई शब्द समाज में पूरी तरह आत्मसात कर लिए गए जैसे वैध, विधिवत, विधायक, संसद, सांसद, अधीक्षक, निरीक्षक, प्रस्ताव, विधेयक, प्राधिकार आदि। उन्होंने अंग्रेजी के सभी उपसर्गों और प्रत्ययों के लिए हिंदी समानार्थी बनाए। एन्टि की जगह प्रति, सुपर की जगह अधि, बाई की जगह द्वि, ट्राई की जगह त्रि लगाकर हिंदी के शब्द बनाए। इस प्रविधि से आज भी शब्द बनाए जा रहे हैं। उनकी इस सफलता के लिए सराहना की जानी चाहिए, किंतु संस्कृत के प्रति अतिरिक्त आग्रह ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दकोष में ऐसे शब्दों का अंबार लगा दिया जिसका प्रयोग कर परवर्ती काल में सामान्य अनुवादकों ने जो अनुवाद किए वह किसी सामान्य व्यक्ति की समझ से परे थे। इसका प्रभाव दूरगामी हुआ। इस अनुवाद के आधार पर विकसित भाषा हिंदी भाषियों के लिए भी अत्यंत कठिन साबित होने लगी। इसलिए बार–बार सरल और सहज हिंदी की आवश्यकता पर बल दिया गया। हिंदी की संभावनाएं असीम हैं। जो शब्द समाज में पहले से प्रचलित हैं पहले उन को वरीयता दी जानी चाहिए जो नए शब्द हैं उनके लिए इस संभावना पर विचार होनी चाहिए कि इनके लिए शब्द गढ़े जाएं या यथावत अंग्रेजी या अन्य भाषाओं से ले लिए जाएं, जहां से वह संकल्पना आ रही है।

भाषा, लिपि और कंप्यूटर

भाषा की दो परंपराएं रही हैं जिसमें हमारा ज्ञान सुरक्षित रहा है– वाचिक तथा लिखित। श्रुति परंपरा में सदियों तक ज्ञान की विभिन्न शाखाओं को सुरक्षित रखा गया। लेखनी और छपाई के विस्तार के साथ ही श्रुति परंपरा क्षीण पड़ती गई अर्थात् तकनीक बदलते ही चली आती परंपरा धीरे–धीरे समाप्त होने लगी। आज लिखित रूप में जब अधिकांश ज्ञान सुरक्षित रखा जा रहा है तो लिखित भाषा के स्वरूप पर ज्ञान का भविष्य बहुत कुछ निर्भर करता है। इसको हम वर्तमान उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कंप्यूटर के चलन एवं विभिन्न सॉफ्टवेयर के विकास ने भारतीय भाषाओं के मार्ग को सुगम बनाया है। पहले सभी भारतीय भाषाओं के लिए अलग–अलग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता था। इसलिए ईमेल आदि या फाइल ट्रांसफर करना भारतीय भाषाओं में सरल कार्य नहीं था। अब यूनिकोड आने के बाद इस समस्या का हल निकल गया है। एक समान कोडिंग होने के कारण हम अंग्रेजी के समान ही अन्य भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर पर ज्ञान–विज्ञान का आदान–प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने आई है– क्वाटरी की पैड का इस्तेमाल। हम अपने मोबाइल कंप्यूटर में क्वाटरी की पैड का प्रयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित इंडिक टूल के द्वारा जो इनपुट किया जा रहा है वह दिख तो रही है हिंदी लेकिन टाइप वास्तव में अंग्रेजी में कर रहे हैं। 'स्टेट बैंक' (bank), 'संघर्ष (Sangarsh), 'से' (se), 'लेकर' (lekar), 'था' (tha), 'थी' (thi), 'है' (hai), बल्कि पूरी हिंदी जो देवनागरी में लिखि जा रही है इनपुट के समय हम जो लिखते हैं वह वास्तविक हिंदी नहीं है। परिणाम क्या हो रहा है, तात्कालिक रुप से हमें लगता है कि जिसने हिंदी में कभी भी टाइप नहीं किया वह तत्काल करने लगा है, सीख गया है। लेकिन, हमारा प्रशिक्षण हिंदी में है, हम सही हिज्जे जानते हुए टाइपिंग में गलत चीजें टाइप करते–करते लिखते समय असुविधा महसूस करने लगे हैं। हम जानते हैं कि 'वास्तविक' (vastavik), 'लोक संपर्क (loksampark), 'इमली' (imli), 'बैंक' (bank), 'टेबल' (table), क्षेत्र (xetra) की स्पेलिंग क्या है। लेकिन हम रोमन में टाइप करते समय ऐसी स्पेलिंग लिखते हैं जो वास्तव में उसकी स्पेलिंग नहीं है। इस प्रक्रिया से हम सभी गुजर रहे हैं। हम तो सही हिज्जे (स्पेलिंग) जानते हैं तब समस्या हो रही है। कल्पना कीजिए ऐसी पीढ़ी की जो अंग्रेजी माध्यम से या किसी अन्य भाषा में शिक्षित है और वह रोमन में टाइम करती है। क्या वह कभी भी वास्तविक स्पेलिंग जान पाएगा, क्या वह एक वाक्य शुद्ध लिख सकेगा? राजभाषा विभाग, भारत सरकार ने इनस्क्रिप्ट में ऐसी कोई समस्या नहीं है लेकिन थोड़े अभ्यास की आवश्यकता होती है। की–बोर्ड पर अगर हिंदी अक्षर छपे हों तो फिर उसकी भी जरुरत नहीं होगी। ऐसी स्थिति में हमें माइक्रोसॉफ्ट के की–बोर्ड की उपयोगिता और उसके परिणामों पर अवश्य विचार करना चाहिए। हम सभी इस का प्रयोग करते हैं, अंततः प्रयोक्ता की सुविधाएं ही विजयी होंगी किंतु, भाषा के संरक्षण पर विचार करते हुए और आधुनिकता के साथ इसका सामंजस्य बैठाते हुए हमें इस पहलू पर एक बार गंभीरता से विचार जरुर करना चाहिए।

विज्ञापन की भाषा और भाषा का विज्ञापन

हमारे विज्ञापनों का संसार बड़ा विस्तृत है। विज्ञापन की भाषा बड़ी सटीक होती है और इसके निर्माता की हर संभव कोशिश होती है कि ऐसे टैग लाइन बनाए जाएं जो उपभोक्ताओं/प्रयोक्ताओं के दिल को छू ले, उसकी जबान पर चढ़ जाए। विज्ञापनों की भाषा खासकर उसके टैगलाइन में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जा रहा है। हमारे सामने भारतीय स्टेट बैंक (हर भारतीय का बैंक), भारतीय जीवन बीमा निगम (जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी), आईसीआईसीआई (ख्याल आपका), हीरो होंडा (देश की धड़कन) के उदाहरण हैं जिन्होंने संस्थान की भावना को अभिव्यक्त करने के लिए हिंदी का प्रयोग किया है। कुछ ऐसे टैगलाइन हैं जो मिली–जुली भाषा में हैं, जैसेः आयकर विभाग (भरो टैक्स करो रिलैक्स)। बहुत से टैगलाइन हैं जो केवल अंग्रेजी में हैं, जैसे अमूल (द टेस्ट ऑफ इंडिया)। हाल के दिनों में विज्ञापनों में मिली–जुली–भाषा के प्रयोग की प्रवृति बढ़ी है। यह समाज में मिली–जुली भाषा के बढ़ते चलन की ओर भी संकेत करता है। जनसंख्या के आंकड़ों को देखें तो हम पाते हैं कि हिंदी तथा अंग्रेजी द्विभाषिक जनता की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इन आंकड़ों की प्रवृत्ति को समझने की आवश्यकता है।

द्विभाषी जनसंख्या का विश्लेषण

भारत की जनसंख्या के भाषा संबंधी विशेषकर द्विभाषी आंकड़ों का विश्लेषण करें तो रोचक निष्कर्ष सामने आते हैं। पिछले तीस वर्षों में हिंदी जानने वालों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसमें संचार माध्यमों, सिनेमा और मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किंतु, किसी भी व्यक्ति या समुदाय के अन्य भाषा के सीखने के बड़े ठोस कारण होते हैं। अंतरभाषाई संचार और द्विभाषिता पर अनुसंधान करने वाले महादेव एल, आप्टे का विचार है कि एक बहुभाषी समाज में द्विभाषिता के विकसित होने की दो शर्तें होती है जिसके आधार पर ही लोग अपनी भाषा के अलावा किसी दूसरी भाषा को सीखने का प्रयास करते हैः भाषाओं के बीच संरचनात्मक समानता किस दर्जे की है और सामाजिक आर्थिक उपयोगिता के लहजे से किस भाषा की दावेदारी बेहतर है। कहना न होगा कि साक्षरता, शिक्षा और औद्योगिकरण ने अंग्रेजी के साथ–साथ हिंदी द्विभाषिकता को रोचक तरीके से प्रभावित किया है।

साठ के दशक में हिंदी–द्विभाषिकता और अंग्रेजी द्विभाषिकता के आंकड़ों में अंग्रेजी का पलड़ा भारी दिखायी देता है। किंतु, बाद में यह अंतराल तेजी से कम होता जाता है। हिंदी के प्रभाव का विस्तार लगातार हो रहा है। दक्षिण के राज्यों में हिंदी–द्विभाषिकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यहाँ दी गई तालिका से इसे आसानी से समझा जा सकता है।

भारत में हिंदी द्विभाषिकता

क्र. सं.	भाषा	हिंदी जानने वालों का प्रतिशत			अंग्रेजी जानने वालों का प्रशित		
		2001	1991	1961	2001	1991	1961
1	असमिया	20.03	16.93	2.21	14.90	14.22	2.33
2	बांग्ला	10.06	6.64	1.82	13.01	9.04	4.63
3	गुजराती	34.62	23.91	3.85	12.90	10.60	2.11
4	मलयालम	15.30	19.07	0.48	23.86	24.36	4.50
5	कन्नड़	12.58	8.97	-	13.04	11.98	-
6	तमिल	2.06	1.56	-	15.98	14.05	4.14
7	तेलुगू	11.21	8.01	-	14.13	11.10	2.27
8	उड़िया	16.79	11.37	1.62	18.86	12.66	1.34
9	मराठी	38.56	25.79	6.16	14.22	12.10	1.61
10	पंजाबी	49.93	36.25	7.35	32.13	23.72	4.12
11	हिंदी	-	-	-	8.30	8.85	2.70

स्रोतः हिंदी में हम

मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध

यहां उस मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध की चर्चा करना भी प्रासंगिक लगता है जिसका सामना भारतीय भाषाओं का प्रत्येक प्रयोक्ता करता है। घर में स्थानीय भाषा के माध्यम से बच्चा पहली बार सीखना शुरू करता है। उसी भाषा के माध्यम से वह अपने आसपास के लोगों से बातचीत करता है। अगर उसका दाखिला अंग्रेजी स्कूल में होता है तो शुरू में उसे परिचित चीजें भी अपरिचित–सी लगती हैं। बच्चे के मन में द्वंद्व बना रहता है। मुझसे कहीं गलती न हो जाए। भाषा शास्त्री इसे कॉग्निटिव कॉनफ्लिक्ट कहते हैं। इसका सामना बच्चे ही नहीं बड़े भी करते हैं। कार्यालयों में नवनियुक्त अधिकारी/कर्मचारी अंग्रेजी में येन–केन प्रकारेण काम शुरू कर देते हैं। भले ही उन की शिक्षा–दीक्षा किसी अन्य भाषा में क्यों ना हुई हो। यह उसकी बाध्यता भी कई बार होती है और कई बार वह उस कॉनफ्लिक्ट का भी शिकार होता है कि लोग क्या कहेंगे, मुझसे कोई गलती न हो जाए। उसके ठीक विपरीत आप उस स्थिति की कल्पना कीजिए जिसमें अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित एक व्यक्ति अधिकारी या कर्मचारी के रुप में कार्यालयों में नियुक्त होता है और उससे हिंदी में काम करवाने की अपेक्षा की जाती है या उसे प्रेरित किया जाता है। उसके मन में एक कल्पना किसी शुद्ध हिंदी की है। उसने कार्यालय में अनुवाद के माध्यम से जिस भाषा को देखा है उस भाषा से समाज में उसका कभी वास्ता नहीं पड़ा। ऐसी स्थिति में उसे लगता है जो हिंदी उसे आती है और जिस हिंदी में उसे काम करना है दोनों में बहुत फर्क है। जिस भाषा में उसे काम करना है उससे तो उसका कभी परिचय हुआ ही नहीं। इस द्वंद्व के बीज हमारे समाज में ही छिपे हुए हैं। यही द्वंद्व है जो नाना प्रकार के पब्लिक स्कूलों को फलने–फूलने का मौका देता है। अतः परंपरा और आधुनिकता के बीच सामंजस्य के उपायों की खोज करते समय इनकी नोटिस भी ली जानी चाहिए।

भाषा और रोजगार

भाषा का रोजगार से भी गहरा संबंध होता है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किसी भी अभिभावक

के लिए अपने बच्चों के भविष्य के बारे में विचार करने के लिए बाध्य करता है। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं जिससे उसे रोजगार प्राप्त करने में सुविधा हो। अगर हम भारतीय भाषाओं के लिए ऐसी संभावनाएं समाज में पैदा नहीं कर पाए तो निश्चित रुप से इन भाषाओं के प्रयोगकर्ताओं की संख्या में कमी आएगी या प्रयोक्ता की संख्या में कमी ना हो तब भी औपचारिक भाषा के प्रयोग करने वालों की संख्या में कमी आएगी। संघ की राजभाषा हिंदी है, संघ के कार्यालयों में हिंदी और अंग्रेजी में काम किया जा रहा है, किंतु निजी क्षेत्र में जितने रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं या भारत के बाहर जो रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, उन राज्यों में जहां की राजभाषा हिंदी है, संघ के कार्यालयों में हिंदी और अंग्रेजी में काम किया जा रहा है, किंतु निजी क्षेत्र में जितने रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं या भारत के बाहर जो रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, उन राज्यों में जहां की राजभाषा हिंदी नहीं है उन राज्यों में जो रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए समाज में जब यह धरणा बैठ गई हो तो आप इसको एक झटके में दूर भी नहीं कर सकते। हम जिस समाज में रहते हैं हमारे स्टाफ सदस्य, हमारे ग्राहक और हमारे सभी सहकर्मी उसी समाज से आते हैं। उस समाज की धारणा का असर उनकी मनोदशा पर पड़ना नितांत लाजमी है।

शहरीकरण और भाषा

आजादी के बाद भारत में शहरीकरण की रफ्तार तेज हुई। विकास के सभी प्रतिमान– कॉलेज, स्कूल, विश्वविद्यालय, कल–कारखाने शहरों में खुले या यह जहां खुले वहीं शहरों का विस्तार–विकास हो गया। शहरीकरण का भाषाई अभिरुचि पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अपने आसपास के उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं। मदर डेयरी के डिपो से सिक्के डालकर दूध निकालते देखना बच्चे के लिए स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसे में पशुपालन और उससे संबंधित कार्य व्यापार उसके सामने कभी चित्रित नहीं हो पाते। पिछले 50 वर्षों के हिंदी साहित्य को देखें तो ग्रामीण जीवन आहिस्ता–आहिस्ता पीछे छूट चुका है। यही स्थिति हमारे हिंदी सिनेमा की है। सिनेमा में भी शहरी जीवन का ही वर्चस्व है। हमारी 60% आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है, पूरी जनसंख्या का करीब 70 करोड़। उनके जीवन के सभी कार्य व्यापार खेती किसानी पर आश्रित हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का करीब एक चौथाई कृषि से ही आता है। अतः, हमें इस जनसंख्या की भाषा, बोली और परंपराओं की नोटिस लेनी ही होगी। भारत सरकार का वित्तीय सेवाएं विभाग प्रधान मंत्री धन योजना तथा कृषि से जुड़ी अन्य बैंकिंग कार्यों में हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के प्रयोग और विस्तार पर लगातार बल देता रहा है। इसके निहितार्थ बहुत ही गहरे हैं। हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के प्रयोग के बिना कम से कम इस 70 करोड़ आबादी से हम आत्मिक संबंध नहीं बना सकते। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अधिकाधिक जनसंख्या को वित्तीय समावेशन के माध्यम से जोड़ना होगा और इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम हमारी भाषा ही है।

आज भारत सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना 'मेक इन इंडिया' ने अर्थव्यवस्था के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था का जबरदस्त विस्तार होना है। मेक इन इंडिया से उपजी संभावनाओं का लाभ भारतीय भाषाओं को कैसे मिल सकता है इस पर विचार करना भी आवश्यक है। आज 'प्रगति' (pro-Active Governance and Timely Implementation) 'उदय' (Ujwal DISCOM Assurance Yojana) 'मुद्रा' (Micro units Development and Refinance Agency Ltd.) जैसे शब्द प्रचलन में है ये दरअसल अंग्रेजी शब्दों के संक्षिप्ताक्षर है। अब इन्होंने एक एक्रोनिम का रूप ग्रहण कर लिया है। भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत होने वाले उद्योग विस्तार, शोध, नवाचार, निर्माण में निश्चित रुप से स्थानीय व्यक्ति ही कार्य करेंगे और उनके माध्यम से इन क्षेत्रों में भारत की भाषाओं का भी विस्तार होगा। हमें विचार करना होगा कि इसका लाभ हम अपनी भाषा को किस प्रकार दे सकते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक के प्रयास

भारतीय स्टेट बैंक नए जमाने के अनुरुप हिंदी के प्रसार और विकास के लिए लगातार प्रयास करता रहा है। मोबाइल बैंकिंग, एटीएम मशीनों के त्रिभाषीकरण/द्विभाषीकरण, पासबुक प्रिंटिंग में हिंदी का प्रयोग, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापन, वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता विशेष कर सूचना प्रौद्योगिकी आधारित बैंक के विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में हिंदी का प्रयोग लगातार किया जा रहा है। देश के ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को अधिक व्यापक बनाने के लिए माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी के द्वारा 18 अगस्त 2015 को एक साथ 13 भाषाओं में मोबाइल एप्प 'स्टेट बैंक बडी' का लोकार्पण किया गया है। इसके माध्यम से धन के लिए निवेदन, धन भोजन, रिचार्ज, बिल भुगतान जैसी अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी प्रकार स्टेट बैंक के द्वारा ग्रामीणों को सूचना प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग सेवाओं और सुविधाओं का उपयोग सिखाने के लिए 400 से अधिक स्टेट बैंक प्रौद्योगिकी ज्ञानार्जन केन्द्रों की स्थापना की गई है। जहां कोई भी ग्राहक महीने के तीसरे शुक्रवार को 4 से 6 बजे तक संपर्क कर सकता है। हर महीने करीब 10,000 ग्राहक इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इससे भारतीय भाषाओं में उपलब्ध बैंकिंग सुविधाओं का प्रसार प्रभावी ढंग से हो रहा है। बैंकिंग जैसे तकनीकी साहित्य को हिंदी में उपलब्ध कराने के लिए स्टेट बैंक की गृह पत्रिका 'प्रयास' में बैंकिंग, प्रबंधन, सूचना तकनीक, राजभाषा आदि विषयों पर लगातार स्तरीय लेख प्रकाशित किए जा रहे हैं। वर्ष 2015–16 में भारत सरकार के कीर्ति पुरस्कारों में स्टेट बैंक की पत्रिका को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

हमें समाज में भाषा और तकनीक से जुड़ी असीम संभावनाओं के प्रसार के लिए ऐसे ही नवोन्मेषी कदम उठाने होंगे, तभी संवैधानिक अपेक्षाओं की पूर्ति सही मायनों में हो सकेगी और परंपरा तथा आधुनिकता के बीच हम संतुलन स्थापित कर सकेंगे। इस संदर्भ में हिंदी के वरिष्ठ कवि प्रो. केदारनाथ सिंह की कविता को यहां उद्धृत करना प्रासंगिक होगा–

जैसे चीटियाँ लौटती हैं
बिलों में
कठफोड़वा लौटता है
काठ के पास
वायुयान लौटते हैं एक के बाद एक
लाल आसमान में डैने पसारे हुए
हवाई अड्डे की ओर
ओ मेरी भाषा
मैं लौटता हूँ तुममें
जब चुप रहते–रहते
अकड़ जाती है मेरी जीभ
दुखने लगती है
मेरी आत्मा

संदर्भ

1. हिंदी के प्रयोग संबंधी आदेशों का संकलन, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. इंडिया 2016, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, 2016
3. राजभाषा नीति, आदेश निर्णय, भारतीय बैंक संघ, मुंबई
4. अभय कुमार दूबे, हिंदी में हम, वाणी प्रकाशन, 2015
5. रामविलास शर्मा, भाषा और समाज, राजकमल प्रकाशन, 2004
6. रामविलास शर्मा, भारत की भाषा समस्या, राजकमल प्रकाशन, 1976
7. धीरु भाई सेठ, सत्ता और समाज में संकलित लेख, भाषा विवाद बनाम लोकतंत्रीकरण, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
8. आशा सारंगी, लैंग्वेज एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2009।

प्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय स्टेट बैंक,
आंचलिक कार्यालय, हावड़ा–711315

भौतिकता की चकाचौंध में भटकती युवा पीढ़ी

राजेन्द्र प्रसाद

आज समाज और देश के सामने सबसे बड़े यक्षप्रश्न हैं–हमारी युवापीढ़ी कैसी हो, उसके चाल–चलन का रूप–स्वरूप क्या हो, उसके जेहन में बसे सपने कैसे हों और काम करने का ढंग कैसा हो? इसमें कोई दो राय नहीं कि युवा–पीढ़ी देश, समाज और परिवार की सबसे बड़ी ताकत और भावी धरोहर होती है। उसके सहारे देश के भविष्य की रूप–रेखा बनाई जा सकती है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे कल का भविष्य कैसा होगा? कटु सत्य यह है कि युवाशक्ति के बेहतर प्रबंधन से ही सही राष्ट्र–निर्माण मुमकिन है।

आंखों में अरमान, नयी उड़ान भरता हुआ मन, हिलोरे लेता दिलोदिमाग, कुछ कर गुजरने का दमखम और दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने वाले इरादे को ही युवा कहा जाता है। युवा ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही तन–मन–मस्तिष्क ओज–तेज से भरने लगता है। उम्र के इसी पड़ाव में बाकी जिदंगी की भविष्य तय होता है। कोई भी आंदोलन और दुनिया की कोई भी विचारध् ाारा युवाशक्ति के समर्थन के बिना सफल नहीं हो सकती। यह युवाशक्ति ही है जिसके दम पर किसी निर्माण या विध्वंस की नींव और इमारत पुष्पित–पल्लवित होती है।

किसी भी देश या समाज के संस्कार और चरित्र के बारे में पता करना हो तो उसका सबसे बड़ा जरिया युवा–पीढ़ी का आचरण है। युवाओं का मन बहुत चंचल होता है। इसे गलत रास्ते पर ले जाना हो तो कुछ नहीं करना होता। इसके लिए जरूरी है कि पूरे दिन क्या गलत और क्या सही किया, इस पर विचारने की आदत हमारी युवा पीढ़ी को डालनी चाहिये। अर्जुन की तरह दृष्टि मछली पर नहीं, बल्कि उसकी आंख पर होनी चाहिए। हमारे ऋषि–मुनियों द्वारा वर्णित अध्यात्म के बेहतरीन तरीकों का फायदा जिंदगी को सही तरीके से समझने के लिए भी लिया जा सकता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि असली सुंदरता केवल बाहरी पहनावे में नहीं है बल्कि अच्छे व्यवहार और अच्छे विचारों में बसती है।

कुदरत की विचित्र देन है कि असम्भव को संभव में बदलने वाली युवा–शक्ति की तादाद भारत में सबसे ज्यादा है। देश में लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष आयु के युवकों की और 25 साल उम्र के नौजवानों की संख्या 50 प्रतिशत से भी अधिक है। तेजी से बदलते सामाजिक और आर्थिक परिवेश में इस युवा–ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि जरा–सा भी भटकाव उन्नति की राह को अवनति में बदल सकता है। युवाओं के बारे प्रायः यह मान्यता है कि जो झुकना नहीं जानती, टूटना जानती है, समझना नहीं, समझाना चाहती है, जो बदलना चाहती है, जिंदगी को नई दिशाओं में ले जाना चाहती है, जो जिंदगी में परिवर्तन करना चाहती है। इतिहास में झांकते है तो मालूम होता है कि देश की आजादी के लिए मर–मिटने वाले सबसे ज्यादा युवा ही थे। युवा क्रांति की जीती–जागती मशाल है और जो देश और समाज के लिए मिसाल और मशाल दोनों बनते हैं। कचोटते सवाल यह भी हैं कि क्रांति की वह धधकती लौ आखिर कहां जल रही है और देश के नवनिर्माण में उसकी

भावी भूमिका के दृष्टिगत उसकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं?

खेद है कि तेजी से बदलते परिवर्तन चक्र में युवकों में व्यापक व्यक्तित्व विकास की भावना छूट–सी गयी है। उथल–पुथल के काल में उसका लक्ष्य उपाधि या परिणाम हासिल करने तक सिमटा है। दूसरी तरफ दिक्कत तो यह भी आ रही है कि समाज शिक्षक को आज भी अन्य वर्गों की तुलना में जिस सम्मान से देखता है और उनसे यह उम्मीद करता है कि युवाओं को मांजने का काम करें, लेकिन वह कुछ विफल हो रहा है जिससे उनके प्रति श्रद्धा भी कमजोर पड़ रही है।

युवावर्ग यह नहीं समझ पाता कि वह क्या पढ़े, किसे पढ़े और कैसे पढ़े? हमारी महान संस्कृति से उदासीनता बरतने के कारण वह आज सज्जन, वीर, महात्मा या महापुरुष को अपना आदर्श न मानने के स्थान पर टी.वी. और फिल्मों के पर्दे पर वह अपने मन–मुताबिक संस्कार की बजाय विकार खोजता है। देखने में आ रहा है कि पश्चिम की कुरीतियों का जाल तैजी से फैल रहा है जिससे वैलेंटाइन डे मनाकर देश की संस्कृति को भूलने का अहसास हो रहा है। हालांकि यह कल्पना–सी लगती है पर वक्त का तकाजा है कि ऐसे उपाय करें जिनसे हमारी संतानों में भारतीय मूल्यों की परंपरा और विरासत सहेजी जा सके। इसकी जगह वे यदि मातृ–पितृ पूजन, संत–महात्मा दिवस, संस्कृति दिवस मनाने के लिए प्रेरित होंगे तो विश्व का मंगल हो जाएगा।

यह सही है कि युवाओं को सपने देखने की आदत होती है। जब वे टूट जाते हैं तो वे समाज में फैले अपराध खासकर साइबर अपराध, हिंसा, व्याभिचार, साजिश, भ्रष्टाचार में जाने–अनजाने काफी युवा लिप्त होते जा रहे है। इसके अलावा शराब, सिग्रेट व खतरनाक तरह के नशे के गुलाम बन जाते हैं। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति ने हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों को जन्म दिया है। आज किशोर भी 14–15 वर्ष की आयु में ही ड्रग्स, और डिस्कों का आदी हो रहा है। इसकी आमदनी के लालच में सरकार एवं नशे के व्यापारी बेपरवाह बने हुए है। सिनेमा और समाज का परंपरागत संबंध है। इसी कारण सिनेमा को समाज का दर्पण कहा जाता है। विडंबना यह है कि सिनेमा एवं टीवी धारावाहिकों में मादक पदार्थों का प्रदर्शन अब आम हो चुका है। नशामुक्ति कार्यक्रमों के द्वारा भी इस बुराई पर अंकुश लगाया जा सकता है।

युवाओं की जिंदगी यांत्रिक हो रही है। आधुनिक समाज में भौतिकवादी यानी मैटेरियलस्टिक होने की होड़–सी लगी हुई है। उसी दौड़ मे कहीं न कहीं युवा भी फंसता जा रहा है। पश्चिमी पहनावे और संस्कृति को अपनाने में उसे कोई हिचक नहीं है। इसका मुख्य कारण है उनकी परवरिश, परिवेश और शिक्षा। अमूमन बच्चा कमाऊ शिक्षा लेकर बाहर निकलता है पर ज्ञान की पूंजी उनके पास नहीं होती। हालांकि वे गलतफहमी में खुद को ज्ञानी से कम नहीं समझते, लिहाजा धनार्जन उनके जीवन का लक्ष्य बनकर खड़ा हो जाता है.

कटु सत्य है कि अधिकतर युवा पीढ़ी बड़ों का सम्मान करना भूल–सी गयी है। संस्कारों की कमी से आम बोलचाल की भाषा में गाली–गलोज घुलमिल गयी है। दहेज प्रथा, स्वच्छंदता, फूहड़पन, अनुशासनहीनता व महिलाओं पर अपराध जैसे विकारों में उनकी बढ़ती दिलचस्पी यह सोचने को मजबूर कर रही है कि देश का भविष्य आखिर क्या होगा? क्योंकि देश की बागडोर इन्हीं पीढ़ियों को संभालनी है। अगर समाज में ऐसा प्रसार इसी तेजी के साथ होता रहा तो देश की सांस्कृतिक विरासत एवं परंपराओं की मर्यादा खतरे में पड़ना स्वाभाविक है। दुखद है कि सफलता के मापदंड पर अगर खरे नहीं उतरे, तो युवाओं के लिए सबसे आसान रास्ता है विकृति के रास्ते पर चलना। सहनशीलता और धैर्य की कमी चारों तरफ

दिखाई देती है। बात–बात पर जान लेने व देने के समाचार सुनने को मिलते हैं। समझने वाली बात है कि आखिर क्यों युवा पीढ़ी जिंदगी को इतनी आसानी से खंडित करना चाहती है? क्या जीवन का उनकी नजर में कोई मोल नहीं है।

परिवारों की ध्वस्त होती अवधारणा, अनाथ माता–पिता, फ्लैट्स में सिकुड़ते–घुमड़ते परिवार, प्यार को तरसते बच्चे, अपनों की बजाय दूसरों के सहारे अंगड़ाई लेती नई पीढ़ी हमें क्या संदेश दे रही है, क्या उसकी गूंज सुनने की क्या जरूरत नहीं है? इस जमाने ने अपनी नई पीढ़ी को अकेला होते और बुजुर्गों को अकेला करते भी देखा है। बदलते समय ने लोगों को ऐसी खोखली प्रतिष्ठा में इतना डूबो दिया है कि सामाजिक वर्जनाएं हमारे समक्ष ललकारती चुनौती बन रही हैं।

इक्कीसवीं सदी की युवाशक्ति की सोच में बीती सदियों के मुकाबले द्वंद्व है कि वह बहुत कम समय में अधिक पाना चाहती है और इसके लिए मेहनत की बजाय किसी भी मूल्य का बलिदान करना पड़े, तो उसे कोई हिचक नही है। जमाने की रंगत ने हमें ऐसी युवा पीढ़ी के दर्शन कराएं हैं जो पैसे को भगवान और सब समस्याओं का समाधान मान बैठी हैं, जिसे हासिल करने के लिए मेहनत और दूरदृष्टि के बजाए अल्पकालिक रास्ता(शार्टकट) अपना लेते हैं।

समाज में फैली कुरीतियों का अंबार देखकर द्रवित हुए बिना नहीं रहा जाता। क्या यह फर्ज नहीं है कि समाज के बुद्धिजीवी वर्ग एवं युवाओं को ऐसे झकझोरते मुद्दों का सही विकल्प और सोच तलाशना चाहिए? भविष्य की पौध को युवा के रूप में परिवर्तित करने के लिए शिक्षा बहुत बड़ा माध्यम है। शिक्षा का मूलाधार है– अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, बंधनों से मुक्ति की ओर ले जाए, वही सच्ची शिक्षा है। आज के माहौल में नैतिक एवं परम्परागत मूल्यों में आई तेजी से आई गिरावट व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का मूल कारण है। निर्विवाद रूप से धैर्य एवं संयम की मर्यादाएं बुरी तरह टूटी हैं जिनसे उपजी खतरनाक परिस्थिति अंतर्मन को खंगालने के लिए मजबूर कर रही है।

मोटे तौर पर हमारे धर्म चरित्र की ताकत और उसकी शुद्धता पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। शिक्षा के सही बीज से जीवन फलदार वृक्ष बन जाता है। दुख की बात है आज शिक्षा में संस्कार ओझल है, ज्ञान व मेहनत की उपेक्षा हो रही है, पैसे को तरजीह मिलने से खतरा और बढ़ा है। हमें नहीं भूलना चाहिए आज के युवा कल का भावी समाज का चमचमाता आइना हैं। अगर हम कल के समाज की बेहतरी चाहते हैं तो वर्तमान के युवाओं को संस्कारित करने की जरूरत है। व्यक्ति अच्छा या बुरा उसके अंदर के गुणों से बनता है। चरित्रवान युवा देश, समाज व कुल की संपति है। आज की शिक्षा ने नई पीढ़ी को संस्कार की समझ नही दी है।

एक मुश्किल सवाल है कि जीवन का सही रास्ता क्या हो? जवान पीढ़ी अनुभवहीन है। रास्ता कौन बनाएगा? रास्ता बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत है– अनुभव की और शक्ति की। अनुभव हमारे बड़ों के पास है और शक्ति जवान के पास है। अगर उन दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं होगा तो रास्ता बनेगा कैसे? अपने अनुभव से बड़ों को सचेत होना पड़ेगा, जवान की शक्ति को नियोजित करना पडेगा। लेकिन बड़ी पीढ़ी युवा पीढ़ी की निंदा के निसाने पर है और बड़ी पीढ़ी युवाओं को बिगड़ा बता रही है। अगर कोई बिगड़ भी गया हो तो उसे कोई सुधरने का मार्ग नहीं मिलता है क्या? अगर कोई न भी बिगड़ा हो तो बार–बार कहने से कि बिगड़ गया है, उसके चित्त में बिगड़ने की दिशा, दशा और व्यवस्था पैदा होने लगती है।

नैतिक मूल्य किसी धर्म, वर्ग, पंथ व सम्प्रदाय

के लिए नहीं होते। शिक्षा से ही समाज एवं संस्कृति को बचाया जा सकता है। शिक्षा से अच्छी पीढ़ी का निर्माण हो, अच्छा समाज बने, यह केवल इच्छा से पूर्ण नहीं होता। इसी मंत्र से हम जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं।

सबसे पहले तो हमें यह याद रखना चाहिए कि जिस तरह से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, जो बलिदान दिए गए, जो जाने गईं– ये सब हमें पिछली पीढ़ी द्वारा किए गए त्याग और बलिदान की भेंट है। आज हमारी पीढ़ी पर यह जिम्मेदारी है कि हम अपने लिए जैसा जीवन चाहते हैं, हम वैसा जीवन गढ़ें, जैसा राष्ट्र चाहते हैं, वैसे राष्ट्र का निर्माण करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए जैसा भविष्य चाहते हैं, वैसा भविष्य बनाएं।

तेजी से बदलते आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश का चक्र तेजी से घूम रहा है। आज का समय तमाम बीती हुई सदियों के कठिन दौर में है जहां मनुष्य की परंपराएं, आचरण और जीवन संघर्षों के बीच घिरा और भटका है। भारत जैसे परंपरावादी, सांस्कृतिक वैभव से भरे–पूरे और साधु–संतों का विपुल भंडार इस समाज के सामने भी आज का समय बहुत चुनौतियों के साथ खड़ा है।

आज समाज में रोल मॉडलों की जरूरत है, जो युवा पीढ़ी को सकारात्मक और बेहतर रास्ता दिखा सके। यह भी सही नहीं है कि सारे युवा ही पथभ्रष्ट हैं। ऐसी अंधकारमय वातावरण में में भी आशा की किरणों की कमी नहीं है। समस्या केवल इतनी है कि युवाशक्ति को बिगड़ने से किस तरह बचाया जाए? जिस तरह देश में तरक्की हो रही है, उसी तरह नये–नये विचारों की श्रृंखला युवाओं के दिमाग में करवट ले रही है। युवाओं के बल पर हमने बहुत से उपलब्धियां हासिल की है। हमारे देश के युवा आज हर क्षेत्र में प्रगति का परचम लहरा रहे हैं। चाहे अमरीका, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया या फिर अरब देश, हर जगह भारतीयों ने अपने मस्तिष्क का लोहा मनवाया है।

स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आज हमारी जो स्थिति बनती जा रही है, उसका कारण क्या यह तो नहीं कि हम धर्म के पथ से विचलित हो गए। त्याग के लिए मर्यादा पुरूषोत्तम राम, अहिंसा के लिए महावीर स्वामी, पाखंड के विरुद्ध कबीर और स्वामी दयानंद, भक्ति के लिए तुलसीदास और मीरा, महात्मा बुद्ध की अमर वाणी, श्री कृष्ण का 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन' का मूलमंत्र कभी और किसी भी युग में भुलाया नही जा सकता। विकास के पथ पर दौड़ती नई पीढ़ी ताकत से अधिक पाने के लालच में जिंदगी की खुशी नहीं समेट पा रही है। युवाओं को एहसास होना चाहिये कि भारत की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, चाहे व्यक्तिगत हो या सामाजिक, आर्थिक हो या फिर राजनैतिक। युवा राष्ट्र के असली और मौलिक शिल्पी हैं। अगर वे जीने का नजरिया बदलेंगे तो नजर व नजारे खुद बदल जाएंगे।

युवाओं से सही परिणाम चाहिए तो सही राह पर चलने की भी जरूरत है और उनकी ऊर्जा व प्रतिभा सार्थक काम में लगनी चाहिए। मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, उसे यूँ ही नहीं बीतने या गंवाना में नहीं लगाना चाहिए। जीवन एक बार ही मिलता है और यह अनमोल है। संस्कार एंव मूल्यों द्वारा जीवन के द्वारा ही हम स्वयं को बेहतर तरीके से सुधार सकेंगे और समाज व देश को नवनिर्माण के मार्ग पर ले जा सकेंगे। इसलिए हम स्वयं को पहचानें और धर्म के वास्तविक स्वरूप को भी जानें। मौन फिर भी पसरा है, पर ललकार रहा है। युवकों से बस इतना आह्वान है:

चाहे आंधी आए, तूफान आए, लक्ष्य साधे रखना
उम्मीदों के दीप तुम दिल में जलाए रखना
सुख–दुख व संघर्ष हो जीवन का सामना
पर तुम सही मार्ग पर अपने कदम बढ़ाए रखना।

ए–2457, नेताजी नगर,
नई दिल्ली–23

करत–करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान.............

डॉ. धनेश द्विवेदी

भारत एक प्राचीन देश है। संस्कृति तथा भाषाओं की विविधता वाले इस देश में हजारों बोलियां प्रचलित हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में जब पूरे राष्ट्र को एकजुट करने की बात सामने आई तो विभिन्न भाषाओं वाले इस देश में हिंदी भाषा ने यह जिम्मेदारी ली और न सिर्फ पूरे देश को एक सूत्र में बांधा बल्कि आंदोलन को नई गति भी प्रदान की। उस समय के राष्ट्रनायकों ने हिंदी भाषा को आजादी के आंदोलन का प्रमुख आधार बनाकर समस्त देशवासियों को आंदोलन की मुख्य धारा से जोड़कर विदेशी ताकतों को देश छोडने पर मजबूर कर दिया। यही कारण है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के सदस्यों की बैठक में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। सभा में अहिंदी भाषी राष्ट्रभक्तों ने इसका प्रस्ताव रखा और समूचे राष्ट्र की एक मात्र संपर्क भाषा की महत्ता को समझते हुये हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। हमारे विद्वानों को यह आभास हो चुका था कि विविधताओं से भरे देश के अंदर सरकारी कामकाज की एक भाषा होनी चाहिये जो सर्वसुलभ हो, सर्वग्राह्य हो। नवनिर्मित राष्ट्र की चुनौतियों और भारतीय भाषाओं के बीच हिंदी के वर्चस्व को देखते हुए ऐसा किया गया। सरकारी कामकाज की भाषा का ऐसा विस्तार हुआ कि चाहे कार्यालय हो, वित्त हो, परिवहन हो, जनसंचार हो, विज्ञान हो, विधि हो, रक्षा हो सब जगह हिंदी भाषा का विस्तार हुआ है। आज हिंदी भारत की समग्र राष्ट्रीय जनचेतना का जीवंत भाषा प्रवाह है। यह एक ओर जहां भारत की एकता–अखंडता को अक्षुण्ण बनाती है वहीं जन–जीवन के विविध पक्षों को आम–जन से परिचित कराने का कार्य भी करती है।

राजभाषा होने के कारण सरकारी कार्यालयों की भाषा हिंदी बन तो गई पर आज भी हिंदी की सार्वभौम स्वीकार्यता को लेकर एक बात जो अक्सर उठाई जाती है, वह है सरल हिंदी की बात या हिंदी का सरलीकरण। यह सरल हिंदी क्या है, इसे पारिभाषित करना मुश्किल है क्योंकि यह भाषा व्यवहार का कोई निश्चित स्वरूप नहीं है । लोगों का मानना है कि सरल हिंदी वह हिंदी है जो आम बोलचाल में प्रयोग की जाती है । सरल हिंदी में दैनिक उपयोग में लाये जाने वाले शब्दों को समाहित किया जाना चाहिये। किंतु यहां प्रश्न यह उठता है कि क्या दैनिक उपयोग के शब्दों का, चलताऊ भाषा के शब्दों का प्रयोग कार्यालयी उपयोग के उचित है। यदि दैनिक उपयोग के शब्दों का प्रयोग कार्यालयी

भाषा में किया जाता है तो उनकी मर्यादा कैसे तय की जाए आदि आदि। वैसे भी भाषा की सरलता या जटिलता उस भाषा के उपयोग से तय की जा सकती है। कई बार उपयोग के बाद वह शब्द स्वतः ही सरल शब्द की श्रेणी में आ जाता है। करत–करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान............यह बात भाषा प्रयोग पर भी पूर्णतया लागू होती है।

हिंदी दिवस 2017 के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सभी भाषाओं का समुचित सम्मान प्राथमिकता का विषय रहा । उन्होंने अलग–अलग भाषाओं के सम्मान को राष्ट्रहित के लिये न सिर्फ जरूरी बताया बल्कि राजभाषा हिंदी के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में इस पर बल दिया। उनका कहना था कि जिस प्रकार एक हिंदी भाषी की इच्छा होती है कि हिंदी भाषा को पूरा सम्मान मिले, उसी तरह गैर–हिंदी भाषी भी अपनी मातृ–भाषा के प्रति संवेदनशील होता है तथा उसकी यह अपेक्षा रहती है कि उसकी भाषा को भी सम्मान दिया जाए।

पूर्व में भी कई भाषा मनीषियों ने इस बात पर जोर दिया कि सभी भाषाओं के सम्मान से ही हिंदी भाषा का सम्मान बढ़ेगा । हमारा संविधान भी सभी भाषाओं के विकास के साथ हिंदी भाषा का विकास करने की बात कहता है। वैसे भी किसी एक भाषा के आगे बढने का यह मतलब कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि दूसरी भाषाओं का प्रभाव खत्म हो जाएगा।

किसी भी देशी या विदेशी भाषा का ज्ञान होना व्यक्तित्व को सुदृढ़ता प्रदान करता है किंतु अपनी भाषा में काम करने से, अपनी भाषा में भाव व्यक्त करने से व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरों तक असरदार रूप से पड़ता है । इसीलिये भारतेंदु हरिश्चंद की यह पंक्तियां आज भी प्रासंगिक प्रतीत होती हैं ।

अंग्रेजी पढ़कै जदपि, सब गुन होत प्रवीन ।

पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन कै हीन ।।

यहां एक और बात का उल्लेख करना बेहद आवश्यक है कि जब भाषा प्रयोग की बात आती है तो यह स्वीकार करना होगा कि भाषा प्रयोग स्वेच्छा तथा स्वप्रेरणा से मजबूत होता है, इसमें किसी प्रकार के दबाव या जोर जबरदस्ती की गुंजाइश नहीं होती। इसलिये हमें स्व–जागरण से राजभाषा प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिये । हिंदी भाषा राजभाषा है इसलिये हमारी जिम्मेदारी अधिक हो जाती है । सरकारी कार्यालय में बैठे हर अधिकारी/ कर्मी का यह कर्तव्य बन जाता है कि संविधान के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करे और राजभाषा हिंदी में अधिक से अधिक सरकारी कार्य कर दूसरों के लिये भी प्रेरणा स्रोत बने । हमें यह ज्ञात है कि एक–दूसरे को देखकर कई बार जीवन में बदलाव लाया जाता है और यह बात हिंदी भाषा के प्रयोग पर भी लागू होती है।

इन सभी बातों का निष्कर्ष यही है कि हमें राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग पर गर्व करना चाहिए तथा हिंदी भाषा को सर्व ग्राह्यता के साथ सर्वोपरि स्थान पर काबिज करने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए दूसरी भाषाओं को भी सम्मान देना ही होगा।

अनुवाद प्रशिक्षण ई–लर्निंग प्लेटफार्म की सीडी का
लोकार्पण करते हुए माननीय अतिथिगण

जोधपुर तकनीकी संगोष्ठी के दौरान अपना संबोधन देते हुए
सचिव (रा.भा.) श्री प्रभास कुमार झा

राजनाथ सिंह
RAJNATH SINGH
गृह मंत्री, भारत
HOME MINISTER, INDIA

प्रिय देशवासियो !

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सब को मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं !

"भाषा" मानव, समाज और देश के संगठन की अंत:शक्ति है। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए भाषा-शक्ति आधार का काम करती है। किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रगति में उस देश की भाषा का अहम योगदान होता है। भाषा सिर्फ मनोभावों की वाहिका ही नहीं होती अपितु राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता व संस्कारों के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन होने के साथ ही सम्पूर्ण राष्ट्र की एकता और अखंडता की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। किसी सुदृढ़ राष्ट्र की पहचान इस बात से भी होती है कि उसकी अपनी भाषा कितनी व्यापक एवं समृद्ध है।

हमारे देश की सभी बोलियाँ और भाषाएँ हमारी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक धरोहर हैं। अपनी भाषायी धरोहर की सजग होकर रक्षा करना प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है।

"हिंदी" को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। "हिंदी-भाषा" में भारत के वे विशिष्ट सांस्कृतिक मूल्य विद्यमान हैं जिनकी वजह से हम पूरे विश्व में अतुलनीय हैं। भारत में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसने विविधता में एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता और सरकार के मध्य जन-जन की भाषा ही संपर्क भाषा के रूप में सार्थक भूमिका निभा सकती है। हिंदी, भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम होने के साथ-साथ भारत की भावात्मक एकता को मज़बूत करने का भी सशक्त ज़रिया है। अपनी उदारता, व्यापकता एवं ग्रहणशीलता के कारण ही हिंदी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की पूरक है। अत: संविधान के अनुच्छेद 351 में संघ सरकार को यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया कि वह अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे, ताकि हिंदी भारतीय-संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

अपनी भाषा में मौलिक लेखन से अभिव्यक्ति बहुत ही सहज और स्वाभाविक होती है, जो अनुवाद की भाषा से कदापि संभव नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हिंदी को इसके सरलतम रूप में अपनाकर राजकीय कामकाज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाया जाए। मैं, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों इत्यादि के कार्यालय प्रमुखों से अपील करता हूँ कि वे अपने दैनिक और सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिंदी का प्रयोग करें ताकि कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अपना कार्य हिंदी में करने की प्रेरणा मिल सके।

हिंदी भाषा का समुचित ज्ञान ही हिंदी में कार्य करने का मुख्य आधार है। इसलिए अपने सभी कार्मिकों को हिंदी-ज्ञान में वृद्धि करने के लिए सभी प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों द्वारा अधिक से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन हिंदी माध्यम में ही सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही, राजभाषा विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कार्यालयों आदि द्वारा नियमित रूप से अभ्यास आधारित कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। इस प्रकार व्यावहारिक कार्य-योजना बनाकर अपने कार्यालयों में अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने का सार्थक प्रयास करने की महती आवश्यकता है।

देशवासियो ! पिछले वर्षों से "कम्प्यूटर" और "इन्टरनेट" ने विश्व में सूचना क्रांति ला दी है। आज कोई भी भाषा कम्प्यूटर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रह कर लोगों से जुड़ी नहीं रह सकती। विगत कुछ समय से अनेक हिंदी ई-टूल्स विकसित किए गए हैं, जिससे कम्प्यूटर पर हिंदी में कार्य करना अत्यन्त सरल हो गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के मौजूदा दौर में हमें विभिन्न हिंदी ई-टूल्स जैसे यूनिकोड, हिंदी की-बोर्ड, लीला सॉफ्टवेयर, मशीन अनुवाद, ई-महाशब्दकोश आदि का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

यह बात सही है कि संघ की राजभाषा नीति का आधार सद्भावना, प्रेरणा और प्रोत्साहन है, परंतु संघ की राजभाषा होने के कारण हम सभी का यह संवैधानिक दायित्व बनता है कि हम स्वयं अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करते हुए अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों से भी राजभाषा अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएँ। राजभाषा की कार्यशालाओं/बैठकों में शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति अवश्य ही होनी चाहिए तथा राजभाषा कार्यान्वयन संबंधित आँकड़े प्रस्तुत करते समय तथ्यपरकता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन तथा उत्तरोत्तर विकास के लिए राजभाषा संबंधित अनुदेशों का अनुपालन भी उसी दृढ़ता के साथ किया जाना चाहिए जिस प्रकार अन्य सरकारी अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है।

आइए, हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर हम यह प्रतिज्ञा करें कि हम एक साथ मिलकर मन, वचन और कर्म से हिंदी के प्रचार-प्रसार में सक्रिय एवं सृजनात्मक सहयोग देंगे और हिंदी को उसके सम्मानजनक स्थान पर पहुँचा कर राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे । हम सब, न सिर्फ इसे अपना संवैधानिक दायित्व मान कर बल्कि नैतिक दायित्व समझ कर सरकारी काम-काज के साथ ही साथ अपने निजी जीवन में भी हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग पूरे मनोयोग से करें।

मेरे प्रिय देशवासियो ! हमें हिंदी का प्रचार-प्रसार केवल सरकारी स्तर तक सीमित न रखकर भारत के जन-जन तक ले जाना होगा। साथ ही, न केवल भारत अपितु पूरे विश्व में हिंदी भाषा का प्रकाश फैलाने का संकल्प लेना होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सामूहिक एवं सार्थक प्रयासों से हमें वांछित परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे।

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सब को पुन: मेरी हार्दिक शुभकामनाएं !

जयहिन्द !

(राजनाथ सिंह)

नई दिल्ली,14 सितंबर, 2017

भारत सरकार, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), एन डी सी–II भवन, नई दिल्ली–110003
के लिए डॉ. धनेश द्विवेदी, उप संपादक द्वारा प्रकाशित तथा
डॉल्फिन प्रिंटो–ग्राफिक्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित